खण्ड-182, अंक-6
बुधवार, 27 चैत्र, शक संवत् 1879
(17 अप्रैल, 1957 ई0)

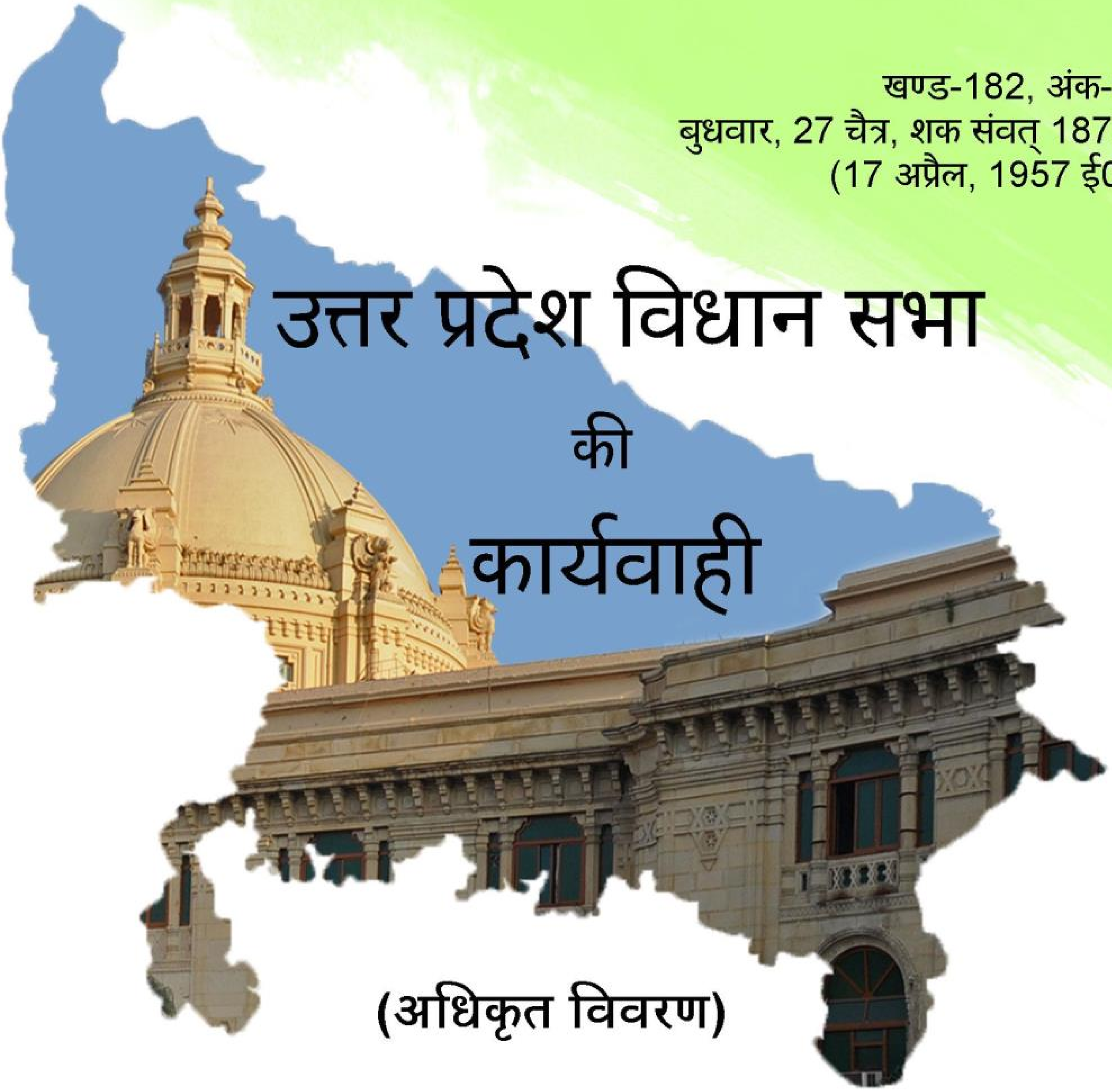

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 182 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २७ चैत्र, शकाब्द १८७९
(१७ अप्रैल, १९५७ ई०)

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्रसिंह के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३८१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए स० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री, उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री, उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एन० जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री

पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महोलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुट बिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अंसारी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुर्मसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराज बलोसिंह, श्री
शिवराजबहादुरसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथभार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सभा सचिव, श्री परमात्मा नन्द सिंह भी उपस्थित थे।

श्री राज्यपाल के *अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस नये सदन में बोलने का मौक़ा दिया है। माननीय महोदय, इस सदन में इस वक्त श्री नवलकिशोर जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिये करता हूं कि जो काम हमारे हुये हैं और जिनके सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना सम्बोधन दिया है, मैं उनकी सराहना करता हूं। जो काम हमारी सरकार ने किये हैं वह सराहनीय हैं। इसलिये उनका इस प्रकार का सम्बोधन देना अनिवार्य था। अक्सर ऐसा हुआ करता है कि किसी शहर में या बाजार में बहुत सफ़ाई और शुद्धता दिखाई देती है, लेकिन उसके अगल-बगल में कुछ कीचड़ वग़ैरा भी दिखाई दे जाती है। अगर कोई इस अच्छाई को और सफ़ाई को न देख कर उस गन्दगी को ही देखे तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। बहुत से हमारे यहां ऐसे काम हुए जिससे हमें गौरव होता है। मुझे सदन से यह आवेदन करना है कि जो कार्यक्रम हुआ है वह तो अति उत्तम है और उसी के साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निगाह से बच जाती हैं। इसी तरह से कुछ चीजें राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में नहीं आई हैं। उनके संबंध में सुझाव देना हर एक आदमी का कर्त्तव्य होता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुये प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्र का जो कमजोर अंग है उसको हमें बलवान बनाना चाहिये। इसी नीति की तरफ़ हमारी कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं। सब पार्टीज के लोगों की इस सम्बन्ध में एक ही नीति है कि राष्ट्र के कमजोर अंग को बलवान बनाया जाय। राष्ट्र का वह कमजोर अंग कौन है, कहां है? वह अंग

---

*११ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री खुशीराम]

हरिजन कहलाता है और वह सब से ज्यादा कमजोर है। उसको बलवान बनाना हमारे राष्ट्र का कर्त्तव्य है और इसी के आधार पर बहुत से लोग कहते हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। इस कमजोर अंग को बलवान करने के लिये मैं आवेदन करूंगा।

मैं पहले भी पिछले सदन में बतला चुका हूं और अब भी याद दिलाता हूं कि उसको बलवान बनाने के लिये हमें पांच बातों की तरफ़ ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें शिक्षा का प्रचार किया जाय, इनको भूमि दिलायी जाय और इनमें औद्योगिक धंधों का प्रचार किया जाय। चौथे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियां दी जायं। वैसे नाम के लिये तो यह है कि १८ फ़ीसदी नौकरियां उनके लिये सुरक्षित हैं लेकिन अभी तक यह कार्यान्वित नहीं हो सका। पांचवीं चीज यह है कि जो इस कमजोर अंग के प्रति अमानुषिक बर्ताव है, अर्थात् जिसे छुआ-छूत कहते हैं वह एकदम से दूर कर दी जाय। ये पांच साधन मैंने पहले भी इस आदरणीय सदन में बताये थे और आज फिर आपके सन्मुख रख रहा हूं।

इनमें सर्वप्रथम जो शिक्षा का साधन है, उसमें तो मैं कहूंगा कि बहुत कुछ प्रगति होगई है। यह जरूर है कि जिस चाल से वह चल रही है उसमें अगर कुछ तेजी हो जाय तो अच्छा है लेकिन फिर भी इस ओर काफ़ी प्रगति हुई है। दूसरा साधन जो मैंने बतलाया वह भूमि का है। भूमि उनको बहुत काफ़ी तादाद में दी जानी चाहिये क्योंकि इसी तबके में ज्यादा मेहनती लोग हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में अगर कोई मेहनत करने वाला तबका है वह हरिजन लोग ही हैं। उन्होंने पहले भी मेहनत की, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और उनको मौक़ा दिया जाना चाहिये, साधन दिये जाने चाहिये। यहां मैदान में तो भूमि के सम्बन्ध में कुछ थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन पहाड़ों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कुमायूं प्रदेश के अल्मोड़े जिले से आया हूं। वहां की परिस्थिति यह है कि वहां आबादी के नजदीक जमीन पर उन लोगों का अधिकार हो जाता है जो पहले के बाशिन्दे हैं। इसके अलावा जो शेष भूमि है वह जंगलों में है। उसको जंगल के डिपार्टमेंट ने घेर लिया है। इस वक्त मेरा खयाल है कि कुमायूं में ६० लाख एकड़ जमीन वन विभाग ने घेर रखी है। इसके अलावा जो बची खुची हुई जमीन है गांवों में या और जगह वह फ़ारेस्ट पंचायत में चली गयी है। फ़ारेस्ट पंचायत का होना भी जरूरी है। तो इन सब कारणों से पहाड़ों में भूमि की बड़ी कठिनाई है।

पहाड़ के जो हरिजन हैं, जिन्हें शिल्पकार कहा जाता है उन्होंने अपना सामाजिक उत्थान भी काफ़ी किया है। सन् १९१३ में स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी वहां बुलाये गये थे और वे गये थे। एक शिल्पकार सुधारिणी सभा कुमायूं की स्थापित हुई थी। उसके जरिये वहां समाज सुधार का कार्य आरम्भ हुआ था। आज ४४ वर्ष का अर्सा हुआ, वह सभा कार्य कर रही है। उस सभा ने अच्छी तरह से यह अनुभव किया है कि वहां के हरिजनों के उत्थान के लिये भूमि की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिये महसूस की गई कि हाल में जो हमारी सरकार की ओर से बेदखलियां बन्द करने के आदेश जारी हुये और जिसका भूमि पर क़ब्ज़ा है वह बहाल रहेगा। कानून तो यह बहुत अच्छा है लेकिन उसका असर बहुत बुरा हुआ। शिल्पकार वगैरा जो पहले से जमीन जोत रहे थे उससे निकाले जाने लगे क्योंकि अगर वे रह जायंगे तो उनका कब्जा बहाल हो जायगा। इसलिये उनको बड़ी तकलीफ होने लगी। यह होने पर उस सभा के संचालकों ने उनके लिये ५० हजार एकड़ भूमि की मांग पेश की है। अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के लिये ५० हजार एकड़ भूमि की मांग थी और वह मांग सात आठ वर्षों से सरकार के सामने है। उसको पहले तो मजाक के तौर पर समझा गया। यह दस-बीस पचास आदमियों की नहीं हजारों आदमियों की मांग थी और ज्यादा भी नहीं थी। वन विभाग से भी कहा गया क्योंकि उस विभाग के पास इतनी जगह है कि ५० हजार क्या एक लाख एकड़ तक जमीन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन उनसे जमीन निकालना शेर के मुंह से उसका शिकार निकालने की तरह है। हमारे साथियों

को उसमें आन्दोलन करते करते ज्यादा समय हो चुकने पर अब यह कहा गया है कि हम कुछ करेंगे। किया क्या गया है? मैदान में उनको तीन हजार एकड़ जमीन मालधन चौड़ा में दे दी गई है। यह मांग हिमालय की तलहटी के रहने वालों की है लेकिन उनको जमीन वहां दी गई है जो जगह उनके माफिक नहीं है, बहुत गरम है। और जैसे मैदान के रहने वालों को अगर हमारे यहां ठन्डे पहाड़ों में जमीन दे दी जाय, उनको वहां भेज दिया जाय तो उनको बहुत तकलीफ होगी, इसी तरह से उनको अगर मैदान की तलहटी में भेजा जाता है तो उनको बहुत तकलीफ होगी। ४०, ५० लोग आये लेकिन उनमें बहुत से आदमी बीमार हो गये हैं, कई मर गये। इसके लिये अधिकारियों से भी बहुत कुछ कहा सुना गया। उन्होंने भी कहा और मंत्री महोदयों ने भी कहा कि पहाड़ों में जगह नहीं है मैदान में उनको करना पड़ेगा। उनके पास इसके लिये साधन भी नहीं है, ट्रेक्टर्स से अगर उनको जोत कर भी जमीन दे दी जाती तो भी काम चला लेते। हां, पहाड़ों पर बिना सरकारी सहायता के भी कर सकते हैं लेकिन मैदान में बिना सरकारी सहायता के काम चलाना उनके लिये मुश्किल है। अब सरकार को इस पर गौर करना चाहिये क्योंकि बहुत दफा कहा जा चुका है।

उद्योग धंधों के लिये कुमायूं में शिल्पकारों की एक कम्पनी है। उसके लिये ग्रांट व लोन के लिये भी कहा गया लेकिन वह भी इस वक्त तक नहीं दी जा सकी। दो वर्ष तक लगातार लिखापढ़ी होती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ और कत्योर में हरिजन सहकारी समिति है उस की मांग भी वहां पूरी नहीं हुई और गरम पानी में एक शिल्पकार को २५ फुट जगह इण्डस्ट्री की दुकान खोलने के लिये बहुत कोशिश करने पर भी नहीं दी गई और न उस पर अच्छी तरह से विचार हुआ है। तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन मामलों पर विचार किया जाय और उनके लिये वह साधन जुटाये जायं जिससे वे अपनी तरक्की कर सकें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विरोधी दल के माननीय नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी के प्रस्ताव के अनुमोदन में खड़ा हुआ हूं। माननीय राज्यपाल जी का जो संबोधन सदन के सम्मुख आया, मैं एक नव-निर्वाचित सदस्य होने के नाते यह समझता था कि यह संबोधन यहां की जनता की भावनाओं का एक प्रतिबिम्ब होगा। परतु मुझे ऐसा आभास हुआ है कि १९५२ से लेकर अब तक जितने भी संबोधन महामान्य राज्यपाल ने सदन के सम्मुख किये वह सब के सब सरकार के प्रतिबिम्ब के स्वरूप में थे। मगर श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी नागरिक रहते हैं महामान्य राज्यपाल उनके भी रक्षक हैं और इसलिये उनको यहां की जनता के विषय में भी कुछ कहना चाहिये था। अगर हम विदेशों की ओर देखें और इंग्लैंड का उदाहरण लें तो हमें ऐसा मालूम होगा कि जब सदन के सामने इस तरह के ऐड्रेस किये जाते हैं तो उनसे एक नवजीवन का संचार जनता में होने लगता है और सदस्यगण एक नयी आशा और उमंग लेकर सदन से निकलते हैं। उससे उनमें उत्साह पैदा होता है। लेकिन यहां पिछले दो दिनों की बहस में मैंने देखा कि उत्साह का कोई नाम भी यहां नहीं है।

श्री राज्यपाल के सम्बोधन में १९वें पेज पर जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी की बात लिखी गयी है उसके बारे में कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, कि राजनीति के दर्शन में इस तरह की कोई फिलासफी, कोई भी दर्शन कहीं नहीं है। या तो समाजवादी समाज हुआ है, या साम्यवादी हुआ है और या फिर पूंजीवादी ही हुआ है। थोड़ी देर के लिये श्रीमन्, मैं यह भी समझ लूं कि यह एक नया प्रयोग है लेकिन उसको हम तभी समझ सकते हैं जब उसकी परिभाषा हमको बतलाई जाय। अगर आप के द्वारा मैं सरकार से यह पूछूं कि उसकी परिभाषा क्या होगी, तो कुछ ग़लत न होगा। इसके द्वारा वह कौन-सी इमारत सरकार बनाने जा रही है लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को खुद भी अभी इस बात का पता नहीं है कि इस इमारत में कितने कमरे होंगे और क्या बनने वाला है।

दूसरी चीज के सिलसिले में हम अनइम्प्लायमेंट के आंकड़ों पर आते हैं तो देखते हैं कि १९५० में यह आंकड़े १९९ थे जो बढ़ कर १९५४ में ३०८० हो गये। मैं पूछना चाहता हूं

[श्री प्रतापसिंह]

कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यही मतलब है ? मैं तो समझता था कि जो ७०-८० लाख के लगभग भूमिहीन लोग हैं उनके लिये किसी उचित व्यवस्था का निर्देश इस सम्बोधन में होगा। मैं तो यह भी समझता था कि आज उत्तर प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर दानपुर के इलाके में ढाई माह से जो भीषण अकाल पड़ा हुआ है उसका भी जिक्र इसमें होना चाहिये था और दूसरे हम यह भी समझते थे कि जो कुमायूं भूमि कानून हमारे सामने आ रहा है, जो अपना एक विशेष महत्व रखता है उसका भी पूरा-पूरा जिक्र इसमें होना चाहिये।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, श्रीमन्, मैं जानता हूं कि शिक्षा में हमारी सरकार ने काफ़ी तब्दीली कर दी है। वह इस प्रकार कि दर्जा तीन और पांच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किताबों का एक बोझ बढ़ा दिया और साथ ही साथ विश्वविद्यालयों की शिक्षा में जो परिवर्तन किया वह यह कि उनकी अटानोमी पर हमला किया और उन विश्वविद्यालयों के विधान को संशोधित किया बिना जनता की राय लिये हुए, बिना लेजिस्लेचर को कांफीडेंस में लिए हुए संशोधन किये गये और उसमें स्टैट्यूट की व्यवस्था की गयी और उनके द्वारा कुछ लोग आज यूनिवर्सिटियों पर अपना आधिपत्य कायम करना चाहते हैं। श्रीमन्, जहां तक विश्वविद्यालयों का प्रश्न है आप किसी भी विद्वान की रिपोर्ट को पढ़ें, चाहे वह डाक्टर राधाकृष्णन हों अथवा कोई विदेशी विद्वान हो, उन सब का मत है कि विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ाते हैं उनके दिमाग़ का स्तर हमारे देश में रहने वाले लोगों से कहीं ऊंचा होता है। इसलिये चाहे वह विधायक हों, या चाहे हिन्दुस्तान की कुर्सी पर बैठने वाले पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, उन सबको इन विश्वविद्यालयों से होकर एक न एक दिन गुजरना होता है। इसलिये मैं चाहता था कि विश्वविद्यालय अपनी अटानोमी को बनाये रखें। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि जो मंत्री आज चुनाव में हरा दिये गये हैं वह स्वयं विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिम्पिल मेजारिटी के द्वारा तमाम चुनावों में अपना बहुमत पैदा कर दिया है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में इस तरह पर बाहर के लोग अपना ऐसा कोई आधिपत्य स्थापित न करें बल्कि वहां पर न्यायप्रिय और जो विद्यार्थियों से प्रेम रखते हों, जो शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हों, ऐसे लोग ही विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर बनाये जायं। अगर यहां से सरकार के द्वारा कोई अंकुश विश्वविद्यालय पर स्थापित किया गया तो मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि सन् १९५३ में जो हालत यहां पर हुई थी जब कि सरकार ने मिलिटरी पुलिस को आर्डर दिया था और गोली चलवाई गयी थी, वह हालत पैदा होने की संभावना हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की हालत यहां पर हो। हम चाहते हैं कि शांति से यहां पर काम हो और सही तरीके से कार्य चले।

जहां तक नियोजन का सवाल है आज हमारे सामने पंचवर्षीय योजना की तमाम किताबें आती हैं। हमने आज नहीं सोचा है कि हमारी बेसिक कमजोरी क्या है। हमारे नियोजन की योजनाओं में प्रिंसिपुल आफ प्रोयोरिटी को कोई भी स्थान नहीं दिया जा रहा है। पहले तो हमको रोटी का इन्तजाम करना है, कपड़े का इन्तजाम करना है और खाने का इन्तजाम करना है या बड़े-बड़े डामों का निर्माण या हजारों मील सड़कों को बनाना है। इसमें हमको थोड़ा-सा भेद करना होगा। मैं चाहता था कि प्लानिंग का आधार जनतांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत होता जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो पंचवर्षीय योजना में समाजवाद का ढांचा लाने का प्रयास किया गया है उसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। हमारी प्लानिंग का बेसिक रूप नहीं दिखाया गया है। इसका यही नतीजा है कि हमारे ८० फीसदी काम जो अभी समाप्त होने वाले हैं उनसे हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती। लोहिया डाम जो १३ करोड़ रुपया लगाकर बनाया गया था, पहले उसका एक कमरा टूट गया था और अब उस १३ करोड़ के भवन को जाकर देखिये कि आज भी उसके भीतर में पानी निकल आया है। ऐसा लगता है कि विदेशों से जो हम रुपया ले रहे हैं उसको

वापस करने की कभी नौबत नहीं आयेगी। यही कारण है कि आप अपनी योजनाओं के अनुसार बहुत सा रुपया व्यर्थ व्यय करते जाते हैं और जनता का विश्वास आपके ऊपर से हटता जाता है। जो हमारी वास्तविक प्लानिंग थी और जिससे जनता को लाभ होना चाहिये था वह नजर नहीं आ रही है। जनता के आप व्यक्तिगत रूप से दुश्मन नहीं हैं लेकिन नियोजन के लोगों को उसने एक भी मत नहीं दिया और अब वह एक नयी प्रेरणा की प्रतीक्षा में है।

हमारी पुलिस के बारे में सम्बोधन के १२ पृष्ठ पर बड़े जोर से कहा कहा गया है कि पुलिस में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त कराना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान एक ऐसे कृत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जो कि एक साल पुराना तो है लेकिन बहुत महत्व रखता है। हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी ने एक हेड कानिस्टिबिल की औरत को एक चोरी के केस में पकड़ा। सात दिन तक उसको बन्द रखा गया। बालों के बल उसको लटकाया गया और उसके ऊपर अत्याचार और जुल्म किये गये। पेट से उसका बच्चा गिराया गया। अगर मैं ज्यादा भूल नहीं कर रहा हूं तो ३ जुलाई सन् १९५६ को श्री नारायणदत्त तिवारी और मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी के पास गये। मुझको खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बहुमूल्य समय में से हमको समय दिया और उसकी इन्क्वायरी करने का आदेश दिया। अफसोस है कि इन्क्वायरी हुई लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। वह अफसर तरक्की करके ऊंचा किया गया इसलिये कि डी० आई० जी० की पूर्ण कृपा उनके ऊपर थी और वह इस कारण कि डी०आई०जी० सबसे बड़ी कुरसीवालों का रिश्तेदार था। क्या यही अत्याचार की आप सजा दे रहे हैं? मैं तो यह कहता हूं कि आप तरक्की दे रहे हैं। इसी तरह से हेल्थ विभाग के ऊंचे अधिकारी की गलती पकड़ी गयी लेकिन उस अफसर ने क्लर्क के ऊपर केस चलवा दिया और अपने आप बच गये बल्कि उनको डिप्टी डाइरेक्टर बनाकर रखा गया। महामान्य राज्यपाल तो सारे प्रांत के रक्षक हैं, जनता का भी उनको ख्याल है तो जनता के लिये भी उनको कुछ अपने विचार प्रकट करने आवश्यक थे और उसी प्रकार से सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है।

मैं चाहता था कि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में कुमायूं विश्वविद्यालय जिसके आधारभूत सिद्धांत को सदन ने स्वीकार किया है उसका भी निर्देशन होता। कुमायूं विशेष परिस्थिति रखता है। कुमायूं में ६० प्रतिशत लोगों के पास जमीन नहीं है। जाड़े के दिनों में लोग मैदान में आ जाते हैं और यहां पर अपना निर्वाह किसी तरह से करते हैं। आज भी उनकी दशा वैसी ही पड़ी हुई है। वहां के बच्चे इतनी दूर पढ़ने के लिये नहीं आ सकते हैं। इस कारण वहां पर एक विश्वविद्यालय का होना आवश्यक है किन्तु उसका समावेश इस भाषण के अन्दर नहीं है।

जहां तक भ्रष्टाचार को दूर करने का सवाल है, जमीन के बटवारे का सवाल है। आज हमसे जमीन के बटवारे की बात कही जाती है और यह कहा जाता है कि जमीन का दूसरी पंचवर्षीय योजना में बटवारा करेंगे और सबको रोजगार देंगे। पहली पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया कि एक तरफ तो राजा साहब को ५ हजार एकड़ का फार्म मिलता है और दूसरी ओर किसी के पास २ एकड़ जमीन भी न हो, क्या यही जमीन का समाजवादी ढंग का बंटवारा है? चकबन्दी की बात हमारे बहुत से साथियों ने की। वही समस्या आज कुमायूं में है। वहां आज बन्दोबस्त हो रहा है। जनता ने कहा कि बन्दोबस्त इस तरह से नहीं होना चाहिये और हजारों अर्जियां मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों के पास आई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज वहां बन्दोबस्त के द्वारा बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। नैनीताल में दो भाइयों में जमीन की खातिर खून हो चुका है। चाहे बन्दोबस्त हो या जमीन का बटवारा, पहले देश में उसके लिये वातावरण तैयार करना चाहिये।

जनतंत्र के विकास में शिक्षा अपना विशेष स्थान रखती है। आज हमारे प्रदेश में केवल १४ फीसदी लोग पढ़े-लिखे हैं जिनमें दस्तखत करने वाले भी शामिल हैं। इब्राहीम

[श्री प्रताप सिंह]

लिन्कन ने कहा था कि जनतंत्र के लिये हाई स्टैन्डर्ड आफ़ मास एजूकेशन भी होना चाहिये लेकिन शिक्षा में कोई भी आमूल परिवर्तन नहीं हो रहा है। कुछ कालेज जरूर खोले जाने हैं लेकिन इसमें ज्यादा उन्नति की आवश्यकता है। अब आज हम कैराला की ओर देखते हैं तो वहां ८० फीसदी लोग पढ़े लिखे हैं। हो सकता है कि यह सरकार यह समझती हो कि यदि हमारे यहां भी अधिक लोग पढ़ लिख गये तो सरकार उलट जायगी लेकिन शिक्षा की प्रगति को उसके लिये रोका नहीं जा सकता है।

महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में क्लर्कों और चपरासियों की वेतन वृद्धि के लिये कुछ भी नहीं है। ये लोग सुबह ९ बजे से ५ बजे तक फाइलों में जकड़े रहते हैं और इन्हीं पर सारी सरकार चल रही है। जो वेतन आज हमारे क्लर्क और चपरासी भाइयों को मिल रहा है वह बहुत कम है। उनमें कितने लोग टी० बी० से बीमार होकर मर रहे हैं। चुनाव पर महात्मा गांधी का नाम लेकर वोट मांगे जाते हैं लेकिन वह क्या कहते थे उसकी कोई परवाह नहीं की जाती। एक लेखक ने लिखा है कि "The true memorial for Mahatma Gandhi which India can provide is only the sincere observance of his principles by which he lived." मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार महात्मा गांधी के बताये हुये मार्ग पर सच्चे माने में चले। लेकिन १-४-५६ को हमारी सरकार ने महात्मा गांधी के कथन की अवहेलना की और नमक पर टैक्स लगाया, हमारी पार्टी ने उसका विरोध किया।

मैं इन शब्दों के साथ अपने नेता द्वारा रखे हुये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही मुझे नम्रतापूर्वक यह अहसास प्रकट करना है कि महामान्य राज्यपाल को कुछ ग्रामीण समस्याओं के बारे में भी चर्चा करनी चाहिये थी। वे ये हैं :--

१--भूमिहीन, ग्रामीण मजदूरों तथा लाभहीन जोतों के किसानों की आर्थिक समस्या जो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है।

२--खेतों की पैदावारों की बिक्री की उत्तर प्रदेश में संतोषजनक व्यवस्था।

३--उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेतों में पैदा होने वाली फसलों का इन्श्योरैन्स किया जाना।

४--उत्तर प्रदेश में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को अधिक मजबूत करना तथा उत्तर प्रदेश की जनता में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा दूसरे जनहित कार्यों के संबंध में अधिक जानकारी व अधिक विश्वास पैदा करना और उनमें योगदान देने के लिये अधिक उत्साह और जज़बा पैदा करने की आवश्यकता।

श्रीमन्, महामान्य राज्यपाल के संबोधन से यह जानकर हर्ष होता है कि हमारे प्रदेश में लगातार बिजली का उत्पादन बढ़ा है और उसके फलस्वरूप हाल ही में ४०० से अधिक ट्यूबवैल्स लगाये गये हैं और ट्यूबवैल्स, दूसरी नहरें, बांध और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के द्वारा अवश्य ही हमारे प्रदेश की आबपाशी के रकबे में इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त अच्छे बीज और अच्छी खाद के कारण खेती की पैदावार में वृद्धि हुई है और भविष्य में होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि खेती की पैदावार में इजाफा होने पर नेशनल एकोनोमी तथा उत्तर प्रदेशीय agrarian एकोनोमी पर क्या असर होगा? जाहिर है कि खेतों की पैदावार बढ़ने से हमारे प्रदेश में और देश में खाद्यान्नों के संबंध में स्वावलम्बन होगा और जो फारेन एक्सचेंज हम कंज्युमर गुड्स के import पर खर्च करते हैं वह Capital goods के import पर खर्च कर पावेंगे जिससे Second Five year Plan

सफल होगा, तथा हैवी इंडस्ट्री में खर्च कर पायेंगे। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के आज के कानूनी ढांचे के तहत में यद्यपि खेतों की पैदावार बढ़ी है लेकिन आज के ९० प्रतिशत ग्रामीणों की आर्थिक अवस्था में कोई अन्तर नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि आज जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार गांवों के १० फीसदी से अधिक लोग भूमिहीन मजदूर हैं, ५५ फीसदी ऐसे हैं जिनके पास २ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, २५ फीसदी ऐसे हैं जिनके पास दो एकड़ से ५ एकड़ तक भूमि है। इस तरह से ८० फीसदी गांव के किसान ऐसे हैं जिनके पास लाभहीन जोत है। इसका मतलब यह है कि ८७ प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण आबादी इस प्रकार की है कि या तो उसके पास जमीन नहीं है और अगर जमीन है तो लाभहीन जोत की जमीन है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गांवों की जनता का ८७ प्रतिशत से अधिक भाग ऐसा है जिसके पास या तो साधन ही नहीं है या उनके पास जमीन है तो ऐसी है कि जिस पर साल भर काम करने के बाद भी इतना फायदा नहीं होता कि वह उससे निम्नतम स्तर का जीवन भी व्यतीत कर सके।

आज इस पैदावार के बढ़ने पर भी किसी ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस मारकेटिंग कानून के न होने से बाजार में दाम गिर जाते हैं और किसानों को उनके माल की कीमत बहुत कम मिलती है आज कोई भी प्राइस फिक्स करने वाला बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से बाजार में दाम गिर जाते हैं और Minimun Wages Board के न होने से दामों के गिरने से मजदूरों की मजदूरी भी गिर जाती है। इसका असर खेत की पैदावार पर भी पड़ता है तथा मजदूरों की रिअल वेजेज पैदावार बढ़ने पर भी नहीं बढ़ पाती। गांव का जो लाभहीन जोत का किसान है वह सरकारी लगान और आबपाशी के बोझ से बहुत दबा हुआ है। इसके अतिरिक्त उसके ऊपर जो ऋण है उनको अदा करने के लिये उसे अपनी सारी फसल को ही बेचना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सरकार उस छोटे किसान को क्रेडिट के लिहाज से अनवर्दी समझती है। जिन योजनाओं के द्वारा ऋण बांटा जाता है उसको पाने में वह असमर्थ रहता है और इसलिये वह साहूकार के फंदे में फंस जाता है। इस प्रकार से छोटे किसान के ऊपर इन्टरेस्ट का फाइनेंशियल बर्डन बहुत हो जाता है। इस प्रकार छोटे किसान के ऊपर ये चारों बोझ इतने अधिक हो जाते हैं जिसकी पूर्ति वह अपने सारे ही गल्ले को बेचकर कर पाता है और इस प्रकार अच्छी पैदावार होने पर भी उसकी रिअल इनकम में फर्क नहीं आता। निष्कर्ष यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश में खेती की पैदावार बढ़ने पर भी गांव के ९० फीसदी लोग जिनमें भूमिहीन किसान, मजदूर और लाभहीन जोतों के किसान शामिल हैं, आज की कानूनी व्यवस्था, आज के आर्थिक और सामाजिक वातावरण में उनकी रिअल इनकम और रिअल वेजेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि खेती की पैदावार बढ़ाने में जो ९० प्रतिशत गांवों की गरीब जनता का हाथ रहता है और जो इस तरह से देश की सेवा करते हैं उनको भी हर तरह से मदद दे। लेकिन जहां तक उसके स्वयं लाभ करने की बात है वह लाभ नहीं हो पाता। सरकार से मैं आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो इतने भूमिहीन मजदूर और छोटी जोत वाले किसान हैं, पैदावार बढ़ाने के साथ उनकी रिअल इनकम भी बढ़ानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि ये जो बेकार और अर्ध बेरोजगार आदमी हैं उनको भी काम दिया जाय ताकि उनकी आर्थिक अवस्था भी संभल पाये। ऐसा करने से उन गरीब आदमियों की हालत भी सुधरेगी और इस प्रदेश का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब तक हम लोग रिअल वेजेज नहीं बढ़ाते तब तक इस प्रदेश की जितनी पैदावार होनी चाहिये उतनी नहीं हो सकती। मैं आपकी आज्ञा से माननीय जगजीवनराम जी ने सेंट्रल पार्लियामेंट के डिबेट में जो वक्तव्य दिया है उसे पढ़ देना चाहता हूं :

"We are losing millions of tons of foodgrains every year, because the ill-paid agricultural labourer who has no stake in land does not put his heart into work."

[श्री शिवराजसिंह यादव]

इस तरह से अगर आंकड़ों का सहारा लिया जाय तो हम देखेंगे कि ६६ प्रतिशत भूमि जो उत्तर प्रदेश में काबिल काश्त है छोटे किसानों के पास ही है और उसको हम लाभ-हीन जोतों के किसानों की गरीबी के कारण पूरी तरह ex ploit नहीं कर पाते। इस तरह से लाखों किसानों द्वारा करोड़ों रुपये के गल्ले का ट्रांजेक्शन सैकड़ों मंडियों में होता है और इतने बड़े पैमाने पर जो ट्रांजेक्शन होता है वह उन गरीब अपढ़ किसानों और मालदार तथा शक्तिशाली व्यापारियों के बीच होता है। मुझे खेद है कि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन जिसका असर प्रांत पर पड़ता है, जिसका असर द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर भी पड़ता है उसके लिये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कानून न ला कर बड़ी भारी गलती की है। इस बात को कहा जाता है कि हमारी पैदावार लगातार बढ़ती जाती है। सन् ५४-५५ में इस बात का एहसास हुआ था कि हम अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो गये हैं लेकिन गत वर्ष के ही आंकड़े देखें तो मालूम हो जायगा कि २७.६ प्रतिशत अन्न की कीमतों में इजाफा हो गया है। सीरियल्स के होल सेल प्राइस इंडेक्स नम्बर को देखने से मालूम होगा कि मार्च, १९५६ में इंडेक्स नं० ४२८ था जो मार्च, १९५७ में ५२७ हो गया। इसी तरह से पल्सेज का होल सेल प्राइस इंडेक्स नं० मार्च, १९५६ में ३७७ था जो बढ़कर मार्च, १९५७ में ४४६ हो गया है। इस प्रकार से खाद्यान्नों की कीमतों में इजाफा ही हुआ है। सरकार को चाहिये कि वह इसके लिए एक होल सेल प्राइस इंडेक्स बोर्ड नियुक्त करे जो एग्रीकल्चरल गुड्स के कास्ट तथा कंज्यूमर्स गुड्स की कीमतों के बीच सन्तुलन कायम करे, तभी सबका भला हो सकता है और उत्पादन में भी इजाफा हो सकता है।

जहां तक खेती पर अपना जीवन निर्वाह करने वाली जनता है उसको स्वावलम्बी बनाया जाय और अच्छा तो यही होगा कि उसे स्टेट इंटरप्राइज करार दिया जाय तभी छोटे-छोटे काश्तकार व्यक्तिगत रूप में फायदा उठा सकते हैं। अतिवृष्टि से अनावृष्टि से जो नुक्सानात हो जाते हैं वह तो गरीब किसानों को अकेले ही सहने पड़ते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम खेती को केवल किसानों का ही व्यवसाय न मानें और जो किसान कुदरती आफतों के शिकार होते हैं उनकी आफतों को जो नागरिक दूसरे व्यवसाय करते हैं, जिन पर कुदरती आफतें नहीं आतीं, वह भी उस नुकसान को ओढ़ें। हमारे यहां भी क्राप इन्श्योरेंस की जरूरत है और संसार के दूसरे देशों में भी क्राप इन्शोरेंस का रिवाज है, अमेरिका में भी प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने अपने यहां इस तरह का एक इन्श्योरेंस बोर्ड बनाया था और १०० मिलियन डालर से उसको प्रथम बार उन्होंने सबसिडाइज किया था। वहां के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों में जैसे ग्रीस, इटली, स्वेडन और जर्मनी आदि में वह तरीका रायज है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी ने भी क्राप इन्श्योरेंस के बारे में अपनी सिफारिश की है कि

"we recommend that a scheme of crop insurance should be undertaken experimentally by the State. The nature, size and scope of each experiment should be determined by especially trained agricultural actuarial experts."

इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस को मानकर सरकार यहां के किसानों को इन कुदरती आफतों से बचावे।

मैं कुछ गन्ना उत्पादकों के विषय में भी कह देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में काफी गन्ना पैदा होता है और इस संबंध में मेरा जाती तजुर्बा है कि वहां गन्ने की पैदावार में काफी इजाफा हुआ है लेकिन पैदावार में जितना इजाफा हुआ है उसके डिसपोजल में उतना ही दोष आ गया है। मैं कह सकता हूं कि जितने ज्यादा दोष संभव हो सकते थे वह सब आ गये हैं। मेरा अनुरोध है कि मिलों के रिजर्व क्षेत्र का वितरण फिर से किया जाय और दूसरे जोनल सर्किल बनाये जायं और केन कमिश्नर महोदय जितना गन्ना समय से मिलों में खपवा सकते हैं उतना ही उनके सर्किल में रखें और अधिक मात्रा में देकर गन्ने को सूखने देने की बात न करें।

अन्त में थोड़ी सी बात मैं ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में भी कह देना चाहता हूं। इस संबंध में मैं कहूंगा कि अभी जरा ग्रिप को और मजबूत करने की जरूरत है। जहां पर किसान का सरकार से फर्स्ट प्वाइन्ट आफ कन्ट्रैक्ट है, चाहे वह लेखपाल से हो, आबपाशी वालों से हो या तहसीलदार या नायब तहसीलदार से हो, किसी से हो, सब जगह उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिये जैसा कि हम ने फरवरी के मास में खुद वोट मांगने के वक्त किया था, उस से हमें दो लाभ होंगे एक तो जनता की सेवा और जनता का सरकार में और उसके कर्मचारियों में विश्वास पैदा होगा। दूसरे जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सरकार की जो योजनायें हैं या द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसकी जनता को पूरी जानकारी कराई जाय और गांवों में प्रचार हो। होता यह है कि गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होती, जिस से उनके प्रति जनता के जजबात, श्रद्धा और विश्वास पैदा नहीं होते। सरकार के मुट्ठी भर सरकारी कर्मचारी हैं, केवल उनके द्वारा ही कोई प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता जबतक कि जनता उस के साथ में हो, जनता के सहयोग, श्रद्धा और विश्वास से ही यह तमाम काम पूरे हो सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज गवर्नर साहब की तकरीर पर बहस का यह तीसरा दिन है। महामान्य गवर्नर महोदय ने अपनी तकरीर में सब से पहले यह फरमाया है कि हम अपने राज्य में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसमें संदेह नहीं जैसा कि उनके भाषण में कहा गया है और इस प्रति में लिखा हुआ है, मगर जब हम राज्य के चारों कोनों में नजर डाल कर देखते हैं तो सब कुछ इसके विपरीत दिखलाई पड़ता है। सबसे पहली चीज यह है कि आज हम उनको धन्यवाद अदा करने के लिए इस सदन में इस मसले पर तीन दिन से बहस कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि धन्यवाद देने की आवश्यकता भी है या नहीं। अभी तो एक तरफ से यह प्रश्न उठा कि धन्यवाद दिया, जाय दूसरी तरफ से दूसरे लोगों ने यह कहा कि हम धन्यवाद देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस विषय में हम एक तीसरी बात कहना चाहते हैं और वह यह है कि हम पूछते हैं कि धन्यवाद अदा करने की आवश्यकता ही क्या है? आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन से कहना चाहता हूं कि इस धन्यवाद के वादविवाद पर आज तीन दिन व्यतीत किये गये और इन तीन दिनों में इस सदन का खर्च अगर देखा जाय तो सिर्फ इस वादविवाद में पचीस हजार के करीब बैठ रहा है। इस पचीस हजार रुपया को खर्च करने के बाद हम सिर्फ इस बात को फैसला कर सकें कि हमें धन्यवाद देना चाहिए या नहीं। इस मामले में हम फिर आपको बताना चाहते हैं कि जहां पर कल्याणकारी राज्य की बात कही जाय वहां पर हम देखते हैं कि दानपुर से आये हुए हजारों परिवार जो कि आज तराई भाबर में बस गये हैं और उस स्थान पर बसे हैं जो कि जंगल में कहा जाता है, मगर वहां पर पुरानी आबादी के कुएं मौजूद हैं पुरानी आबादी के चिन्ह मौजूद हैं। पुरानी आबादी की सिंचाई की गूले मौजूद हैं वहां पर, वह उस परिस्थिति में आकर बसे हैं जबकि वहां अकाल पड़ गया है, जबकि वह दाने दाने के लिए मुहताज हो गये हैं। ऐसी परिस्थिति में चाहिए तो यह था कि उनको कुछ सहायता दे कर बसाया जाता और उनका निर्माण किया जाता।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं एक बात जान सकता हूं कि क्या उन्हीं लोगों को रेफर कर रहे हैं, जो सात मार्च को आये थे? अभी डेढ़ महीने पहिले जो लोग आये हुये थे, उनसे आपका मतलब है?

श्री शिवप्रसाद नागर—जी हां। उन्हीं से मतलब है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस जगह के ऊपर वह बस गये हैं उन जगहों पर पुरानी आबादी के चिन्ह मौजूद हैं। वहां से उन परिवारों के मेम्बर भी आये जो कि यहां पर माननीय मंत्री महोदय को यह दरख्वास्त दी कि उन्हें वहां बसने दिया जाय लेकिन वन विभाग उन्हें आज वहां से उजाड़ने पर तुला है। वन विभाग की रिपोर्ट हमारे माननीय मंत्री महोदय

[श्री शिवप्रसाद नागर]

के पास आई, उन्होंने उस पर हुक्म दे दिया कि उन्हें उजाड़ दिया जाय। उन परिवारों के प्रतिनिधि भी यहां आये। उनको हमारे मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि पहले उनसे कहो कि वे उजड़ जायं, पहले उनसे कहो कि वह जगह खाली कर दें। हम आप से पूछना चाहते हैं, और आपके द्वारा सदन से यह कहना चाहते हैं कि क्या उनके लिए जमीन और आसमान के बीच में कोई भी ऐसा स्थान है जहां पर यह पहले उजड़ कर बस जायं? यदि ऐसी व्यवस्था हमारे देश में हो रही है तो क्या हम इसको कल्याणकारी राज्य कहेंगे? क्या यही कल्याणकारी राज्य है?

इसके अतिरिक्त जहां पर राज्यपाल महोदय ने गन्ने की पैदावार के ऊपर संतोष प्रगट किया है वहां पर हम आपको यह भी बता दें कि हमारे जिले खीरी में इस वर्ष पेराई की ताकत से ४६ लाख मन गन्ना ज्यादा पैदा हुआ है। हमारे यहां से डिप्टी कमिश्नर ने एक सेमिनार की मीटिंग में यह बताया था कि हमारे जिले में फैक्टरियों की पेराई की ताकत से ४६ लाख मन गन्ना ज्यादा पैदा हुआ है। ४६ लाख मन गल्ले की बात जब आगे रखी जाती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। कहां पर वह गन्ना खपेगा? कहां वह गन्ना लिया जायगा? उस गन्ने की क्या व्यवस्था होगी? इस गन्ने के विषय में आज नहीं बल्कि तीन चार साल पहले से यह परेशानी बढ़ती चली आ रही है। तीन वर्ष पहले इसी जगह पर, फरधान के इलाके में माननीय मंत्री महोदय गये थे। फरधान की मीटिंग में उनके सामने यह परिस्थिति रखी गयी थी और यह बात आज नहीं हमारे जिले के लोगों ने आज से चार वर्ष पहले यह स्वप्न देखा था कि गन्ने की परिस्थिति भीषण होती जा रही है, उसके लिए कोई मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। खीरी जिले में पलिया के इलाके में जहां पर आपने कालोनाइजेशन की स्कीम चलाई है, उसी जगह पर वहां के किसान अपने गन्ने की सप्लाई से दो आने मन की कटौती कटवा कर पांच लाख रुपया सालाना इकट्ठा करते हैं, सिर्फ एस कारण कि वहां पर एक मिल लगा दी जाय। इस मिल के लगाने के लिए अब तक २० लाख रुपया किसानों ने इकट्ठा कर रखा है और इसके बावजूद भी मिल लगाने की इजाजत नहीं दी गयी।

हमारे माननीय गुप्त जी ने जब खीरी का दौरा किया था, तब ११ मील लम्बे रास्ते में सड़क पर पोस्टर चिपकाये गये थे और उनसे यह कहा गया था कि हम यहां फैक्ट्री चाहते हैं। उनके स्वागत में ७५० फाटक हमारे जिले में बनाये गये थे लेकिन इस सब के बावजूद जब उनकी स्पीच हुई तो लोगों ने निराशा का पत्थर अपने सीने पर रखा और घरों को लौट आये और फैक्ट्री आज तक नहीं लगी। महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ४ फैक्ट्रीज का जिक्र किया है। हम नहीं जानते कि कहां लगेंगी। हम चाहते हैं कि हमारे यहां लगे। हम लोगों ने ५, ५ लाख रुपया हर साल इकट्ठा करके २० लाख रुपया इकट्ठा किया है और चाहते हैं कि कोआपरेटिव बेसिस पर हमको फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी जाय। मगर अभी तक इजाजत नहीं दी गई। साथ साथ हमसे यह कहा जाता है कि आप तो गन्ना ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं, उसकी पैदावार बढ़ रही है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि गन्ना हम नहीं बढ़ाते हैं बल्कि उसकी पैदावार बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। वे मिल मालिकान हैं जिनका लाखों मन गन्ना फार्मों में पैदा होता है। जमींदारी खत्म कर दी गई मगर ७, ८ गांव का चक बना करके मिल मालिकान ने मजरुआ कर रखा है जहां हजारों एकड़ जमीन में गन्ना बोया जाता है और हमारे जिले के मिल मालिकान के एक, एक फार्म में १२ लाख मन गन्ना पैदा होता है। पहले हमारे जिले के मिल फार्मों में ५० हजार या १ लाख मन गन्ना होता था, पर अब वहां इन्हीं मिल मालिकान की वजह से १२ लाख मन गन्ना पैदा होता है। और सरकार के भी दो फार्म हैं, एक अंदेशनगर का मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म और दूसरा मझरा का मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म और इन दोनों के बीच में एक मील का फासला है। इन दोनों के बीच में हरगांव मिल का भी एक फार्म है। तो

पहले सरकारी फार्मों में केवल अनाज होता था लेकिन अब गन्ना होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को कैश क्राप की क्या जरूरत है ? फिर दोष हम पर लादा जाता है कि हमने गन्ने की पैदावार बढ़ा ली। फिर इधर मिल मालिकान को गन्ना पैदा करने की इजाजत देना और किसी फैक्ट्री का इंतजाम भी न होना, जब कि वहां के लोग रुपये से भी तैयार हैं, मैं कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार इसको कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता।

इसके अलावा कुटीर उद्योगों के बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हमने काफी प्रगति की है। मैं अपने जिले के बारे में पूछना चाहता हूं, और आप कहेंगे कि अपने ही जिले की बात क्यों कर रहे हो, तो वह इसलिये कर रहा हूं कि हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। जहां मुरादाबाद की कलई की बात कही गई वहां पर हमारे जिले के ओयल टाउन एरिया में पीतल के बर्तन भी बनते हैं और ढलाई भी अपने हाथ से करते हैं और जब बर्तन निकलता है तो उसकी खराद भी अपने ही हाथ से करते हैं लेकिन इसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। मुझे ताज्जुब है कि ऐसे उद्योग को नजरअंदाज कर दिया गया है जो हाथों से किया जाता है। इसके लिये अपने भाषण में राज्यपाल महोदय ने कोई ऐसा जिक्र किया है कि जिससे उन्हें भी कोई सहायता मिले।

पंचायतों के बारे में बड़ा संतोष प्रकट किया गया है। इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमने दर्जनों पंचायतों के इलेक्शन कराये हैं और देखा है कि क्या क्या परिस्थितियां गुजरी हैं। अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो आप दांतों के नीचे उंगली दबा लेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर लाठी चली, कत्ल हुए। इलेक्शन के पहले ही एक तरफ विरोधी दल बैठ जाता है, दूसरी तरफ दूसरा दल और इलेक्शन होने के पहले ही यह बटवारा कर लिया जाता है कि कितने कौन किसके पक्ष में है। फिर एक फौरमेलिटी की जाती है कि हाथ उठाकर वोट दो और हाथ उठाकर जब वोट दिये जाते हैं तो परिणाम यह होता है कि जिस शख्स की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जिसकी लाठी बड़ी होती है, जिसका चेहरा रोबीला होता है वही शख्स वोट पाता है और जो सच्चे जन सेवक हैं, वह वोट नहीं पाते। जिसका आतंक होता है वही वहां का सभापति हो जाता है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)--इसीलिए आप यहां आ गए।

श्री शिवप्रसाद नागर--मैं तो आपको यह बताने के लिए आ गया हूं कि आपको गलतफहमी है। आप जान नहीं पाते हैं इस छिछलेपन से, इसलिए मैं उस गहराई से आया हूं आपको बतलाने के लिए जिससे कि आप समझ जायं। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर वोट इस तरह से मिलता है। अगर हाथ उठा कर आप वोट असेम्बली में करायें तो आपको मैं चेलेंज करता हूं, श्रीमान् जी के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज इस सदन के तमाम जितने भी मिनिस्टर और जितने भी एम० एल० एज० हैं, मैं सबको चैलेंज देता हूं इस बात का कि अगर हाथ उठा कर इलेक्शन असेम्बली का कराया जाय तो आप यकीन मानिए इस असेम्बली में ये एक भी सूरत नजर नहीं आयेगी। जिनके हाथ में लाठी होगी, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होगी, जिनका बड़ा बड़ा रोबीला चेहरा होगा, जिनकी बड़ी बड़ी ऐंठी हुई मूछें होंगी, वही आयेंगे। आप लोग एक भी यहां नहीं होंगे। तो इस लिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि इस तरह से पंचायतों के इलेक्शन में आपके यहां क्या हुआ है।

इसके साथ ही साथ, समय खत्म हो रहा है, थोड़ी बातें मैं आपके सामने और रख देना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन को आप देखें। वही बात यहां भी है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन आपने आज तक नहीं कराया। रोज अमेंडमेंट्स आते हैं। आज बारह वर्ष की तपस्या पूरी हो गई है। बारह वर्ष में एक ऋषि वरदान मांग लेता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन आज तक आप नहीं करा पाये हैं। हर साल आप कहते हैं कि उसके लिए हम बिल ला रहे हैं। इसी तरह से अकबर के जमाने में वहां पर भी एक महामन्त्री थे बीरबल। उन्होंने एक ऊंचे से बांस के ऊपर एक हांडी चढ़ा दी और उसके नीचे आग जला दी। बादशाह ने जब बुलवाया तो कहला दिया कि खिचड़ी पक रही है, जब पक जायगी तब उसे खाकर आऊंगा। तो न वह

[श्री शिवप्रसाद नागर]

खिचड़ी पकी और न वह गए। ठीक उसी तरह से बीरबल की खिचड़ी आप भी पका रहे हैं। न वह बिल आ सकेगा और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन हो सकेगा। आज जिस तरह से पंचायतों के सभापतियों का आधिपत्य इन पंचायतों पर है उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एलेक्शन न कराकर आपने जम्हूरियत का खून किया है। अगर कलेजे पर हाथ रख कर आप सोचें तो आपको यह मालूम होगा कि यहां पर जम्हूरियत का किस तरह से खून आपके द्वारा हुआ है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं। जहां पर पुलिस की तारीफ की जाती है और जहां पर पुलिस के बारे में बहुत-सी बातें कही गई हैं वहां पर एक मुकीमपुर मौजे की बात कहना चाहता हूं जहां कि एक थानेदार मारा गया था और क्यों मारा गया था? इस लिए कि वह वहां रिश्वत तलब करने गया था, वहां पर और कोई काम नहीं था। कोई मुकीमपुर के लिए रिपोर्ट नहीं थी, कोई और काम नहीं था। सिर्फ रिश्वत तलब करने गया था और झगड़ा हो गया और मारा गया। उसके जवाब में वहां गोली चली और गोली के चलने के साथ-साथ वहां पर कई बच्चे और औरतें मारी गईं। इस तरह से वहां पर १९ मौतें हो गईं।

*श्री चरणसिंह---श्रीमान् चेयरमैन साहब, यह दो रोज से श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर इस माननीय सदन में बहस हो रही है। हम सब लोगों को इस बात की खुशी है कि अबकी बार अपोजीशन बनिस्बत पहले के अधिक संख्या में आया है। यों हमारी कोशिश कांग्रेस पार्टी की कोशिश तो यह थी कि हम ४३० की ४३० सीट जीतते और बहुत वाजिब कोशिश थी। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानता हूं कि मेरे लीडर और मेरे साथी यह भी जानते थे कि वह इस प्रदेश के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती जबकि कांग्रेस ४३० की ४३० सीट जीत जाती और कोई दूसरे ख्याल का इजहार करने वाला आदमी यहां मौजूद न होता, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र की कामयाबी के लिए यह आवश्यक है कि विचारों का संघर्ष हो, माइंड्स का क्लैश हो और हर पहलू पर, हर समस्या के जितने पहलू हो सकते हैं, वह जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी है उनके सामने आयें। जो मेरे मित्र सामने बैठे हैं उनकी बढ़ी हुई संख्या का मैं स्वागत करता हूं लेकिन अधिष्ठाता महोदय, उम्मीद यह थी कि ऐसे ऐसे लोग जिनके नाम सार्वजनिक जीवन में विख्यात हैं, ख्यातिप्राप्त हैं वे इस हाउस में आये हैं तो अपने प्रदेश की समस्याओं को देखते हुए उनसे हमको ऐसे सुझाव मिलेंगे कि जिन सुझावों पर, अगर उनको कभी गवर्नमेंट बनने का मौका मिला, वे अमल कर सकें। अधिष्ठाता महोदय, मेरे माननीय मित्र कोई बात कहें जो बहुत गैर-जिम्मेदाराना हो और मेरे माननीय मित्र उसको बहुत जिम्मेदाराना और अक्लमन्दी की बात कहें तो उसकी केवल एक ही कसौटी है और वह यह कि अगर मेरे माननीय मित्र ट्रेजरी बेंचेज पर हों तो जितने उनके मतालबात हैं, जितने उनके स्वप्न हैं, जितने उनके लम्बे-लम्बे स्लोगन्स और नारे हैं उन पर आया वे अमल कर सकेंगे? अधिष्ठाता महोदय, जितने भी ४ या ५ लम्बे लम्बे संशोधन मेरे मित्रों की तरफ से पेश किये गये हैं और जो तकरीरें हुई हैं अगर वे इस कसौटी पर कसी जायं, तो--मैं किसी दोस्त का अपमान नहीं करना चाहता--हर्गिज मेरी मंशा नहीं है--अगर मैं यह कहूं कि उन तकरीरों में यह ध्वनि आती थी कि मान लो किसी गांव के बाजार में वे तकरीरें हो रही थीं, तो मेरे माननीय मित्र मुझे माफ करें।

मैं गवर्नमेंट की सार्वजनिक नीतियों के बाबत कुछ थोड़ा बहुत कह तो सकता हूं और अधिकार के साथ कह सकता हूं लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, इतना समय मेरे पास नहीं होगा और मेरे माननीय मित्रों को ही एतराज होगा...

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---हमको नहीं होगा। टाइम ले लीजिये और कहिये आप।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह--उन सबका जवाब सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री दे देंगे। मैं केवल अपने महकमा माल के मुताल्लिक जो बातें कहीं गई हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा एक दो बुनियादी बातें जिन पर सभी लोगों ने कुछ न कुछ कहा है उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मसलन जितने संशोधन पेश हुए हैं उन सब में तीन बातें खास तौर से देखने को मिलेंगी। एक तो यह कि फलां टैक्स कम कर दिया जाय, दूसरे यह कि फलां खर्चा बढ़ा दिया जाय। लेकिन तीसरी बात, अधिष्ठाता महोदय, जिसे हमें तलाश करना चाहिये वह नहीं मिलती। मौजूदा टैक्सेज जो हैं वे घटा दिये जायं और खर्चे अमुक अमुक बढ़ा दिये जायं तो इस खर्चे की पूर्ति कैसे होगी? अधिष्ठाता महोदय, सारे संशोधनों को देखने से उसका कोई जवाब एजेंडे पर नहीं मिलता है और न उसका कोई जवाब किसी तकरीर में ही मिलता है। अधिष्ठाता महोदय, यह है शिकायत मेरी जो लीडर्स आफ अपोजीशन माननीय त्रिलोकी सिंह, श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, माननीय यादवेन्द्र दत्त दुबे और माननीय झारखंडे राय--जिनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या चाहे आठ ही हो फिर भी वह एक लीडर हैं अपोजीशन के--ने रफा नहीं की और यह उम्मीद उनसे नहीं थी। क्या क्या मतालबात हैं? मतालबात यह हैं कि सेल्स टैक्स तो कम कर दिया जाय, आबपाशी घटा दी जाय, मालगुजारी अनएक्नामिक होल्डिंग्स पर माफ कर दी जाय और तीसरे साहब एक कदम और आगे गये हैं, हमारे दुबे जी जनसंघ के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि लगान जो लिया जाता है उसे निस्फ कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र को जब यहां आने का मौका मिला है तो मैं और मेरे तमाम साथी जो यहां बैठे हैं उनको यह जानने में खुशी होगी, दिलचस्पी होगी कि जब वे स्वयं लगान वसूल किया करते थे तो किस दर से वसूल किया करते थे और कभी उन्होंने लगान २५ फीसदी, ५० फीसदी अपने काश्तकारों का घटाया था या नहीं और वह भी कब? आज से २० वर्ष पहले यह लगान मुकर्रर हुए थे और आज शरह एग्रिकल्चरल प्राइसेज चौगुनी हो गई है। खैर, यह जानकर खुशी हुई कि आज पुराने राजा लोग इस नये वातावरण में प्रोग्रेसिव हो गये हैं।

एक साहब की तरफ से यह भी मतालबा है, गालिबन यह भी उन्हीं की तरफ से था कि बिजली कर में कटौती कर दी जाय, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज भी घटा दिये जायं। तो यह तो घटाने की बात है और खर्चे की, १०० रुपये से तनख्वाह कम किसी सरकारी कर्मचारी की नहीं होनी चाहिये। यह भी एक मतालबा है, दूसरा यह है कि शिक्षा हाई स्कूल स्टैन्डर्ड तक निःशुल्क होनी चाहिये। तीसरी बात यह है कि अनएम्पलायमेंट डोल्स होने चाहिये बेकारों की सहायता के लिए, यानी बेकारों को गवर्नमेंट की तरफ से माहवारी रुपया देना चाहिये, पेंशन देनी चाहिये। आगे बढ़ने के पहले मैं कम से कम जिस मेम्बर ने यह सुझाव रखा है--माननीय कृष्णदत्त जी पालीवाल, बदकिस्मती से वे इस वक्त मौजूद नहीं हैं--उनके सम्बन्ध में बता दूं कि उन्होंने ब्रिटेन और अमरीका का बजट बहुत बारीकी के साथ पढ़ा है और अपना बजट इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा, क्योंकि बजट में केवल खर्चे की ही बात नहीं होती, आमदनी की भी होती है। उन्होंने खर्चे पढ़ लिए, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के और उन बजटों के खर्चे यहां घटाना चाहते हैं। मैं इकरार करता हूं कि वह सच्चे माने में प्रोग्रेसिव पार्लियामेंटरी पार्टी के नेता हैं। आगे कहा गया कि हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिये, यह भी ब्रिटेन से लाया गया। और चौथे एक मित्र ने गालिबन हमारे राजनारायण जी ने कहा कि मकान बाढ़ के सिलसिले में गिर जाते हैं खादर में या कछार में, वह सब गवर्नमेंट अपनी तरफ से बनवाये।

अधिष्ठाता महोदय, मतलब यह है कि खर्चे बढ़ा दिये जायं और आमदनी घटा दी जाय और मैंने जैसा कहा कि एक लफ्ज सारे संशोधनों में, तकरीरों में यह नहीं है कि आमदनी का फलां यह सोर्स टैप किया जाय। अध्यक्ष महोदय, और बातों की बहस में न जाकर मैं सैलरी की बात लेता हूं। आज हमारे सूबे के अन्दर ५० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले जो लोग हैं उनकी तनख्वाह मय भत्ते के ९.९३ करोड़ रुपये होती है और मय भत्ते के १९५३-५४

[श्री चरण सिंह]

की सारी स्टेट की सैलरीज २३.२८ करोड़ रुपये होती है। अब ९.९३ करोड़ रुपये रुपया ५० रुपये से कम तनख्वाह पाने वालों का ऐग्रीगेट है, उनके कुल खर्चे का। तो अगर ४० रुपये की औसत तनख्वाह मान लें तो उनका सुझाव यह है कि जो मेम्बर यह कहते हैं कि सौ रुपया तनख्वाह कर दी जाय, तो २५ करोड़ रुपया यह खर्चा हो जायगा और जो लोग तनख्वाह पा रहे हैं ५० रुपये से सौ रुपये तक, उनकी कुल तनख्वाह है ५.९५ करोड़, ६ करोड़ इसको मान लीजिये। तो अगर उनकी तनख्वाह औसत में ६६ रुपया मान लें और ड्योढ़ा कर लें तो ६ ड्योढे ९, इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह से कुल मिलाकर १८ करोड़ रुपया ज्यादा खर्च होगा। यह १८ करोड़ कहां से आयेगा? जैसा मैंने कहा उसके लिये किसी भी तकरीर या संशोधनों से कोई जवाब नहीं मिलता है।

श्री त्रिलोकीसिंह—यह आपको मालूम है कि रूल्स के मुताबिक अपोजीशन को यह हक नहीं है कि वह बजट में आमदनी बढ़ाने के लिए कोई संशोधन लाये, यह तो गवर्नमेंट का काम है।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह अजीब बात मालूम हुई कि संशोधन अगर नहीं लाया जा सकता तो तकरीरों में भी कोई सुझाव नहीं दिया जा सकता।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैंने कहा कि अमेंडमेंट के जरिये नहीं किया जा सकता।

श्री चरणसिंह—तकरीरों में तो हो सकता था। अधिष्ठाता महोदय, जबान है, जो चाहें फरमाया जा सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, कौन आदमी ऐसा नहीं है जिसके पहलू में गरीबों के लिये दर्द नहीं है। हमारे जो मित्र दूसरी तरफ बैठे हैं जिनके पहलू में गरीबों के लिये दर्द है तो कौन से मित्र ऐसे बैठे हैं जिनके बाबत यह खयाल किया जा सकता है कि उनके पहलू में भी इस गरीब सूबे के गरीब निवासियों के लिये दर्द नहीं है? हम सब चाहते हैं कि सबको रोटी मिले और केवल रोटी ही नहीं बल्कि फल और दूध मिले। हम सब चाहते हैं कि सबको कपड़ा मिले और अच्छे से अच्छा कपड़ा मिले और कोई भी आदमी बिना कपड़े के न रहे। हम सब चाहते हैं कि सबको अच्छे से अच्छे मकान मिलें, मरदाने अलग हों और जनाने अलग हों। हम सब चाहते हैं कि हमारे यहां के सब लोग शिक्षित हों।

एक साहब मिसाल दे रहे थे जो अल्मोड़े से आये हैं कि शिक्षा निःशुल्क हो जानी चाहिये, लेकिन निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट इसलिये नहीं करती है कि अगर सब लोग पढ़ लिख जायंगे तो शायद यह गवर्नमेंट कायम न रहे। अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मैंने कहा वह बहुत दूर की कौड़ी लाये। उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डाला और इस नतीजे पर पहुंच गये। अधिष्ठाता महोदय, कौन नहीं चाहता कि सब लोग पढ़े लिखे हो जायं। अगर सब लोग पढ़ लिख जायं तो मेरे दोस्त जो गलत नारे लगाकर, गैर-जिम्मेदारी की बातें कह कर आये हैं तब शायद उनकी तादाद २५ फीसदी ही रह जायगी। हम सब चाहते हैं कि हमारे यहां शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो, लेकिन पैसा कहां से आये? हम सब चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हो जाय, जो लोग रोग से पीड़ित हैं उनका गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त इलाज होना चाहिये। जब हमारे पुत्र, पुत्रियां, माता, पिता, भाई, बहन, बीमार होते हैं तो कौन चाहता है कि वह रोग में मुब्तिला पड़े रहें और उनका इलाज न हो सके?

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक यूटोपिया वाली बात है, स्वर्ग का नक्शा खींचने की बात है, यह लोगों के दिमाग की बात है।

'It does not take a Legislator to do so. It does not take even an educated man to do so'

इसमें कोई पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। हर बोलने वाला, हर आदमी अगर उससे पूछा जाय कि तुम क्या चाहते हो तो जितनी तकरीर जनाब की तरफ से हुई है, उनसे बेहतर तकरीर कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय खत्म हो रहा है, लेकिन विरोधी पार्टी के लोग चाहते है कि आपको और सुना जाय, इसलिये मैं १५ मिनट और बढ़ा देता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह—अधिष्ठाता महोदय, हम आपके बहुत मश्कूर हैं। हम इस्तदुआ करते हैं कि इनको एक घंटे का और समय दे दिया जाय क्योंकि हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है, बोलना, तहजीब, तमीज वगैरह।

श्री अधिष्ठाता—मैं आपको आध घंटे का समय और दे सकता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह—वैसे अक्ल की बात कहने के लिये दो मिनट ही काफी है लेकिन आप के लिये एक घंटा, दो घंटा कितना भी समय दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—मैं आध घंटे से ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं।

श्री चरणसिंह—मैं समझता हूं कि माननीय मित्र ने जो कुछ कहा है और शुरू में जो उन्होंने औफर किया है उसको बैक आउट न करें। मैं उनको पढ़ा तो नहीं सकता हूं लेकिन गलतफहमी दूर कर सकता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं टैक्सेशन की बाबत इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क का निर्माण करना है या किसी भी देश का निर्माण करना होता है तो उसके लिये साधन की आवश्यकता होती है। यह पहला ऐक्जियम है और दूसरा ऐक्जियम यह है कि वह साधन इन्हीं गरीब लोगों से आयेंगे और जब साधन इन्हीं लोगों से आयेंगे तो तीसरा ऐक्जियम यह है कि इन्हीं लोगों को समझा बुझा कर इनमें आशा का संचार करके रुपया लेना है। मेरे कुछ मित्र उधर सामने बैठे हैं जिनके दिमाग में कुछ पड़ोसी मुल्क ही बसे हुये हैं और इन पड़ोसी मुल्कों में क्या तरीका है? उन मुल्कों में तरीका यह है कि किसान को ठूंस दिया गया है कोआपरेटिव फार्म में और मुल्क को बिल्ड अप करने के लिये जितने रुपये की जरूरत है उसका बेहतर हिस्सा उन किसानों से ले लिया जाता है लेकिन शर्त यह है कि वह किसान उफ नहीं करेगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—ये मुल्क कौन हैं?

श्री चरणसिंह—मेरे माननीय मित्र जो मेरठ से तशरीफ लाते हैं वे पूछते हैं कि वह मुल्क कौन है? वह मुल्क कोई नये नहीं हैं। वह तो ओल्ड लव्ज हैं मेरे माननीय मित्र के जिनको तीन महीने पहले वे स्वर्ग समझा करते थे। वे हैं यू० एस० एस० आर० और चायना, मैं साफ कहता हूं। वहां एलेक्शन नहीं होते इस प्रकार के जिसमें गवर्नमेंट की पालिसीज का कोई क्रिटिसिज्म किया जा सकता हो। कांस्टीट्यूशन है सन् १९३५ का जिसको स्टालिन का कांस्टीट्यूशन कहा जाता है। उसके मुताबिक केवल कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी खड़ा होगा, मुखालिफ किसी दूसरी पार्टी का आदमी खड़ा नहीं हो सकता। उसी के लिये 'हां' कहिये या 'न' कहिये। और 'न' कहने से फायदा क्या है, दूसरा कैंडिडेट नहीं है। लिहाजा मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई एलेक्शन नहीं, कोई एलेक्शन कम्पेन नहीं, गरीब किसान या मजदूर को कोई मौका नहीं है कि गवर्नमेंट की पालिसीज पर तनकीद कर सके। तो इस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को बिल्ड किया। उनका तरीका उनको मुबारक। मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता। इस तरह से वे किसानों से वहां पैसा वसूल करते हैं और कोई चूं तक नहीं कर सकता।

आचार्य दीपंकर—अधिष्ठाता महोदय.....

श्री चरणसिंह—आई रिफ्यूज टु ईल्ड, सर।

आचार्य दीपंकर—क्या किसी मित्र राष्ट्र के बारे में इस तरह की बातें कहना उचित है ?

श्री चरणसिंह—मैं बैठा नहीं, यह क्या कोई प्वाइंट आफ आर्डर है ?

आचार्य दीपंकर—हां, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर था ।

श्री चरणसिंह—इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज की बाबत मैं कह सकता हूं, मुझको पूरा अख्तियार है । तो यहां हमको लोगों से ही पैसा लेना है लेकिन पूरी डेमोक्रेसी से । अधिष्ठाता महोदय, यहां गलत बात कहने का अधिकार नहीं है । यहां तो कभी कभी गांव वाले हमसे पूछते हैं कि यह गवर्नमेंट कैसी निकम्मी है, जवाहरलाल को फलां आदमी गाली दे रहा था, वह लाल या पीली टोपी लगाये था और मिनिस्टर के मुंह पर कह गया था लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । हमारा वह भोला किसान भूल जाता है कि जो कांस्टीट्यूशन हमने इस डेमोक्रेटिक मुल्क में बनाया है उसमें अधिष्ठाता महोदय, गलत बात ही कहने का अधिकार नहीं है, बल्कि झूठा प्रचार करने का बिल्कुल अधिकार है । अगर गलत बातें कह कर, लोगों को मुबालिगे में डाल कर लोग यहां आये हैं, चाहे वे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों तो इस देश का भविष्य अच्छा नहीं है । बातें हम सबको वह करनी चाहिये कि अगर परमात्मा करे या न करे पावर हमारे हाथ में आ जाय तो हम उन बातों पर अमल कर सकें । वरना डेमोक्रेसी इज इन डेन्जर इन दिस कंट्री ।

खैर, ये तो दूसरी बातें हुईं । रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बाबत जो बातें कही गयीं उसमें दूसरी तरफ बैठे हुये कानपुर के बलवान सिंह साहब ने कह दिया कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अरबन के लिये कहा था ।

श्री चरणसिंह—जी नहीं, आप भूल गये । उन्होंने ४० करोड़ रुपये का भी जिक्र किया था । उनको पता नहीं । अब वे यहां तशरीफ लाये हैं, बजट देखना पड़ेगा । अभी तक तो उन्होंने खर्चे ही खर्चे की बातें देखीं, जब बजट आयेगा तो वह देखेंगे कि वह ४० करोड़ रुपया खो नहीं गया ।

फिर कहा गया कि किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं बनाया गया । मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये बातें सुन कर । हां, गांवों में यह बात कहते तो शायद समझ में आती, लेकिन यहां कह रहे हैं कि किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं हुआ । क्या कोई यह कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं हुआ ? फिर कहते हैं कि कानून को बार बार बदला गया । यह ठीक है कि कानून बदला गया, लेकिन जो कदम पहले उठाया गया था वह रिट्रेस नहीं किया गया । कदम को आगे बढ़ाया और पूरी जो पिक्चर थी उसको लाया गया । (करतल ध्वनि)

अधिष्ठाता महोदय, बलिया के बाउन्डरी डिस्प्यूट के बारे में माननीय गौरीशंकर जी जो बलिया से तशरीफ लाये हैं उन्होंने कहा है । बहुत अच्छे ढंग से कहा है और मैं उनको उनके तकरीर के ढंग पर मुबारकबाद देता हूं लेकिन अगर मैं उसकी तफसील में जाऊंगा तो बहुत देर हो जायेगी । अगर वे मुझे अपने कमरे का नम्बर बतला दें तो मैं खुद उनके कमरे में हाजिर हो जाऊंगा और उनको समझाने की कोशिश करूंगा । सदन की इत्तिला के लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू मैनुअल के चैप्टर ७ देखने की कृपा करें तो उन्हें कुछ थोड़ी सी रोशनी मिल जायगी । इसके अलावा जो और बातें हैं वह मैं उनसे जबानी अर्ज कर दूंगा क्योंकि वक्त की कमी है ।

हां, एक बात कही गई है जिसका जवाब देना जरूरी है और वह यह है कि उन्होंने कहा कि वहां के किसान बहुत उत्सुक नहीं हैं कि वे बिहार में रहें या उत्तर प्रदेश में, लेकिन सीमा का निर्धारण हो जाना चाहिये। अगर किसान उत्सुक नहीं है कि वे उत्तर प्रदेश में रहें तो सीमा निर्धारण का सवाल उठता नहीं था। वैसे नियम है कि जहां धूर धार बहती हो वह हिस्सा उत्तर प्रदेश में, बाकी उसके पार बिहार में। वैसे जहां नदियां काट रही हैं वहां के गांव जितने हैं वे उत्तर प्रदेश में रहें या बिहार में चले जायं यह प्रश्न है। माननीय गेंदा सिंह जी सामने बैठे हुए हैं। वे भी बिहार से मिले हुये जिले के रहने वाले हैं। यहां कई बार जिक्र हो चुका है और उनको साफ-साफ मालूम होगा कि माननीय गेंदासिंह जी बिहार में अपने जिले को किसी भी शर्त पर मिलाने के लिये तैयार नहीं हैं। सब जानते हैं कि हर किसान वहां का चाहता है कि उत्तर प्रदेश में रहे।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय नारायण दास जी साकिन फैजाबाद ने कहा है कि मालगुजारी दो आदमियों से वसूल कर ली जाती है। इसके मुताल्लिक मुझे अर्ज करना है कि ऐसी कोई गलती हो गई हो तो वैसे १० अक्तूबर सन् ५५ को यहां से गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सरकुलर गया इस उद्देश्य से कि एक-एक एकड़ के किसान, छोटे-छोटे गरीब किसान जिनको अख्तियार था और जिनका नाम १३५६ फसली में दर्ज था और वह जमींदार और पुराने असली काश्तकार के दबाव में आकर यह कह दे कि वह जमीन उसके कब्जे में कभी नहीं थी तो हमने कहा कि अगर वह मालगुजारी नहीं देना चाहता है तो न दे। इतना उनका हमने सालिसिट्यूड किया। उसके लिये तो इतना लम्बा चौड़ा सरकुलर किया गया है। कुछ लाख रुपये मालगुजारी बिना वसूल हुये पड़ी है। हमने इतना ख्याल रखा और इसके बावजूद गलती से कोई बात हो गई हो तो दूसरी है लेकिन यह कि जबरदस्ती वसूल किया गया यह नामुमकिन बात है।

अधिष्ठाता महोदय, कहा गया कि लेखपाल को तफसील के खाने में नाम वगैरह दर्ज करने का अख्तियार है लेकिन वह नहीं होता। अधिष्ठाता महोदय, न मालूम कितनी बार इस सदन में समझाया जा चुका है कि अब उसको कोई अख्तियार ज्यादती करने का नहीं रह गया है, बशर्ते हमारे गांव वाले कानून और कायदे को समझें। बशर्ते कि गांवों में पंचायतों के प्रधान पंचायत राज्य अधिनियम को पढ़कर सुनावें और बशर्ते आप मुझे माफ करेंगे कि जितने हम सब लोग जनसेवक हैं वे कायदे और कानून अपने गांव वालों को समझावें तो रिमार्क्स कालम में गलती होने की सम्भावना ही नहीं रह जावेगी।

अधिष्ठाता महोदय, एक माननीय मित्र ने यह भी कहा कि साहब जब लेखपाल से नकल लेने के लिये जाते हैं तो वह रुपया लेता है। न मालूम इसके लिये कितनी बार समझाया जा चुका है। लेखपाल को आठ आने नकल लिखाने के दो, अगर उस आठ आने के बाद वह नकल नहीं देता तो जाओ पंचायतों के प्रधान के पास। उसको अख्तियार है कि वह हुक्म दे लेखपाल को कि ये आठ आने लो और नकल दे दो और अगर इस पर भी सभापति के हुक्म से भी नकल न दे तो सभापति को अख्तियार है कि तहसीलदार को रिपोर्ट करे और तहसीलदार से उसको सजा मिलेगी कि उसने सभापति के हुकुम से आठ आने में नकल नहीं दी। अगर यह कायदा नाकिस है और कोई तरीका इसके लिये निकल सकता है तो माननीय राजेन्द्र सिंह जी या कोई और सज्जन हों, अगर मुझे कोई सुझाव देंगे और कोई बेहतर तरीका निकल सकता होगा तो उसे अख्तियार करने में मुझे खुशी होगी। सभापतियों को बड़े-बड़े अख्तियार देने की बात कही गई है, जिनको कि वक्त नहीं है बतलाने का, लेकिन हमने यह अख्तियार दिया है और आप कहते हैं कि वह अमल नहीं करते। तो आप देखें कि कहीं रिश्वत देने की जगह नहीं है। यह सब बातें अखबार में, पंचायत राज पत्रिका में निकाली जा चुकी हैं, गांव पंचायत मैनुअल में भी निकल चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कमी है तो उसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट का कोई कुसूर नहीं है। यहां कुल १८,००० लेखपाल हैं जिनमें से हमने ३,७०० को सजा दी थी और आप क्या चाहते हैं, कितनी सजा दें? नुक्ताचीनी करना आसान बात है, आप सुझाव दीजिये कि क्या करना चाहिये?

[श्री चरणसिंह]

अधिष्ठाता महोदय, अधिवासियों की बाबत कहा गया। एक साहब बंशीधर शुक्ल जी आये और उन्होंने किसी गांव की खतौनी को ही पढ़ना शुरू कर दिया। मैं समझता था कि यह लेखपाल का ही काम होगा लेकिन पढ़ना उन्होंने शुरू किया। तो उसके बारे में हमने अपने डिप्टी कमिश्नर से मालूम किया। मालूम यह हुआ कि एक गांव में चार बड़े बड़े किसान हैं। वह ४०—४० एकड़ पर खेती करते हैं और ज्यादातर जमीन उनकी खाली पड़ी हुई है और १३ छोटे-छोटे किसान हैं जिनमें से चार के पास १० एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन है और ९ के पास १० एकड़ से कुछ कम जमीन है। तो उनकी जमीन एक्वायर कर ली जा रही है ताकि कालोनाइजेशन के काम में आसानी हो और वह जमीन चाहेंगे तो उतनी ही जमीन उनको ट्रेक्टनाइजेशन करा कर दे दी जायगी। लेकिन उनकी जमीन स्कैटर्ड है और उससे हमारे कोलोनाइजेशन के काम में दिक्कत आती है, ब्लाक नहीं बन पाते और ट्रैक्टराइजेशन करने में भी दिक्कत होती है इसलिये उनसे नेगोशियेशन्स चल रहे हैं और बेदखली नहीं हो रही है। जहां तक शिकमी लोगों की बेदखली का ताल्लुक है, जगन्नाथदास जी ने भी कुछ ऐसी बात कही थी। लखीमपुर खीरी के बारे में यह भी कहा गया कि वहां के सारे शिकमी बेदखल हो गये। आज माननीय जगन्नाथप्रसाद जी विरोध में बैठे हुए हैं कल तक कांग्रेस के एम० एल० ए० थे, आज उधर बैठे हुए हैं.....

श्री त्रिलोकीसिंह—चुन कर आये हैं, अपने हक से बैठे हुए हैं।

श्री चरणसिंह—चुने जाने की नहीं, मैंने बैठने की बात कही है। बात बात में जरा सा फर्क है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था अधिष्ठाता महोदय, कि माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी इस बात के शाहिद होंगे कि लखीमपुर खीरी में शिकमी किसानों की कितनी हिफाजत की गई और उन्होंने उसमें कितना योगदान किया। लखीमपुर खीरी में जो शिकमियों के नाम दर्ज थे ३० जून, १९५० तक उनके पास कुल एरिया था ५४,६७१ एकड़। और इस जमीन में से जितनी जमीन पर वह सीरदार दाखिल किये गये हैं उसका एरिया है करीब ५०,००० एकड़ के। अब यह पूछा जा सकता है कि यह ४,४०० एकड़ के एरिया के किसान बेदखल कर दिये गये क्या? उसमें यह हुआ है कि इस जमीन पर जो दर्ज थे वह डिसएबिल्ड लोगों के अधिवासी थे और इस लिये ये लोग अधिवासी करार दिये गये। तो उन फीगर्स से यह बात साबित नहीं होती कि वहां कोई बेदखली हुई है। यही आंकड़े फैजाबाद के हैं।

अधिष्ठाता महोदय, सूबे की ज्यादा से ज्यादा जमीन किसानों के पास महफूज कर दीगई है, उनको उस पर परमानेन्ट राइट्स दे दिये गये हैं बावजूद इस बात के कि उनमें से हजारों, लाखों लोग ऐसे थे कि जो किसी दबाव या असर की वजह से अपने अख्तियारों से इन्कार करते थे। अगर एक भी गरीब किसान की बेदखली होती है तो मैं यकीन दिलाता हूं और उधर के मित्र भी वाकिफ हैं कि सारी गवर्नमेंट की मशीनरी हिल जाती है उनकी हिफाजत करने में ऊपर से लेकर नीचे तक। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई बात कही जाय तो यकीन के साथ और आधार पर कही जाय और अगर कहीं किसी किसान के साथ ज्यादती हो गई हो तो मुझे उससे हमदर्दी है और उसको मिटाने की पूरी कोशिश की जायगी उस हद तक जहां तक कि हमारा कांस्टीट्यूशन और ला कोर्स इजाजत देता है।

अधिष्ठाता महोदय, अब एक बात यह कही गयी कि मालगुजारी को माफ कर दिया जाय। मालगुजारी १०, १२ वर्ष पहले ४७ फीसदी हमारे रेवेन्यू की होती थी लेकिन जब जमींदारी का अबालिशन हो गया तो जमींदारी विनाश के बाद उसका ११ फीसदी अनुपात हो गया। कबालिशन के बाद बेसिक २२ फीसदी अनुपात है हमारे टैक्स का यानी रेवेन्यू का तो जहां तक हम उसको २२ फीसदी देखते हैं वहां हमको उसमें से ८ करोड़ रुपया सालाना मुआवजे का देना पड़ता है और पुनर्वास अनुदान के रूप में देना पड़ता है। मैं उसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ८ करोड़ रुपया हमको मुआवजे और पुनर्वास अनुदान का देना पड़ता है

और यह हमको ३० साल तक देना पड़ेगा। जो अनुपात के आंकड़े आपको दिखाई देते हैं वह रियल नहीं है। यह रुपया एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से उन लोगों के पास ही चला जाता है।

यह कहा जाता है कि जब नान एग्रीकलचरिस्ट से तीन हजार रुपये तक कोई टैक्स नहीं लिया जाता तो फिर छोटे-छोटे किसानों से क्यों यह टैक्स लिया जाता है। मैं इस दलील में बड़ा जोर देखता हूं। यह बात बिलकुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल तस्वीर की कसौटी पर यह दलील सही नहीं उतरेगी। कहने को तो यह बात बहुत अच्छी लगती है लेकिन हमें अभी अपने मुल्क को बनाना है और उसके लिये रुपये की आवश्यकता है। हर आदमी के लिये जरूरी है कि वह उसमें कन्ट्रीब्यूट करे। हमारे इस देश में जहां खेती करने वालों की तादाद ७० फीसदी है और हर आदमी को उसमें अपना कुछ कन्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिये आसान रास्ता यही है कि किसके पास जमीन कितनी है। यह लगान जो मालगुजारी के रूप में आज लिया जाता है यह वही है जो कि डिप्रेशन के जमाने में मुकर्रर हुआ था जिस समय सैटिलमेंट हुआ था उस समय यह लगान स्थिर किया गया था। सन् १९०१ से १९०५ तक जो एग्रीकलचरल प्रोड्यूस के रेट थे उनका अंदाज करके कि किसान की आमदनी इतनी होती है उसका एक बटा पांच रखा गया था। आज एग्रीकलचरल प्रोड्यूस की प्राइस सन् १९०१ और १९०५ के मुकाबले में चौगुना है जो रेवेन्यू का एक पन्द्रह और एक बीस का अन्तर रखती है। फिर यह कहा जाता है कि जो अनइकानामिक होल्डिंग हैं उनकी मालगुजारी माफ कर दी जाय। लेकिन हालत क्या है? जो पहले प्राइस इन्डेक्स था उसमें आज कितना अन्तर है? मालगुजारी का बोझ उस काश्तकार पर उतना है या नहीं यह देखने की बात है। आज उतना बोझ नहीं है। अगर आज सैटिलमेंट करा दिया जाय और पुराने रेट के मुताबिक कर दें तो किसानों का बोझ बढ़ जायगा।

प्लानिंग कमीशन की बात कही जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्लानिंग कमीशन की जो सिफारिश थी उसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार के विषय में बहुत आगे गया है पीछे नहीं गया है। प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एक बटा पांच से ज्यादा मालगुजारी का बेसिक रेट न हो लेकिन यह तो एक और पन्द्रह का अन्तर है। इसके अलावा जो अनइकानामिक होल्डिंग की माफी की बात है और सवा छः एकड़ को अनइकानामिक होल्डिंग को मान लेते हैं तो फिर मालगुजारी नाम मात्र को रह जायगी। इसलिये मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको माफ कर दिया जाय। जिस किसान के पास जमीन है उसे हमें मकान, कपड़ा और खाने को भी देना है। तो अगर हम सवा छः एकड़ कर दें तो शायद ८० फीसदी मालगुजारी माफ हो जायगी। फिकटीशस पारटीशन्स होंगे और प्राइमोजैनेचर का ला बनाना होगा। यह सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर उनका यह मंशा है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी कभी होगी ही नहीं और केवल क्रिटिसिज्म ही करना है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

कोआपरेटिव फार्मिंग की बात सही कही गई। उसके हक़ में यह गवर्नमेंट है और मैं भी हूं। लेकिन जिस प्रकार की बात माननीय दीपंकर जी ने कही वह हो सकती है एडवान्स्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स सोसाइटी की बात हो। उन्होंने ९१ परसैन्ट की बात चाइना में कही। लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग में और इसमें जो हो रहा है, एक भी अन्तर नहीं है सिवाय शब्दों के। दीपंकर जी कहते हैं कि रशियन कलेक्टिव फार्मिंग इस देश में और प्रदेश में कायम कर दी जाय। रशियन कलेक्टिव फार्मिंग और एडवान्स्ड कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी जिनमें ९० परसेंट चाइनीज हो गये हैं, उनकी फाइनल फार्म में कोई अन्तर नहीं है। हां, कोआपरेटिव फार्म जिसकी हमारे प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंडेशन की है उसमें और इसमें थोड़ा सा अन्तर है। खैर, देखना केवल यह है कि उसके बाबत दो राय नहीं हो सकती हैं। लेकिन हमको तो सिर्फ यह कसौटी रखनी है कि आया जमीन के ज्वाइन्ट मैनेजमेंट से

[श्री चरणसिंह]

पैदावार फी एकड़ बढ़ जायगी, दूसरे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और क्या जनतंत्र की प्रवृत्ति प्रबल होगी या निर्बल होगी। इन ३ कसौटियों पर जो बात उतर जायगी वह गवर्नमेंट बड़ी खुशी से स्वीकार करेगी।

लैन्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई। अब तो दो ही नारे रह गये हैं, भूमि वितरित की जाय और मालगुजारी माफ की जाय। इसके पक्ष में और विपक्ष में भी दलीलें तो बहुत सी मैंने सुनी हैं लेकिन कल एक कानपुर से आने वाले मित्र की दलील सुनकर मैं अवाक् रह गया और जबान से कुछ नहीं कह सका। एक बात माननीय गेंदा सिंह जी को लिखकर जरूर भेजी। उन्होंने कहा कि खलियानों और देहातों में कानपुर जिले में जो आग लग रही है वे केवल इसलिये कि कानपुर में भूमि वितरण नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि इसका कोई संबंध बैठता है या नहीं। लेकिन मेरी अक्ल में नहीं आया। देवरिया में भी २,३ गांवों में आग लगी और गेंदासिंह जी ने लिखा कि इसमें कुछ मदद करवाओ। मैंने उनसे पूछा कि ये आग भूमि वितरण न होने के कारण लगी हैं या खाना पकाते समय झोपड़ी में आग लग जाने से। उन्होंने कहा कि नहीं देवरिया में एक दूसरे किस्म की आग लगी है। मैं सिद्धांततः भूमि वितरण के हक में हूं। मेरी गवर्नमेंट जिस राजनैतिक दल से वास्ता रखती है वह भी उसके हक़ में है और आरडेन्टली है। लेकिन मेरा विश्वास है कि मौजूदा स्थिति में अगर भूमि वितरण कराया तो बजाय इसके कि खलियानों और गांवों में आग न लगे, मुझे अन्देशा है कि और ही किस्म की आग उलटे लग जायगी। इसलिये सरकार भूमि वितरण की बात आज नहीं सोचती है। हां, कोई मित्र दलील देकर या कोई मित्र मुझे समझा कर यह बात साबित कर दे कि उससे कोई हित होने जा रहा है तो मुझे कोई गुरेज नहीं होगा भूमि वितरण कराने में।

भूमि वितरण कराने का मतलब यह होता है कि बड़े-बड़े खातों को तोड़ा जाय। मैं यह मानता हूं और मैं उन लोगों में से हूं जो व्यक्तिगत हैसियत से यह विश्वास करते हैं कि बड़े खेतों की पैदावार फी बीघा छोटे खेतों की पैदावार से कम होती है। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि मैकेनाइजेशन से खेतों में खर्चा ज्यादा बढ़ता है क्योंकि बड़े-बड़े फार्म्स पर मैनेजर और मजदूर आदि रखने पड़ते हैं और यह बात डैमोक्रेसी के हक में भी बहुत नहीं पड़ती है। डैमोक्रेसी में आदमी खुद अपने रोजगार का मालिक होना चाहिये ताकि अपने एकोनोमिक स्फीअर से दूसरे की तरफ उसको मुंह न ताकना पड़े। लेकिन देखना यह है कि दुनिया में कोई भी सिद्धांत सिवाय मैथमेटिक्स के हर एक परिस्थिति में एक सा अमल में नहीं लाया जा सकता। मेरी अपनी अक्ल में सिवाय ऐक्जेक्ट सेंस के कि दो और दो मिल कर चार होते हैं, जितने भी उसूल और सिद्धांत हैं, थ्योरीज और मंतव्य हैं उन सब में एक्सेप्शन्स की गुंजाइश रहती है।

इसी प्रकार से जब हम लैन्ड डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल पर आते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखना होगा। अधिष्ठाता महोदय, आसाम को छोड़ कर यू० पी० में किसानों का जो प्रतिशत है वह हाईएस्ट है। आसाम में ७० प्रतिशत हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में ६७.४ प्रतिशत हैं। एक तो यह फैक्ट है और दूसरा फैक्ट यह है कि आसाम और राजस्थान को छोड़कर भूमिहीन और छोटे खातेदारों की तादाद इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कम है। आसाम में १.७ प्रतिशत है, राजस्थान में ३.१ प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में ५.७ प्रतिशत है। दूसरी बात यह है कि सारे सूबों के मुकाबिले में किसानों के घर के पास जितनी जमीन खेती की आती है, वह सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। वह ४.८ एकड़ है। जबकि दूसरे सूबों में ६.३, ५.७, ११.७ और १३.१ है। ये तीनों बातें हैं। अब सवाल यह है कि इन तीनों बातों को सामने रखते हुये हमें यह विचार करना है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन सब को जमीन दे दी जाय तो क्या वह इस सूबे के हित में होगा कि यहां के १०० फीसदी लोग खेती करने लगें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें दो रायें हो सकती हैं, लेकिन मैं इस राय का हूं कि हमारे इस प्रदेश के हक में नहीं होगा कि सब लोगों को हम जमीन पर

डाल दें। यह प्रायः सर्वसम्मत बात है कि जिस देश या प्रदेश में खेती करने वालों की तादाद ज्यादा होगी वह निस्बतन् गरीब होगा उस देश और प्रदेश के जहां खेती करने वालों की तादाद कम होगी।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। केवल आधा मिनट मुझको दे दी जाय। चरण सिंह जी ने यह फरमाया कि हम लोग टैक्सेज बढ़ाने के सिलसिले में संशोधन ला सकते हैं। मैं निहायत अदब से उनसे यह पूछना चाहता हूं कि संविधान या इस सदन के किस नियम के अनुसार यह अधिकार अपोजीशन को है। मैं मशकूर हूंगा अगर वे हमें यह बता दें।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह तो नहीं चाहता कि किसी माननीय सदस्य या माननीय मंत्री जी के दिल को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, बात इस कदर बढ़ गयी है कि सच बात कहे बगैर रहा नहीं जा सकता। अपोजीशन मेम्बरान के मुताल्लिक यह कहा गया कि अगर शिक्षा बढ़ जायगी तो इनमें से एक चौथाई मेंबर नहीं आ सकेंगे। मैं इसकी जिन्दा मिसाल, अधिष्ठाता महोदय, देता हूं। हमारे माननीय माल मंत्री जी जिनकी मैं इज्जत करता हूं और जो मेरे मेहरबान दोस्त हैं पिछली दफा ५ साल पहले कई हजार वोटों से जीत कर आये थे, लेकिन ५ साल में एजुकेशन बढ़ गयी तो वे कुछ सौ वोटों से ही जीत कर यहां आ सके हैं और अगर एजूकेशन बढ़ेगी तो आपको सेकुलरिज्म के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आपने हिन्दूइज्म के नाम पर वोट मांगा, आपका निशान दो बैलों की जोड़ी था। यहां की हिन्दू जनता तथा हरिजन आदि सभी बैल को भगवान शिवजी का वाहन मानते हैं और यहां की हिन्दू जनता का सवर्ण हिन्दुओं का यह विश्वास है कि बैल के सींग पर पृथ्वी माता ठहरी हुई है। इस तरह से सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्म के नाम पर दो बैलों की जोड़ी वाले निशान के नाम पर आपने वोट मांगा जिसकी वजह से आप यहां जीत कर आये। आप दो बैलों की जोड़ीवाले निशान को हटा कर देखें तब मैं दिखला सकता हूं कि आप कैसे जीत कर आते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे मेहरबान दोस्त के दिल में ठेस पहुंचे लेकिन तीन दिन से जो कुछ मैं यहां देख रहा हूं उससे बोलना ही पड़ रहा है। इसमें कोई तीसमारखानी बात नहीं है कि आपने ११६५ लेखपालों को बरखास्त कर दिया, इसमें कोई तीसमारखानी बात नहीं है कि आपने २६ हजार पटवारियों की रोजी छीन ली। आप ४७ रु० ८ आ० माहवार तो तनख्वाह दे रहे हैं और फिर उनसे ईमानदारी की उम्मीद करें, यह कैसे सम्भव हो सकता है। आप एक आदमी को पूरी तनख्वाह दीजिये १०० रु० माहवार दीजिये, फिर देखिये कि वह कैसा काम करता है। अगर आप ऐसा न कर सकें तो एक हफ्ते के लिये अपोजीशन के हवाले यह काम कर दीजिये, वह काम करके दिखला देंगे। मेरे माननीय दोस्त आचार्य दीपंकर जी ने यह कहा था कि अगर दस बारह लाख रुपया की अकेले कैराना तहसील में रिश्वत साबित न हो सके तो वे मेम्बरी से इस्तीफा दे देंगे। मैं इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि आपने न तो इसके लिये कोई इनक्वायरी कमेटी बैठायी और न यह पूछा कि किस पटवारी के हाथ काटे गये, न यह पूछा कि किस पटवारी को मारा गया, न यह पूछा कि किसकी जिन्दगी खतरे में है।

मेरे भाई श्री वीरेन्द्र वर्मा जो कैराना तहसील के रहने वाले हैं और जो कल सत्तारूढ़ दल की तरफ से बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कैराना तहसील में चकबन्दी के संबंध में जो करप्शन है उसको रोकने की मैंने हजारों कोशिश की लेकिन उसे रोक नहीं सका।

श्री चरणसिंह—कभी मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं दी गयी।

श्री यशपालसिंह—मैं अपने टाइम में कह रहा हूं। आप अपने टाइम में कहियेगा। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी जो यहां मौजूद हैं उन्होंने कहा कि बावजूद हमारी हजार कोशिशों के भी चकबन्दी का करप्शन नहीं रुक सका। मैं देवबन्द तहसील का रहने वाला हूं। चकबन्दी की वजह से ही देवबन्द से डिप्टी मिनिस्टर श्री फूलसिंह हार गये।

श्री चरणसिंह—मैं बतलाना चाहता हूं.....

श्री यशपालसिंह—माननीय मंत्री जी अपने टाइम पर बोलेंगे, मैं अपने टाइम में बोल रहा हूं। यह आज के ही मुताल्लिक नहीं है बल्कि जब से डेमोक्रेसी आयी है, जब से जम्हूरियत आयी है तब से आज तक की हिस्ट्री को उठा कर आप देखें तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी कोई रेकर्ड नहीं मिलेगा कि कोई डिप्टी मिनिस्टर इतने भारी बहुमत से हारा हो। डिप्टी मिनिस्टर ठाकुर फूल सिंह आपकी चकबन्दी योजना की वजह से ही हार गये। वह शख्स बहुत भोला था, नेक था, सन् ३७ से लेकर ५६ तक मुतवातिर १९ साल उसने आपकी असेम्बली में खिदमत की है, लेकिन आपकी चकबन्दी का जहर वहां पहुंच गया जिसकी वजह से उस शख्स की आज यह हालत हो गयी जिसकी मिसाल डेमोक्रेसी में कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपसे फिर अर्ज करना चाहता हूं कि जिस पूज्य बापू की आदर्श प्रतिमा के सामने, भव्य चित्र के नीचे बैठ कर हम लोग भाषण कर रहे हैं उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि कोई भी मिनिस्टर ५०० रु० माहवार से ज्यादा नहीं ले सकेगा। उन्होंने क्यों कहा था कि किसी शख्स की आमदनी उस की रोजी से कम न होगी? लेकिन आज यहां पर ४७ रु० ८ आने पर चकबन्दी के लेखपालों को खरीदा जाता है। क्या माननीय मंत्री जी को एक गधे का वेतन मालूम है? १ गधा आज क्या दो रुपये रोज किराये पर मिलता है? इस तरह से गधा ६० रुपया माहवार पर मिलता है और जो सभ्य मनुष्य है, जिस इंसान को इस्लाम में अशरफुल मखलूकात कहा गया है और उस इंसान को जिस को हमारे यहां वेद भगवान में कहा है:

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं
आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति
नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।

और जिस के बारे में ईसाई मजहब की बाइबिल शरीफ में भी लिखा है कि "God made him after his own in age" The best of the Creatio"। जिस इंसान की इतनी गरिमा है उस इंसान को आप ४७ रु० ८ आ० पर खरीदते हैं। इस तरह की मजदूरी देकर आप चाहते हैं कि आप की चकबन्दी ईमानदारी से हो। मेरा खयाल है कि यह हर्गिज नहीं हो सकता। अगर आप ने इन ४७ रु० ८ आ० के लेखपालों से चकबन्दी कराई तो वह एक मखौल होगी और बेचारे किसानों की जमीन जूतियों में बंटकर रह जायगी। इस तरह से तो आप खुद और हालत को बिगाड़ देंगे। जैसे कि शायर ने कहा है कि :

"यह तर्ज अहसान करने का तुम्हीं को जेब देता है।
मर्ज में मुबतला कर के मरीजों को दवा देना।"

आप बतला दीजिये कि किस देश में इंसान की यह कद्र है। जो देश के बाशिन्दे यहां की सम्पत्ति हैं उन को आप ने यह हालत कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं और पंजाब के कांग्रेस मंत्रिमंडल के मुताल्लिक अर्ज करता हूं कि वहां पर केरों की सरकार ने पटवारी का वेतन १०० रुपया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर का ९० रुपया कर दिया है, वह कहां से देते हैं? वहां पर वजीरों को एक हजार पर किस तरह से बांधा गया है? वे ज्यादा भत्ता नहीं ले सकते। मैं काश्तकार हूं और माफ किया जाऊं मैं गरीब किसान का बेटा हूं। जिस्म मेरा इसलिये मोटा ताजा दीखता है कि गुरुकुल में पढ़ा हूं, जहां ४०० साल जिन्दा रहने की बात सिखाई जाती है। मेरे पगड़ी इसलिये बंधी हुई है कि यह बुजुर्गों की देन है। जब अंग्रेजी राज्य था तो मैं ४ बैलों का काश्तकार था परन्तु तथाकथित रामराज्य में अब ३ बैलों का रह गया हूं। इसी तरह से अगर आप उन लो पेड सर्वेंट्स से काम लेते रहेंगे और रोज रखते और बरखास्त करते रहेंगे तो हमारी जमीन बरबाद हो जायगी और किसान की कमर टूट जायगी। केराना में चकबन्दी में जो हिटलरशाही हुई है, वहां पर जो हैलटशाही हुई है, वहां पर जो नादिरशाही

हुई है उसने तो नीदरसोल के मजालिम को भी मात कर दिया। केराना में चकबन्दी में जो कुछ हुआ है उस को दोबारा देवबन्द में वह न होने दें। हम इधर बैठने वाले थोड़े हैं, १४४ हैं, आपके पास मेजारिटी का बल है लेकिन आप मेहरबानी करके मानवता को न भुला दीजिये। सभ्यता के नाम को रहने दीजिये। आपको राज्य का मद है लेकिन हम भी यहां डाक्टर बन कर आये हैं। हम आप के दुश्मन नहीं हैं, आप के विरोधी नहीं हैं लेकिन जब तक कड़वी दवा नहीं पिलाई जाती तब तक शरीर का ताप नहीं मिटता, "कड़वी भेषज बिन पिये मिटे न तन का ताप"।

हम आप को विश्वास दिलाते हैं कि हम आप के मित्र हैं, आप के सच्चे दोस्त हैं और आप के मोस्ट ओबीडिएन्ट छोटे भाई हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि हम जनता पर, किसानों पर, किसी तरह का अन्याय, अत्याचार बरदाश्त नहीं कर सकते। इसलिये मैं आप को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर देवबन्द में केराना के इतिहास को दोहराया गया तो हम उस का डटकर मुकाबला करेंगे। इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी शोभनीय हैं, मैं उनकी विराजमानता में अर्ज करता हूं कि मैं, अगर ऐसा किया गया तो पहली बार उन की कोठी के सामने बापू जी के दिखाये हुये मार्ग पर चलकर २१ दिन का अनशन करूंगा और अगर इस तरह से भी यह मामला साफ न हो सका तो दूसरे नम्बर में आमरण अनशन कर के उनकी कोठी के सामने प्राण दे दूंगा, परन्तु किसान भाइयों को वहां से मिटने नहीं दूंगा। आप ४७ रु० ८ आ० पर लेखपाल को खरीदना चाहते हैं, आप ४८ रु० ८ आ० पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर को खरीदना चाहते हैं, आप ६७ रु० ८ आ० पर क्लर्क को खरीदना चाहते हैं। आप इस खरीदारी को छोड़ दीजिये, जनता देख रही है, आप वजारत के यह भत्ते न लीजिये। जो खाना मजदूर खाता है वही आप भी खाइये, बापू के मार्ग पर चलिये और त्याग-तपस्या की भावना से काम कीजिये जिसकी देश को जरूरत है। आप के लिये यह शोभा नहीं देता कि तीन-तीन हजार और पंद्रह सौ रुपये लेकर, तमाम भत्ते लेकर प्रदेश के कोष के साथ खिलवाड़ करें। अब देश हमारा है, अंग्रेज यहां नहीं है, अगर हम अब भी नहीं समझे तो आजादी का नाम रहने वाला नहीं है। मैं सच कहता हूं अब आप को दूसरा तरीका और रुख अख्तियार करना होगा। जहां तक मेरा संबंध है, मैं अपने प्राणों पर खेल कर अपने कर्त्तव्य का पालन करूंगा। मैं आपका हितैषी हूं परन्तु आप मुझे मुखालिफ समझते हैं--

"जिसे है फिक्र मरहम की उसे दुश्मन समझते हैं,
इलाही खैर हो यह जख्म अच्छा हो नहीं सकता।"

आपको इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। इंसान को बैल बना कर नहीं रख सकते। हम तीस चालीस बीघे के भूखे काश्तकार हैं। हमें अपने भविष्य को हल करना है, हमें अपने भविष्य को उज्जवल करना है। मेरी दरख्वास्त है कि जब आप अपने लिए कोठियां चाहते हैं तो हमें झोपड़ियां तो दीजियेगा। हमारे लाखों शरणार्थी भाई रिक्शा चला रहे हैं। अकेले मेरठ शहर में जहां चौधरी साहब की कोठी थी, माननीय माल मंत्री की कोठी थी, अकेले उस शहर में १,५०० शरणार्थी बच्चे आज रिक्शा खींचते हैं। इंसान इंसान को ढोता है। वह बच्चे जो लखपती थे, जो करोड़ों की सम्पत्ति छोड़ कर आये थे आज रिक्शा खींचते हैं। उनसे रिक्शा किसने खिचाया है? उसके लिये हम लोग जिम्मेदार हैं। हमने उनसे वादा किया था, बापू जी ने हमको मंत्र दिया था, उसी मंत्र को हमने दोहराया। पोस्ट प्रेयर मीटिंग में बापू जी ने वादा किया था, "आई वुड नाट ऐक्सेप्ट दि पार्टीशन आफ इंडिया, ईविन इफ दि होल आफ दि कंट्री वेयर टु गो इंटू फ्लेम्स"। हमने अपने भाइयों के साथ वादा किया था कि जहां हो वहीं बैठे रहो, विभाजन मंजूर नहीं किया जायगा। लेकिन जिन्होंने हमारा आदेश नहीं माना, जिन्होंने गांधी जी के अहकाम को नहीं माना वे बोरिया बिस्तर ले कर आठ महीने पहले चले आये। लेकिन जो हमारे कहने में रहे, जिन्होंने हमारे अहकाम की तामील की वे आज शरणार्थी बने हुये बैठे हैं। जो अपनी कोशिशों से चल कर आये, वे आज बारोजगार हैं, लेकिन जो कांग्रेस का हुक्म मानने में रह गये, वे आज शरणार्थी हैं।

[श्री यशपालसिंह]

कुछ लोग खुद अपनी कोशिश से तूफान की जद से बच निकले, लेकिन कुछ लोग मल्लाहों की हिम्मत के सहारे डूब गये। हमें उन तमाम गरीब किसानों का, मजदूरों का, शरणार्थियों का, उन तमाम लोगों का जो श्रमजीवी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करना है। मेरी यह आप से दरख्वास्त है कि आज उनकी दशा की ओर ध्यान दीजिये।

जब १० मई का जिक्र आया तो आपने कहा कि लूयें शुरू हो जायंगी। ९,१० मई के बाद सेशन नहीं हो सकता। इस बन्द महल में, इस रायल पैलेस के अन्दर १० मई को हम नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन मजदूर इन्हीं गर्मियों के दिनों, नंगे बदन गारा और ईंट ढोता है। उसका आपको ख्याल नहीं आता। हम इस निजाम को बदलने आये हैं। आपका यह ख्याल कि डिवीजन कर दिया, ११२ इधर चले गये और १८६ उधर चले गये। हम सत्याग्रह से तब्दीली करेंगे और इस निजाम को खत्म करेंगे।

श्री देवी प्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, श्री माल मंत्री जी को हम लोगों के भाषणों पर बहुत एतराज है। उनका ख्याल है कि हम लोग उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो अक्सर बाजार में प्रयोग की जाती है। माल मंत्री जी की सूचना के लिये कम से कम हम यह बतला देना चाहते हैं कि विरोधी दल के सभी सदस्य यह प्रण करके आये हैं कि जैसे वे बाजार में बोलते थे, देहात में जिस भाषा और शब्दों का प्रयोग करते थे उन्हीं का प्रयोग असेम्बली में भी करेंगे। यह दूसरी बात है कि हमारे मंत्री महोदय दो तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हों। एक भाषा वह जो ऐलेक्शन मैनिफेस्टो में वह बोलते हैं, वह बाजारों में बोली जाती है और दूसरी यहां पर बोलते हैं जो हम लोगों के सामने कही जाती है। यह बात उनको शोभा देती है। दो भाषाओं का बोलना, दो जबानों से बोलना और दो तरह की बातें करना माल मंत्री को शोभा देता है।

हम असभ्य हैं, देहातों से आये हुये हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम इसी भाषा का प्रयोग करना जानते हैं।

अब एक जिम्मेदारी माननीय माल मंत्री जी ने हमारे ऊपर और सौंपी है कि हम बजट को भी बनाकर उनको दिया करें, इन्कम भी दिखा दिया करें तब वह हमारे प्रस्ताव पर विचार करने के लिये तैयार हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और अगर वह सचमुच सिसियर हैं तो नमूने के तौर पर दो, चार बातें जिन से सरकार की इन्कम बढ़ायी जा सकती है, उनके सामने पेश करना चाहता हूं।

माननीय माल मंत्री जी को मालूम होगा कम से कम कई करोड़ रुपये की लूट चीनी मिलों में चीनी के मालिक कर रहे हैं। उनको मालूम होगा और चंदा मांगते वक्त उनको महसूस भी हुआ होगा। मैं उनकी इत्तला के लिये बताना चाहता हूं कि कपड़े की मिलों में कई करोड़ रुपयों की लूट हो रही है। कानपुर की जो लूट है मंत्री जी को मालूम होगी क्या मैं उनसे प्रार्थना करूं कि अगर इनको ही नेशनलाइज कर दें, ज्यादा नहीं, सिर्फ चीनी की मिलों को और कपड़े की मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लें तो क्या इस तरह से ४०,५० करोड़ रुपये की आमदनी इस सूबे की नहीं बढ़ सकती है, लेकिन यह रास्ता माननीय मंत्री जी को कबूल नहीं है।

श्री चरणसिंह—कांस्टीट्यूशन नाम की एक चीज है उसको पढ़ने की तकलीफ आपने फरमायी है ?

श्री देवीप्रसाद मिश्र—हमने तकलीफ तो नहीं की लेकिन अगर आप बता दें तो समझ में आ जायगी। बात यह है कि आपको वह तरीका पसन्द नहीं है। मंत्री जी चाहते हैं कि तरीका वह अपना ही रखें। कोई बात नहीं हम वह तरीका भी बतलाने के लिये तैयार हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद।

एक बात और हमारे ऊपर गैर-जिम्मेदारी का इल्जाम लगाया गया है। कहा गया है कि हम अपनी भाषा को बदलें। मैं उनसे एक बात जरूर पूछूंगा कि हमारे सदन के कांग्रेसी सदस्य भी वैसी ही भाषा का प्रयोग करने लगे थे, उनको भी बहुत शिकायतें सरकार से हैं। उनको सुनने से मुझे थोड़ा सा एक विचित्र अनुभव भी हुआ। सरकार के आदमी सरकार के विरोध में बोलें। यहां तक उनमें से एक अनुभवी आदमी गौतम जी भी थे जो एक सिरे से विरोधी दल के तरह बोले और सरकार अपनी कुरसियों पर बैठी रही। मैं तो समझता हूं उनको पूरा अविश्वास है। या तो गौतम जी अपने साथी सरकार की निन्दा करना छोड़ दें या मंत्री जी उनके साथ इस आसन को छोड़ कर दूसरे को यह आसन ग्रहण करने दें क्योंकि दो बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। सरकार के आदमी सरकार की निन्दा करें, विरोधी दल का हक छीनें और सरकार को गद्दी पर बैठाये रखें। तो दो भाषायें तो आप ही के यहां चलती हैं, और उस पर सीख हमको दी जाती है। बहरहाल, यह बिल्कुल डेमाक्रेसी के खिलाफ़ है। मैंने ऐसी विचित्र डेमाक्रेसी इस हाउस में तो देखी है। अपने स्कूलों के पार्लियामेंट में भी लड़कों को यह तालीम हम देते हैं कि सरकार के साथ हो तो इस तरह बोलो और विरोध में हो तो इस तरह बोलो और यहां हम उसके बिल्कुल विपरीत देखते हैं। वाह, हमारी समझ में नहीं आता, अनुशासन कहां है, डेमाक्रेसी कहां है? इस हाउस को देख कर के तो मुझे अनुभव नहीं होता कि कौन सरकार का हामी है और कौन विरोधी है। माल मंत्री जी जब हमसे शिकायत करते हैं तो कम से कम अपने बगल में बैठने वाले भाइयों की बातें सुन करके उनकी शिकायतों को दूर कर दें ताकि हाउस में एक तरह की बात सुनने को मिले।

मैं राज्यपाल के भाषण की तरफ आना चाहता हूं लेकिन इसके पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने संस्कृति और धर्म की जो परम्परा हमारी पुरानी चली आयी है उसको मंत्रिमंडल के संगठन में भी निभाया। हमने सुना है कि पहले एक वर्ग हुआ करता था। उसके बाद संस्कृति जब उन्नत हुई तो दो वर्ग हुए। उसके बाद तीन वर्ग हुए और जब सनातनधर्म और तरक्की कर गया तो चार वर्ग उत्पन्न हो गए। एक संस्कृत के जानने वाले विद्वान के हाथ जो मन्त्रिमंडल संगठित हुआ है उसमें चार वर्ग अगर बन गए तो मैं समझता हूं वेदानुकूल हुआ है। लेकिन एक कमी उसमें रह गई है, विनम्रता के साथ मैं निवेदन करूंगा कि उसमें पंचम-वर्ग का भी कहीं-कहीं वर्णन आया है। अगर पांचवें किस्म के मन्त्री विदाउट पोर्ट-फोलियो भी रख दिये जाते तो हमारे हिन्दू धर्म की पूरी संस्कृति का अनुकरण हो जाता। मैं अपने गुरुओं से, एक तरह से वह हमारे गुरु हैं। काशी से पधारे हुए हैं, इसलिये मैं मंत्रिमण्डल के संगठन में कम से कम उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि संस्कृति की रक्षा अवश्य होनी चाहिए। एक जिम्मेदारी की बात और है और हमारे राज्यपाल के सदन के व्याख्यान में आयी है, उसका जिक्र करना मैं नहीं भूल सकता। हम बाजार में बोलते हैं इसलिये कि आप की टीका करते हैं। आपने केन्द्र की टीका की है, वह क्या है? कभी केन्द्र के मंत्रियों से पूछा भी है आपने कि किस उसूल की वजह से आप को उद्योग नहीं दिये गए? लड़कपन में मैंने पढ़ा था कि यहां लोहा नहीं होता, कोयला नहीं होता और इंडस्ट्री किसी उसूल पर लोकलाइज की जाती है। आप उन उसूलों को समझते नहीं हैं या केन्द्र से पूछने की परवाह नहीं करते हैं और यहां हाउस में आकर हमारे सामने रोना रोते हैं कि केन्द्र ने यह नहीं किया और वह नहीं किया। मैं इसको जिम्मेदारी की बात समझूं या गैरजिम्मेदारी की?

एक बात और है कि एलेक्शन के दौरान की बड़ी तारीफ़ की गई और एलेक्शन अच्छे हुए हैं इसमें कोई शक भी हमें नहीं है, क्योंकि हमारी १४४ की संख्या आप के न चाहते हुए भी अगर यहां पहुंच गयी है तो यह सरकारी अफसरों की निष्पक्षता का एक उदाहरण जरूर है। मैं माल मंत्री जी के उस वाक्य के लिये उनको बधाई देता हूं कि उनको हमारी अधिक संख्या देखकर के प्रसन्नता हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उनकी प्रसन्नता कम नहीं होनी चाहिये अगर हमारी तादाद कुछ और बढ़ कर के थोड़ा और हो जाय। मैं उनसे यह भी कहूंगा कि वह इन्तजार करें और वह दिन नजदीक आयेगा जब उनको प्रसन्नता और भी अधिक होगी। हां,

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

एक बात मैं कह रहा था। एलेक्शन का जमाना था। हमारी सब पार्टियां कह रही थीं कि कश्मीर के मसले को न उठाया जाय, कश्मीर पर बहस न की जाय, क्योंकि यह एक ऐसा मसला है जिस पर हम लोग अलग नहीं होना चाहते। आप जो कुछ कहते हैं गलत कहते हैं। हम जानते हैं कि वह सही नहीं कह रहे हैं लेकिन तब भी हम उस पर बोलना नहीं चाहते क्योंकि कश्मीर का मामला ऐसी डेलीकेट है कि हम दुनिया को यह नहीं बताना चाहते कि कश्मीर के मामले में हममें और सरकार में कोई अन्तर है। लेकिन तब भी सरकार नहीं मानती। हमने समझा की शायद वोट की लालच है। आप समझते हैं कि कश्मीर का नाम ले लेने से आप को कुछ वोट और मिल जायेंगे। लेकिन क्या जरूरत थी राज्यपाल के भाषण में उस को लाने की? कश्मीर का मसला उत्तर प्रदेश की सरकार तय करेगी? लेकिन नहीं, आदत पड़ी हुई है। दो भाषाओं में बोलना ठीक से सीखा नहीं है।

अब मैं राज्यपाल के भाषण का कुछ अंश लेता हूं। एक शिक्षक के नाते शिक्षा हमारे सामने पहले आती है। शिक्षक के बारे में एलेक्शन के पहले एक ऐलान किया गया था कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के वेतन में कुछ रुपया बढ़ा दिया जायगा। एलेक्शन के पहले इसकी क्या जरूरत थी? दो चार महीने के बाद अगर उन अध्यापकों को यह ऐलान किया गया होता तो क्या नुक्सान हो जाता यह तो सरकार जानती है लेकिन मैं सरकार की इत्तला के लिये बतला रहा हूं कि जिन अध्यापकों से आपने वेतन बढ़ाने का वादा किया था अगर आप जांचें तो उनके वेतन में दो चार आने की कमी हो गई है। अगर आपको यक़ीन न आता हो तो बात दूसरी है, किसी अध्यापक से पूछ लें जिसकी जेब में वह पैसे जाते हैं, वह बतला देगा कि उसकी जेब में अब दो चार आने पैसे कम जा रहे हैं। आपने हायर सेकेंड्री स्कूल के अध्यापक के साथ बड़ी दया की है। उनकी दवा दारू का प्रबन्ध करने का आप विचार कर रहे हैं। मैं उसी वर्ग का अध्यापक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं। इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बिना ज्योतिष की सहायता के आप यह समझ तो गए कि सेकेन्ड्री स्कूल के अध्यापकों की दशा ऐसी होने जा रही है कि वह बीमार होंगे और आपको उनके लिये दवा दारू की जरूरत पड़ेगी। मैं एक बात उसमें और जोड़ देना चाहता हूं सुझाव के तौर पर। सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक अधिकतर अब भी देहात में बसते हैं जहां अस्पतालों का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिये दवादारू का प्रबन्ध शहर में तो कर पायेंगे, देहात में करना कठिन है। इसलिये ऐसे अध्यापकों के लिये जो देहात में बसते हैं, जो बीमार भी होंगे मैं आप से इतनी प्रार्थना करूंगा कि उनके लिये थोड़े कपड़े और थोड़ी लकड़ी का इन्तजाम और कर दीजिये ताकि अन्त्येष्टिक्रिया करने में उनको आसानी हो जायगी। मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि कोई मजाक उड़ा रहा होऊं। मैं अध्यापकों की दशा जानता हूं अध्यापक होने के नाते। मरने के करीब उनकी चिन्ता हुआ करती है कि उनका अंतिम समय कैसे बीतेगा और उनकी अन्त्येष्टिक्रिया कैसे होगी। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जब आप अध्यापकों के ऊपर इतने दयालु हैं तो इतनी दया आप उनके लिये और कर दीजिये और इन ग़रीब बेचारों के ऊपर थोड़ी दया और फरमा दीजिये तो उनका भला हो जायगा।

अब यूनिवर्सिटी के इन्तजाम के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूंगा। कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कुछ हमारे भाइयों का सम्बन्ध यूनिवर्सिटी से ऐसा जुड़ा हुआ है कि वह यूनिवर्सिटी पर कब्जा छोड़ना ही नहीं चाहते। नतीजा क्या होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इलेक्शन का एक किस्म का रूल है और लखनऊ में इलेक्शन का दूसरे किस्म का। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। हमारी पार्टियों की ओर आक्षेप किया गया था कि कुछ पार्टियां हैं, कुछ दल हैं, कुछ क्या हैं जो मैं समझ नहीं पाया। उसमें क्या व्यंग है? लेकिन मैं इतना तो पूछना चाहता हूं कि क्या यूनिवर्सिटियों में भी कुछ गुट्ट हैं, वहां भी कुछ पार्टियां व दल हैं कि भिन्न भिन्न इलेक्शन का रूल बनाने की आवश्यकता पड़ा करती है।

एक बात अध्यापक के नाते मैं जरूर कहूंगा कि यूनिवर्सिटियों में अध्यापकों का स्थान बहुत ऊंचा है। वहां ऊंचे-ऊंचे अध्यापक रहते हैं। उन पर अविश्वास करना, उनकी संख्या को यूनिवर्सिटी की कमेटियों में दिन पर दिन कम कर दिया जाना कुछ अच्छी बात नहीं

है और वह भी इसलिये कि सरकार को टीचर पोलिटिशियन से कुछ नफरत है, इसलिये कि टीचर पोलिटिशियन सरकार के लिये खतरनाक साबित होते हैं। सरकार की दया जो अध्यापकों पर है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के टीचर कुछ अधिक जानकार होते हैं। मैं अगर धृष्टता करूं यह कहने की कि हाउस में बैठे हुये बहुत से लोगों से भी वे अधिक जानकारी रखते हैं तब भी कोई गलत बात न होगी। उनके अधिकारों को छीनना और उनकी संख्या को कम करना, मैं तो समझता हूं कि सरस्वती का अपमान करना है। किसी तरह से मैं नहीं समझ पाया कि आप विद्या का प्रचार भी चाहते हैं और शिक्षकों की संख्या भी कम करना चाहते हैं। क्या बात है यह? अगर उनको सन्देह की दृष्टि से देखते हैं तो साफ-साफ बतला दीजिये।

एक बात मैं और कह दूं। हमारे मित्र को अपने आंकड़ों पर अधिक विश्वास है। यों तो बताया जा चुका है कि आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं। जिस ढंग से वे इकट्ठे किये जाते हैं उन पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता, लेकिन तब भी आंकड़ों पर आप को अधिक विश्वास है। अन्न अधिक उत्पन्न हो रहा है। कई मर्तबा यह बात कही गयी है। मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन उसका खाता ठीक कर दिया जाय।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्रसिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राज्यपाल द्वारा जो सम्बोधन इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके प्रति जो सरकार की तरफ से हमारे माननीय सदस्य नवल किशोर जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मैं बड़े आश्चर्य में आज दो दिन से इस सदन के सदस्यों के विचार सुन रहा था। मुझे बड़ा ही आश्चर्य है कि विरोधी दल की ओर से इतनी गैर-जिम्मेदारी के साथ इस संशोधन के ऊपर विचार प्रकट किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारा विरोधी दल है, इतनी शक्ति में, इतनी संख्या में जब वह बढ़ा है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, लेकिन जिन-जिन सदस्यों ने इस पर टीका-टिप्पणी की है, उन्होंने स्वस्थ विचारों को यहां लाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की है। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात की तरफ देखा और अपने विचार रखे हैं कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में समाजवादी प्रथा की तरफ, समाजवादी समाज के कायम करने की तरफ जरा-सा भी कदम नहीं उठाया है, विशेषकर विरोधी दल की तरफ से इसी पर टीका-टिप्पणी हुई है। मुझे इस बात को सुन कर इन लोगों की दलील पर बड़ा ही ताज्जुब है। क्या उन्हें नहीं मालूम है कि इसी कांग्रेस सरकार के द्वारा किसान के जीवन में बड़ा रिवोल्यूशन लाया गया है? क्या उन्हें नहीं मालूम है कि जमींदारी अबालीशन करके, जमींदारी को खत्म कर के, किसान की हैसियत को बढ़ाने का जो कदम है और ७० फीसदी जो यहां ऐग्रिकल्चर करने वाला आदमी रहता है उसके अधिकारों की रक्षा करने का जो प्रश्न है, उनके अधिकारों को मजबूत करने का जो सवाल है, क्या उसकी तरफ जो कदम उठा वह समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने का कदम नहीं है? क्या आज उन्हें नहीं मालूम है कि जो अधिवासी जो छोटा काश्तकार था, उसको हमेशा के लिये जमीन पर अधिकार दे दिया गया और इस तरह से शोषण खत्म करने की ओर बराबर जमीन के मामले में जो सरकार बढ़ती जा रही है उसको हमारा विरोधी दल भूल जावे और भूल कर के फिर ऐसी टीका-टिप्पणी करता है कि वह चिढ़ा जैसा मालूम पड़ता है। जैसा माननीय मालमंत्री जी ने ठीक कहा था कि बाजारू बात कही जाती है, इससे एक साहब जो किसी विद्यालय से अपने को संबंधित बताते हैं, उनको बड़ी चिढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बाजारू बात कही जाती है और वह इतने चिढ़ गये कि नहीं मालूम ऊल-जलूल की क्या-क्या बातें कह डालीं।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

आखिर मेरी समझ में बात नहीं आती कि एक राजा साहब जो बड़े घमंड के साथ लेक्चर दे रहे थे, अपने को यह कह रहे थे कि वे फूल सिंह को हरा कर आये हैं। फूलसिंह को हराने का उन्हें गर्व था, मगर अपने १५ मिनट के लेक्चर के अन्दर उन्होंने केवल एक चकबन्दी की बात कही। चकबन्दी की बात वह बार-बार कहते थे, सिवाय इसके दूसरी बात उन्होंने मुंह से नहीं निकाली और सिवाय हाथ फेंकने के और इधर-उधर चिल्लाने के, हल्ला-गुल्ला मचाने के और उन्होंने कोई उसूली बात या स्वस्थ विरोध उनकी जबान से नहीं निकला, उसकी झलक नहीं आयी। तो ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसे लेक्चर को, ऐसी बात को बाजारू बात न समझा जाय तो क्या समझा जाय जबकि इतने अनुशासन में इस माननीय सदन के अन्दर हम सब बैठे हैं? क्या विरोधी दल यह भूल जाते हैं कि जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं उनको हमें किस प्रकार पूरा करना है? मैं समझता हूं कि अगर विरोधी दल को कभी यह सौभाग्य आए और वह अपनी सरकार बनायें तो क्या वह इस तरह के बाजारी हल्ला-गुल्ला से कामयाबी पा सकते हैं और जनता के सामने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब हो सकते हैं, जिसके वोटों पर वह चुन कर यहां आते हैं और वायदा कर के यहां आते हैं। हम तो दो बातें करना नहीं जानते हैं। हमारा समाजवादी प्रथा कायम करने का एक प्रोग्राम है और बराबर हम सदन में ऐसी स्थिति लाते हैं जिससे हम उसकी तरफ बढ़ें। हम कभी भी दो बातें करना नहीं जानते हैं। हम तो जो वायदा कर के आते हैं उसको यहां आकर कार्यरूप में परिणित करने की कोशिश करते हैं।

आज चकबन्दी के बारे में इस तरह की बातें कही जाती हैं। चकबन्दी की कमेटी बनी थी तो उसमें विरोधी पक्ष के लोग भी थे और मैं भी था और विरोधी पक्ष के लोगों ने सब स पहले अपना हाथ उठाया था और चकबन्दी को स्वीकार किया था। आज शर्म नहीं आती है कि वह इस तरह की दोहरी बातें करते हैं। आप जानते हैं कि विरोधी पक्ष का एक लीडर होता है जिसकी लीडरी में सब को चलना होता है। वह वायदा करे कि हम चकबन्दी चाहते हैं और उसके पीछे चलने वाले लोग उसकी टीका टिप्पणी करें। यह तो एक अजीब जनतंत्र की बात दिखाई पड़ती है।

क्या आप भूल जाते हैं कि आज देश को कितनी तरक्की के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या विरोधी पक्ष को मालूम नहीं है कि हमारी सरकार ने देश भर के कोने-कोने का नक्शा तैयार कर लिया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसको धीरे-धीरे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आप घबराते क्यों हैं? आप पशोपेश में क्यों हैं? आप देखते जाइये और हमारी टीकाटिप्पणी भी करते जाइये, मुझे कोई चिन्ता नहीं है। आप को मालूम नहीं है कि कितने व्यक्ति यहां बैठ कर रात-दिन अपना समय लगाते हैं। आज मिनिस्टरों की तनख्वाह पर तो टीका-टिप्पणी की जाती है लेकिन उनकी योग्यता पर ध्यान देने की कृपा नहीं की जाती है।

सिंचाई विभाग की कितनी टीका-टिप्पणी की गई है? आप को क्या मालूम नहीं है कि जितना प्रोग्रेसिव कदम पंडित कमलापति त्रिपाठी ने सिंचाई की तरफ उठाया है, वह बड़ा गौरवशाली है। आज देश का कोना-कोना छान डाला गया है। जो किसान प्यासा है, जो धरती प्यासी है, उसकी प्यास को बुझाने के लिये, उनकी हालत को सुधारने के लिये बड़ी बड़ी नहरें, मैं कह सकता हूं, दरिया के रूप में निकाली जा रही हैं। क्या यह लक्ष्य नहीं है। यह देखने की बात है कहने की नहीं है।

क्या शिक्षा के मामले में इन पांच सालों के अन्दर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे उत्तरोत्तर शिक्षा की उन्नति में वृद्धि हुई हो? डाक्टर सीताराम जी के समय में जो सौभाग्य से यहां बैठे हुये हैं, शिक्षा विभाग में कितनी ज्यादा तरक्की हुई है।

आज कहा जाता है कि समाजवाद की कोई झलक इसमें नहीं दिखाई पड़ती है। आज क्या हरिजन उसी तरह से दबे हुये हैं जिनके अधिकार इन उच्च वर्गीय लोगों ने कुचल रखे थे, शोषक और शोषण संबंधी स्थिति पैदा कर रखी थी, क्या उनको शिक्षा तथा सहारा देकर उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की है? आज उनका नौकरियों में १० प्रतिशत से १८ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व देना क्या गौरव की बात नहीं है? यह कांग्रेस ही में दम है, किसी अन्य में दम नहीं है। आज यहां जनसंघ के लीडर बैठे हैं, अगर उनकी सरकार बने तो मैं एक हरिजन के नाते इसको महसूस करता हूं कि मुझे किसी कोने में छिपना पड़ेगा। वह ऐसी दुहाई देते हैं और वह ऐसी ही सरकार बनाना चाहते हैं जिससे छुआछूत वगैरा बातें बनी रहें। आज वह गौरव करते हैं। वह क्या समाजवादी समाज बनायेंगे। मेरी तो समझ में यह बात नहीं आती है। हमारे कम्युनिस्ट भाई श्री झारखंडे राय जी को ऐतराज हो रहा है कि मैं क्यों जनसंघ के लीडर पर अटैक कर रहा हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात और इस तरह की टीका टिप्पणी विरोधी दल करता है जिससे तकलीफ होती है। मैं तो यह समझ रहा था कि अबकी कुछ योग्य व्यक्ति आये होंगे, कुछ ज्यादा स्वतंत्र विचार अपने रखेंगे और ऐसे सुझाव देंगे जिससे सरकार में जो खराबियां हैं वह दूर होंगी। मैं इस बात को नहीं कहता कि सरकार पूर्ण है, उसमें खामियां नहीं हैं। सरकार में भी मनुष्य ही हैं, वे कोई देवता नहीं हैं, देवता होते तो यहां बैठने की नौबत न आती। जो मनुष्य में क्षमता है उसका इस्तेमाल वे करेंगे।

हमारे वंशीधर शुक्ल जी नये-नये आये हैं। शायरी करते थे, अब शौक हुआ है बोलने का। ठीक है। तो उन्होंने क्या शौक दिखलाया कि खसरा खतौनी सुना डाली। मेरे विचार से खसरा खतौनी सुनाना इस सदन के स्तर के बहुत नीचे की बात है। मैं नहीं समझता कि खसरा खतौनी सुना देने से इस सदन का सम्मान बढ़ता है या इस सदन के माननीय सदस्यों को कुछ इससे सीखने की बात मिलती है। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है जब यहां इस तरह की बात माननीय वंशीधर शुक्ल जी करते हैं।

राजा साहब ने बड़े हाथ मटका कर अपना परिचय दिया। मालूम होता था कि इतने गुमान में फूले हुये हैं और इतने ऊंचे अपने को समझ रहे हैं कि बड़ा घमन्ड है उनको अपनी जीत पर। बार-बार उन्होंने दुहाई दी कि श्री फूल सिंह को हमने हराया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि चकबन्दी की बदौलत हम जीत कर आये हैं। मैं तो यह कहता हूं कि एक फूलसिंह ही नहीं, कितने ही फूलसिंह के ऐसे अनमोल साथी हारते जायं लेकिन कांग्रेस का कदम जो उठ चुका है इस देश के गरीब आदमियों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिये, इस देश के किसान की जिन्दगी में एक आमूल परिवर्तन लाने के लिये, उसकी आमदनी को बढ़ाने के लिये, वह कदम रुक नहीं सकता। राजा साहब, इस बात को आप समझ लें। अगर आप इस घमंड में हैं तो भूल जायं ऐसे कितने ही लालों को हम खो देने के लिये तैयार हैं। अगर राजा साहब को जनतंत्र की पद्धति मालूम नहीं है तो वह उसको सीखें और उसके बाद बोलने की कोशिश करें क्योंकि जब जनतंत्र में कोई भी पार्टी होती है तो उसमें अपने अगुआ का कहना मानना पड़ता है। माननीय त्रिलोकी सिंह जी नेता विरोधी दल हैं। अगर उनकी पार्टी के लोग उनकी ही बात को न मानें तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। हमारे माननीय गेंदा सिंह जी हैं। वे इस बात से इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग इस कमेटी में थे और इन लोगों ने सब से पहले हाथ उठाया था। हमको तो हिचक हुई थी कि पता नहीं कैसे स्कीम चलेगी क्योंकि जिम्मेदारी हमारे कन्धों पर थी लेकिन उन्होंने कहा था कि चकबन्दी से किसानों का लाभ होगा। सर्वसम्मति से वह बिल पास हुआ और वह लागू किया गया। हाथ क्यों हिलाते हैं? आप भी उसमें शरीक थे मिस्टर झारखंडे राय। तो मैं कहता हूं कि चकबन्दी ऐसी चीज है जिससे किसानों की आपस की दिक्कतें दूर होंगी। उन्होंने देवबन्द की मिसाल दी लेकिन सुल्तानपुर की ओर उनकी निगाह नहीं गयी जहां सब से पहले चकबन्दी हुई थी। सुल्तानपुर का किसान देवबन्द के किसान से आज ज्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन वहां के किसान ने कांग्रेस सदस्य गुरु प्रसाद जी को भारी बहुमत से चुन कर भेजा है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री धर्मपालसिंह (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के विषय पर हमारे माननीय नवलकिशोर जी ने जो समर्थन का प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में तथा माल मंत्री ने जो कुछ अभी लंच से पहले कहा है उसके सम्बन्ध में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सम्बोधन के ऊपर विवाद का तीसरा दिन चल रहा है। आज मुझे मौका दिया गया इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

सब से पहले जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे जितने भी माननीय सदस्यगण यहां बैठे हुये हैं वे सभी एक महीने पहले जनता द्वारा चुन कर के यहां के लिये भेजे गये हैं। जनता की इच्छा, जनता की चाह और जनता की सरकार के प्रति क्या भावना है इसका दिग्दर्शन हमारे १४४ विरोधी दल के जो सदस्य बैठे हुये हैं उनसे हो जाता है। आज जनता ने जो इस सरकार के पांच साल के कारनामे हैं, जिनको महामहिम ने अपने संबोधन में रखा है यह बता दिया है कि उसका उनके प्रति विश्वास नहीं है।

पाकिस्तान और काश्मीर के सम्बन्ध में जो चीजें यहां कही गई हैं उसके लिये भारतीय जनसंघ ने कई साल पहले यही बात कही थी लेकिन सरकार ने नहीं माना था, ठुकरा दिया था। वही चीज आज सरकार स्वयं कह रही है। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि जो सम्बोधन में कहा गया है उसको निभाया जायगा और उसी तरीके से निभाया जायगा जैसा कि उसमें कहा गया है।

राज्यपाल जी ने कहा है कि "हमारा नया जनतंत्र स्वस्थ जीवनीशक्ति से काम कर रहा है।" इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु इसको आगे बढ़ते रहना चाहिये।

इसमें एक बात यह कही गयी है कि सिंचाई के साधनों के बढ़ जाने के कारण गन्ने का उत्पादन बढ़ गया है। इसमें श्रेय सिंचाई को दिया गया है लेकिन मेरे ख़याल से यह ग़लत है। आज पांच सालों से कभी वर्षा ज्यादा हो जाना, कभी सूखा हो जाना, कभी बाढ़ आ जाना, इसके कारण गल्ले की पैदावार बन्द कर गन्ने की पैदावार की तरफ किसानों का रुख हुआ है इसलिये कि इस बढ़ते हुये लगान को, इस बढ़ते हुये टैक्स को और इस बढ़ती हुई भुखमरी को पूरा करने के लिये उसके पास जो साधन थे वह प्रकृति द्वारा छीन लिये गये हैं। प्रकृति के प्रकोप ने आज उसको मजबूर किया है कि वह गन्ने की खेती करे। मेरा विश्वास है कि गन्ने की खेती वह आगे कम कर देंगे।

अमन चैन के लिये कहा गया है। उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि जिस क्षेत्र में डकैती का नाम तक लोग नहीं जानते थे वहां डकैतियां हो रही हैं। मैं अभी ६ तारीख का किस्सा बयान कर रहा हूं जो कि बस्ती जिले की डोमरियागंज तहसील में गोंडा जिले की सरहद पर हुआ है। एक बहुत ही अच्छा काश्तकार जिसके पास दो ट्रैक्टर तथा दो नलकूप थे उस की दिन-दहाड़े ९ बजे सुबह हत्या कर दी गई। यह अमन चैन का किस्सा आज हमारे राज्य में चल रहा है। इसी तरह से आज से पांच साल पहले डुमरियांगंज तहसील में भानपुर में दो आदमियों का कत्ल कर दिया गया था जिस में कि एक सरपंच भी है।

प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है उस के लिये हम को यह कहना है कि शिक्षा जरूर बढ़ी है, मास्टर जरूर बढ़ाये गये हैं, लेकिन उसके साथ स्कूल कहां हैं? स्कूल कहां बने हैं? बच्चों के पढ़ने की क्या व्यवस्था है? इन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से गांवों में बच्चे पेड़ों के नीचे, किसी दूसरे-दूसरे व्यक्तियों के घरों में, आज इस घर में और कल उस घर में, पढ़ाये जा रहे हैं। यह हमारी शिक्षा की प्रगति है। हम चाहते हैं कि प्रगति हो लेकिन एक व्यवस्थित रूप से हो। ऐसा न हो कि स्कूल हम खोल दें और उसमें मास्टर न हों। अस्पताल हम खोल दें लेकिन उन में दवा का समुचित प्रबन्ध न हो। हमने देखा है, जैसा कि कहा गया है, देहातों में हर पांच मील पर

अस्पताल खोले गये हैं, अस्पताल कायम किये गये हैं और वहां से मरीजों को मुफ्त दवा मिलती है, लेकिन हमने देखा है कि मरीजों को वहां सिवाय पानी के और कुछ नहीं मिलता है। अगर कोई मरीज किसी बुरे मर्ज में मुब्तिला होता है तो उसे बाजार से अपने लिये दवा खरीदनी पड़ती है। जो दवा देहात में नहीं मिलती है उसके लिये उसे शहर भी जाना पड़ता है। यह सब व्यवस्थायें ऐसी हैं कि जिन्हें मुनासिब नहीं कहा जा सकता है।

सब से आखीर में जो मुझको कहना है वह यह है कि हमारे देहात में अभी भी एक वर्ग ऐसा है जिसको हम न कृषक कह सकते हैं और न मजदूर। उसके पास इतनी खेती नहीं है कि जिसके द्वारा उसको जीविका मिल सके। उसके पास इतना परिवार नहीं है कि वह मजदूरी से अपनी जीविका चला सके इसलिये वह एक ऐसा वर्ग है कि जो कहीं का नहीं है। मैं उसकी मिसाल हर जगह से दे सकता हूं। आज भी गांवों में बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें कि साल में दो महीने तक लोग साग खाकर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। उनके पास इतना पर्याप्त अन्न नहीं होता है कि उससे वह साल भर अपनी परवरिश करते हुए लगान और टैक्स दे सकें। इसलिये मैंने देखा है कि आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जो खलिहानों से, मेढ़ों से और बाहर जहां भी लोग अपना गल्ला रखते हैं, वहां से गल्ला चुन कर, बटोर कर ले जाते हैं और अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। वहां से वह एक एक गल्ले का दाना बटोरते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के १० साल बाद में भी ऐसे नजारे अपने प्रान्त में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं।

पैदावार बढ़ाने के लिये जो बीज वितरण किया गया है और उसके आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत कये गये हैं, वह मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बीज वितरण के आधार पर गल्ले की काश्त का बढ़ जाना, यह हिसाब, मैं समझता हूं, उचित न होगा। इसलिये कि जो पांच साल से अनियंत्रित वर्षा हो रही है उसके कारण बहुत जगह ऐसा होता है कि बीज के लिये भी गल्ला पैदा नहीं हो पाता है। उस दशा में बाध्य हो कर किसानों को सरकारी बीज गोदामों से बीज लेना पड़ता है और उसके बीज लेने पर यह विश्वास कर लेना और यह आंकड़े बना लेना कि किसानों की पैदावार बढ़ती जा रही है जिससे उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है, मुनासिब न होगा। अब मैं, माननीय माल मंत्री महोदय ने जो अभी जनसंघ के राजा साहब के ऊपर जो हमारे लीडर हैं यह कहा है कि उन्हों ने लगान जब कि उनका राज था कितना कम किया, इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। आज लगान के आधा करने का सवाल वह पेश कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर जमींदार ही लगान को कम कर दिये होते, जमींदार ही बेगार को माफ कर दिये होते और जमींदार ही किसानों को अपनी भूमि का मालिक बना दिये होते तो फिर इस जमींदारी को खत्म करने की क्या आवश्यकता थी।

श्री चरणसिंह--मैंने यह कहा था कि जब किसानों पर लगान भार स्वरूप था उस समय उन्होंने क्या किया ?

श्री धर्मपालसिंह--लगान को आधा करने का सवाल जनसंघ ने बहुत पहले उठाया। और लगान का आधा होना हमारे सूबे के लिये नितान्त आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि जब अंग्रेज यहां पर शासक थे और हमारे काश्तकारों के ऊपर जमींदारों का शासन था उस समय जो काश्तकार लगान अदा करते थे उससे आज सवाया लगान बढ़ा दिया गया है। लगान के अलावा पंचायत का टैक्स भी देना पड़ता है। पंचायत टैक्स एक ही चीज पर नहीं देना पड़ता बल्कि कई चीजों पर देना पड़ता है। एक काश्तकार अगर दो एकड़ का काश्तकार है और दो एकड़ जमीन जोतता है तो उसको दो एकड़ के ऊपर ही पंचायत टैक्स देना पड़ता है और इसके अलावा अगर उसकी जीविका उससे नहीं चलती है और कोई छोटा रोजगार उसने कर लिया है तो उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से आज काश्तकार चारों तरफ से सताया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा है कि जो दो एकड़ का काश्तकार है कभी-कभी

[श्री धर्मपालसिंह]

खाने भर का गल्ला उसके यहां पैदा नहीं होता है। इतना पर्याप्त नहीं होता है कि वह अपने खाने का साल भर का पूरा प्रबन्ध कर सके। फिर वह पंचायत टैक्स कहां से दे सकता है ?

हमारे माल मंत्री महोदय ने यह कहा है कि हमारे प्रान्त में और प्रान्तों की अपेक्षा गरीबों की संख्या कम है। इससे मुझको प्रसन्नता है लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि और प्रान्तों से गरीबों की संख्या कम होने के नाते हम खामोश रहें और हम उनके लिये कोई व्यवस्था न करें, कोई समुचित प्रबन्ध न करें तो यह उचित नहीं होगा। हमको यह चाहिये कि अगर हमारे यहां गरीबों की संख्या और प्रान्तों से कम है तो हम उसको एक भी प्रतिशत अपने यहां न रहने दें। इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। आज हमको उसी गरीब जनता ने और खासकर देहात की जनता ने जितने भी माननीय सदस्यगण यहां पर बैठे हैं सभी को भेजा है। लेकिन हमको दुःख होता है जब कांग्रेस की तरफ से उसी गरीब जनता जिसकी समस्यायें विरोधीदल आप के सामने रखता है, उस की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। एक महीने पहिले हमारे माननीय सदस्य जो आज इस चीज को यहां पर गलत ढंग से रख रहे हैं जनता के सामने नहीं रखे थे। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, दो दिन से श्री राज्यपाल के सम्बोधन पर इस सदन में बहस हो रही है। आज उसका तीसरा दिन है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक केवल एक निवेदन यह कर देना चाहता हूं कि इसके पूर्व कि इस बहस के सम्बन्ध में मैं चर्चा कर सकूं, चुनाव कब समाप्त हुये और चुनाव से संबंधित बहस क्या इस सदन के लिये शोभनीय होगी ? मैंने जानबूझ कर यह बात इसलिये रखी कि यदि आज हम राज्यपाल द्वारा दिये गये सम्बोधन पर कुछ बहस कर सकें, कुछ तर्क उपस्थित कर सकें, उन्होंने नीतियों का जो जिक्र किया है तो उन पर चर्चा कर सकें, यह सम्भवतः इस सदन के लिये उपयुक्त होगा। मैं जानबूझ कर उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता जो कि इस सदन में किसी भी और रूप में आई हैं। मैं सचमुच अपने उन सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। जैसा कुछ उन्होंने उचित समझा अपने भाषणों द्वारा प्रदर्शन किया। मोटेतौर पर इस सरकार की नीति की कुछ चर्चा की, कहीं कुछ हास परिहास, व्यंग और श्लेष के द्वारा उन बातों की चर्चा की गई जो सरकार की नीति में सम्मिलित हैं। नीति तो बहुत स्पष्ट है और महामान्य राज्यपाल ने उसका निर्देश किया। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। राजा साहेब श्री दुबे जी और दूसरे सदस्यों ने समाजवाद की चर्चा की और पूछा कि वह समाजवाद है क्या जिसकी चर्चा यह सरकार करती है। उन्होंने कई तरह से यह भी सिद्ध करने की कोशिश की कि सचमुच जिस समाजवाद का ढोल पीटा जाता है उसकी ओर कोई पग नहीं है। बहुत बहुत बधाई है उनको कि उनमें समाजवाद की ओर बढ़े हुये कदम को समझने की क्षमता तो है।

कुछ हमारे दूसरे मित्र जो कि अपने को लैफ्टिस्ट कहते हैं, और मुझे भी उनको ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है, उनको प्रक्रियावादी न कहने में बल्कि प्रगतिवादी कहने में, वह भी समझें कि कम से कम एक बात की चर्चा यदि मैं कर दूं तो मुझे क्षमा करेंगे। उनकी ओर से बहुत बार आया कि अब हमारा दल तो पूंजीपति दल होता जाता है। पूंजीपतियों को शामिल करता जाता है और वे इस पर अपना प्रभाव डालने की चेष्टा करने लगे हैं। मैं उन सभी मित्रों को जो कि प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, आमन्त्रित करता हूं कि कृपा करके जरा इस सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों की ओर देखने की चेष्टा करें और निर्णय करें कि कौन सा दल पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व देने की क्षमता रखता है। मुझे नेशनल हैरेल्ड की एक टिप्पणी की याद आती है। मैं उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दूं। उसमें कहा गया है कि इस सदन में सब से अधिक पूंजीपति कहां बैठते हैं और यदि वह दल जिसमें सब से अधिक पूंजीपति आकर सम्मिलित हों, जो कि सबसे

अधिक पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व कर सकें और वह दल आज प्रगतिशील समाजवाद की चर्चा करे तो क्या अनुचित है? एक दूसरा प्रगतिशील दल जिसमें एक राजा साहब की चर्चा हुई, बहुत स्वागत में उनका करता हूं। उन्होंने एक नया जीवन इस सदन को दिया जिसकी इसे कभी आज तक आदत नहीं थी और जिसे यह सदन जानता नहीं था, ऐसी एक नई चीज को अंग्रेजी में 'लाइबेल' शब्द कहते हैं, ऐसी चर्चा का उन्होंने यहां प्रादुर्भाव किया। कोटिशः बधाई उनको और उनके दल को।

तो मैं केवल यह कहना चाहता था कि आज कौन पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे मार्क्सवादी भाइयों के लिये, समाजवादी भाइयों के लिये और इस सदन के प्रजा-समाजवादी भाइयों के लिये क्षमा करें, संभवतः चिन्ता का विषय होगा। १० वर्ष की स्वतंत्रता के पश्चात आज इस राज्य के व्यक्तियों में, इस देश के चुनाव करने वाले लोगों को यह क्षमता प्रदान हुई कि इस सदन में राजा आकर उनका प्रतिनिधित्व करे और समाजवाद की चर्चा करे। इसके लिये उनको बहुत बहुत बधाई है। मैंने कहा कि यह हम सभी के लिये चिन्ता की बात है, हम सभी के लिये चर्चा की बात होगी। एक बात इससे जरूर स्पष्ट है कि शायद इस सदन में आज हम नयी परम्पराओं को जन्म देकर इसके दूसरे पहलू पर विचार कर सकें और अन्त में इस निर्णय पर पहुंच सकेंगे कि हमारे देश के वह व्यक्ति या समाज के वह अंग, जिनको कल तक राजा कहते थे और जिनके रजवाड़े, रियासतें या जमींदारी इस सरकार के द्वारा जप्त की गयीं और जो लोग कि हम पर सचमुच ही क्रुद्ध थे, आज इस सदन में बैठ कर बाहें चढ़ाने की चेष्टा करते हैं। मेरे द्वारा वह बधाई स्वीकार करें। मैं और अधिक चर्चा इस बात की न करके केवल यह कहना चाहता हूं कि समाजवाद केवल किताबों में लिखी हुई कुछ बातों में समाहित नहीं है। समाजवाद केवल ऐसा नहीं है जो केवल कुछ किताबों की परिभाषा में आता है। जिसकी केवल चर्चा हो सके या परिभाषा में आ सके, केवल ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जिसके सम्बन्ध में हम यह कह सकें कि मार्क्स ने जो कहा था, अथवा गीता, बाईबिल और कुरान में अथवा समाजवाद की पुस्तकों का जो निचोड़ है वही समाजवाद है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। इसके विपरीत मैं स्वीकार करता हूं कि प्रत्येक देश में समाजवाद के निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार समाज में नये सुधार किये जायेंगे, वही समाजवाद की परिभाषा है।

श्रीमन्, जरा इस पर विचार करें मेरे, माननीय सदस्य और आपके द्वारा मैं उनसे यह भी निवेदन करता हूं कि समाजवाद की परिभाषा हमारे दल के देश के अध्यक्ष श्री धेबर भाई ने की है और उस प्रकार के समाजवाद का दिग्दर्शन कराने के लिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उन्होंने कहा है—

"Therefore, the problem for India is not merely to revive a shattered economy. The problem is to build up an economy from A to Z, and simultaneously to meet the most exacting but legitimate, unavoidable and the most urgent calls of humanity."

अर्थात् यह कि "भारतवर्ष की समस्या केवल बिगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था को सुधारने मात्र की नहीं है किन्तु समस्या यह है कि एक नयी आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया जाय जिससे ए से जेड तक उसको नये तौर पर बनाया जा सके और उसके साथ साथ जो उचित और अनिवार्य आवश्यकताएं मानवता की हैं उनका दुबारा मूल्यांकन इस देश में स्थापित किया जाय"।

अब हम समाजवाद की क्या और परिभाषा इस देश में दें? यदि इस के द्वारा जो परिभाषा हमारे दल के अध्यक्ष ने दी है, उसके अनुसार इस राज्य में हुए कार्यों की चर्चा हम कर सकें तो अनुचित न होगा। क्या यह सही नहीं है कि आज इस मूल मंत्र, जिसकी चर्चा अभी की उस पर यह सदन विचार नहीं कर सकेगा? क्या यह असत्य नहीं है कि इस देश के इतिहास में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद कुछ भी नहीं किया गया है?

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

मैं उनके व्यंग को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं और सचमुच इस हद्द तक यह सत्य है कि इस देश की वह बिगड़ी हुई अर्थ व्यवस्था जिसमें किसान पिसे जाते थे, उसे बेदखल किया जाता था, जिस भूमि को किसान जोतता था उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता था, जिसमें किसान वर्ष भर केवल भगवान का नाम लेकर और पानी की आशा करके जीवित रहता था, जिसमें किसान अन्न उत्पादन करके भी भर पेट नहीं खा पाता था, जिसमें किसान पशुओं को पाल करके भी उस पशु के दूध, दही, छाछ, मट्ठा या उसकी और चीजों से वंचित रहता था, क्या यह सत्य नहीं है, श्रीमन्, कि वह किसान अब बहुत कुछ बदल गया है? (कुछ सदस्य---पहले से बदतर हालत हो गयी है।) श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि मेरे मित्रों को इस पर आपत्ति है, क्योंकि उन्होंने तो तस्वीर का दूसरा पहलू ही इस सदन के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की। मेरे एक मित्र ने इधर से चर्चा की थी कि भौतिक रूप से किसानों के सुख सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है किन्तु मानसिक रूप से हमारी मानवता का नव निर्माण नहीं हुआ है। मैं यह ख्याल करता हूं कि यदि सिंचाई की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होता है, यदि सिंचाई की व्यवस्था अधिक होती है और नये खेत किसानों को मिलते हैं, यदि किसानों के अधिकार में वृद्धि होती है, यदि किसानों को अपनी जमीन का मालिक बनाया जाता है, यदि उसके बच्चों को शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है, यदि चिकित्सा के लिये कोई प्रयत्न किया जाता है, यदि सड़कों का प्रादुर्भाव होता है, तो क्या श्रीमन्, उससे भौतिक सुख की वृद्धि नहीं होती है ?

आंकड़ों के संबंध में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे मित्रों ने उन आंकड़ों की चर्चा की। उनसे मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आंकड़ों की चर्चा में न जाकर वे कृपा करके किसी गांव में जाकर देखने की कोशिश करें। यदि वे किसी गांव में जाकर देखेंगे तो ये चीजें बहुत स्पष्ट हो जावेंगी कि मानसिक प्रादुर्भाव के लिये, नया मानव बनाने के लिये भी इस देश में बहुत बड़ी चेष्टा की गयी है। पंचायतों का प्रादुर्भाव पंचायती अदालतों का प्रादुर्भाव, हर एक के दिल के अन्दर मानसिक व नैतिक आस्था की वृद्धि करने का प्रयास यह सब इसीलिये है, श्रीमन्, जिससे यह राष्ट्र अधिक से अधिक और शीघ्र से शीघ्र समाजवाद की ओर प्रगति कर सके। एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो, जिसमें मनुष्य अपने अधिकारों को समझ सके, अपने कर्त्तव्यों को समझ सकें और पैदावार की वृद्धि करने के साथ ही साथ उसके न्यायपूर्ण बटवारे की चेष्टा की जा सके और जिसमें निस्संदेह मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साधन जुटाये जा सकें। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिये रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, और चिकित्सा का प्रबन्ध किया जा सके।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये सम्बोधन में यही दिया हुआ है कि किस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस राज्य के चुनाव करने वालों ने इसीलिये दोबारा चुन कर यहां भेजा है और इस पर आस्था प्रकट की है। यह सच है कि जो माननीय सदस्य दूसरी ओर बैठे हैं उनको भी कार्य करने के लिये भेजा है और वह यह है कि यदि, मैं किसी शिक्षा के लिये नहीं कहना चाहता हूं, केवल सहयोग के लिये कहना चाहता हूं वह यह कि वे हमारे कामों की चर्चा कर सकें, हमको बतला सकें और हमारी सहायता कर सकें, यह नहीं, श्रीमन्, कि वे अपने व्यंग द्वारा, अपनी कटोक्तियों द्वारा और अपनी उन आस्थाओं द्वारा जिनको कि संभवतः इस सदन में थोड़े दिनों के बाद उचित न समझा जाय, हमको गिराने की चेष्टा करें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण संबंधी विवाद को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनता रहा। इस सदन में आने के मेरी जो भावना थी, मेरा जो विचार था, उस विचार को गहरी ठेस पहुंची है। मैं ऐसा

समझता था कि जनप्रतिनिधि इस सदन में आते होंगे और वे यहां आकर बाहर की परिस्थितियों का ध्यान भी रखा करते होंगे। आज बाहर क्या हो रहा है ? आज जनता किस तरह से पीसी जा रही है, आज पूर्वी जिलों में किस तरह से अकाल की छाया मंडरा रही है ? उन बातों की चर्चा न सुनकर मैंने जो चीज, जो तरीका और जिस तरह की हंसी और मजाक करने वाली बातें इस सदन में सुनीं तो मेरा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं चाहता तो नहीं था कि कुछ ऐसी बातें जिनका संबंध इस सदन के उन नेताओं से है जो आज इस सदन में नहीं हैं उनकी चर्चा करूं, लेकिन अभी जिन वक्ताओं ने इस अभिभाषण का समर्थन किया है उन्होंने मुझे विवश किया कि मैं भी उन बातों की चर्चा करूं। चरित्र की बातें और नैतिकता की बातें कही जाती हैं और कहा जाता है कि छात्रों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रहकर शिक्षा लेना चाहिये और इसी तरह की बड़ी ऊंची नीची बातें कही जाती हैं, समाजवाद के नये स्वप्न दिखलाये जाते हैं, नई-नई परिभाषायें की जाती हैं और कार्ल मार्क्स और न जाने किस-किस को कोट किया जाता है, लेकिन जो कुछ होता रहा है उसके संबंध में आप के देश की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष की हैसियत से कटु रहा हूं। मैं भी इत्तफाक से उसी शहर में रहा हूं जिस के संबंध में कहा जाता है कि वह तीन लोक से न्यारी नगरी है। सौभाग्य से जिस नगरी का यह दर्जा है और जहां के लोग इस सरकार के ऊंचे पद पर आसीन हैं उस नगरी में आज से कई वर्ष पूर्व मैं भी छात्र यूनियन का चुनाव लड़ रहा था और इसी सदन के कुछ नेता महोदय वहां मेरे खिलाफ वोट मांगने के लिये भेजे गये थे, पैसा भी दिया गया और तरह-तरह के प्रलोभन भी दिये गये थे और इतना ही नहीं, वाइस चांसलर की मरजी के खिलाफ और कुलपति के आदेश के बिना यहां के कुछ जिम्मेदार लोग वहां गये और वहां जाकर उन्होंने बालक बालिकाओं से फोटो खिंचवाये

श्री अधिष्ठाता—यह पुरानी बातें जो यहां पर कही जा रही हैं वे बिल्कुल असंगत हैं।

श्री रामायणराय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रारम्भ में ही मैंने आपसे निवेदन किया था कि मुझे कोई खास आवश्यकता इन बातों की चर्चा की न थी क्योंकि आज नये रूप में मुझे इस सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिये मैं चाहता था कि राज्यपाल का जो सम्बोधन है उस के संबंध में अपने मनोभाव व्यक्त करूं और अब चूंकि आप ने मेरा इस ओर ध्यान दिलाया है तो मैं अब निवेदन करता हूं कि इस संबोधन में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे कोई स्पष्ट परिणाम निकाले जा सकें। खेती बाड़ी के बारे में कहा गया है कि बाहर से अन्न मंगाकर उत्तरोत्तर अन्न के मूल्यों में नियंत्रण रखा गया है और आगे कहा गया है कि आगे मौसम अनुकूल रहा तो ऐसे समय में भी उस पर नियंत्रण रख सकेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय यह भूल जाते हैं कि कुछ ही दिनों पहले पूर्वी जिलों में ओला पड़ा और तरह तरह की तकलीफें आईं और इस सब का जो परिणाम हुआ उससे तमाम फसल बरबाद हो गई और उस के एवज में सरकार को नाममात्र की सहायता भी देनी पड़ी।

शिक्षकों की जहां चर्चा करते हैं वहां आशा तो हम ने यह की थी कि गेहूं और गुलाब दोनों के बीच में सामंजस्यपूर्ण योजना किसी सुलझी नीति की झलक उस में प्राप्त होगी, लेकिन उसमें सारी बात गोल मटोल कही गई है। बड़ी कृपा की है उन्होंने। कहते हैं कि शिक्षकों की चिकित्सा की व्यवस्था की जायगी। मैं उन शिक्षकों की चिकित्सा की व्यवस्था के साथ उन्हें स्मरण दिला देना चाहता हूं कि उनका जो दायित्व है, उनसे जो समाज आज काम ले रहा है उस काम की ओर भी उनका ध्यान होना चाहिये। आखिर शिक्षक काम किस प्रकार का करता है ? उनके द्वारा जो शिक्षा मिलती है उसमें युग-युग से जो बड़े-बड़े विद्वानों की विचारधारा है, हमारे जीवन के जो ऊंचे से ऊंचे मूल्य हैं उन मूल्यों को शिक्षक आने वाले समाज की जो नौव पड़ी है उसको मानस जगत में बिठाने का काम करता है। ऐसा शिक्षक वर्ग जीवन की वस्तुगत आवश्यकताओं में उलझा रहे। तरह-तरह की परेशानियों में पड़ा रहे। उधर सरकार का ध्यान न जाय। सरकार का ध्यान केवल इस ओर जाता है

[श्री रामायण राय]

कि उनकी दवा कैसे की जाय। उनका इलाज कैसे किया जाय। सरकार यही नहीं करती है सरकार शिक्षा क्षेत्र में क्या करती है इसको आपको एक लखनऊ की ही मिसाल देकर बतलाना चाहता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में इतनी उपेक्षा की नीति बरती जा रही है जिससे प्रत्येक शिक्षा विशारद और शिक्षा से प्रेम रखने वाले व्यक्ति को महान आश्चर्य हो रहा है। अभी इसी चुनाव में जो महारथी इस सरकार से संबंधित हार गये उन महारथी को सरकार चाहती है कि शिक्षा संस्थाओं की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर आसीन किया जाय। क्या सरकार यह भूल गयी है कि जिन लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी और जिन लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मामलों में गड़बड़ किया वहां की आन्तरिक स्वाधीनता पर आक्रमण किया उनको जनता के दरबार में बुरी तरह से हार खानी पड़ी, क्या सरकार ने यूनिवर्सिटीज को कोई अनाथालय समझ रखा है या कोई पेंशन लेने की जगह समझ रखी है? एक साहब, जिन को सरकार की पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया वह भी शायद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन होने की तमन्ना रखते हैं। कितनी ऊंची बात है? शिक्षा क्षेत्र में कितनी ऊंची नीति है इधर आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

इस सरकार को आज जनता कहती क्या है अगर मैं उसको एक फारमूले के रूप में आपके सामने पेश करना चाहूं तो यह है कि सीधासादा आदमी, भारत की जनता कहती है कि यह कांग्रेस अंग्रेज की तरह से है और अंग्रेज की तरह से ही नहीं, वरन् अंग्रेज के साथ-साथ भ्रष्टाचार जोड़ दिया जाय और उसमें से एफिशियेंसी, कुशलता को निकाल दिया जाय तो उसके समान यह सरकार हो गयी है। जनमत में जो धारणा आज बनी हुई है उस धारणा की उपेक्षा करके, विरोधी दल के तरकों से नाराज हो कर आप जिस तरह की बातें करते हैं उससे कुछ और ही प्रकार के भविष्य की कल्पना होती है।

अभी माननीय माल मंत्री ने नेता विरोधी दल का जो संशोधन था उसके संबंध में अपने मनोभाव बतलाते हुये कहा कि छः बातें उसमें कही गयी हैं। लेकिन उसके केवल एक अंश पर बोलते हुये उन्होंने कहा कि उत्पादन नहीं बढ़ेगा अगर रचना ठीक ढंग से नहीं होगी। वह कहते हैं कि टैक्स अगर न लिया जाय आमदनी कैसे बढ़ेगी? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हलचल हो रही है, आज उनके सामने ही जो कुछ जगहों में जिम्मेदार लोग करने जा रहे हैं उन बातों की ओर भी उनका ध्यान होना चाहिये। क्या आज मिनिस्टर अपनी तनख्वाहें कम करके और तरह-तरह के भत्ते, पेंशनें और खास कर उन लोगों को जो पेंशनें दी जाती हैं जो देश को गुलाम बनाये रखने की कोशश करते रहे हैं, इन सारी चीजों को खत्म करके आमदनी नहीं बढ़ायी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, उपदेश देने की अपेक्षा स्वयं उसके अनुकूल आचरण करना ज्यादा अच्छा होता है। उनको स्मरण रखना चाहिये कि आज जो विश्वविद्यालयों में यह कर रहे हैं उसका अच्छा परिणाम होने वाला नहीं है। चर्चा की जाती है एम्प्लायमेंट की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अधिष्ठाता महोदय, इस समय इस राज्य में ३५ हजार बी० ए० पास लोग बेकार हैं उन बेचारों की हालत क्या है। इस देश में शिक्षा लेने का मतलब समझा जाता है बच्चा जिस दिन किसी स्कूल में जाता है, लोग उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन हाकिम बनेगा। वह बेचारा जब गांव में लौट कर जाता है और चाहता भी है कि खेतीबारी के काम में हिस्सा ले तो उसके बचपन के साथी उसे यह कहते हैं कि "पढ़े फारसी बेचें तेल"। वहां रहना उसके लिये मुश्किल है। इधर ऐमप्लायमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं। आखिर सरकार उनके लिये क्या सोच रही है? हां, यह जरूर है अप्रत्यक्ष रूप से सरकार रेजीमेंटेशन चाहती है यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में। ऐडमिनिशन्स की तादाद कम हो जाय। वहां विद्यार्थी कम से कम भर्ती किये जायं। जब यह तर्क प्रस्तुत किया कि सरकार शिक्षित बेकारों से डरती है तो कहा गया अगर सारा देश शिक्षित हो जायगा तो ऐसी हालत में आपको आने का अवसर नहीं होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसे आदमी को जो शिक्षा

शास्त्री नहीं है, जिसका शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है उसे आप कुलपति बनाने का षड़यन्त्र कर रहे हैं। आप जिन बातों को जानते नहीं हैं...

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो "आप" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह किसके लिये कर रहे हैं? चेयरमैन के लिये किया जा रहा है?

श्री रामायणराय—मैंने "आप" शब्द का प्रयोग सरकार के लिये किया था। मैंने अधिष्ठाता महोदय के लिये "आप" नहीं कहा।

तो मैं कह रहा था कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में में वहां ला फैकल्टी का डिवीजन जिस ढंग से हुआ है उसे देख करके मुझे ताज्जुब होता है। जनरल ला, कांस्टीटयूशनल ला, और तरह-तरह की बातें की गई हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके चेयर को ऐड्रेस कीजिये।

श्री रामायणराय—श्रीमन् अभी हाल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो ला फैकल्टी का विभाजन हुआ है वह अवैज्ञानिक है। ऐसे लोगों का किया हुआ मालूम होता है जिनका सम्बन्ध कानून से नहीं है। उन लोगों को स्मरण रखना चाहिये कि टौर्ट जैसे कानून के भी दो हिस्से हो सकते हैं। जनरल ला और उसके अन्दर दूसरे तरह के कानून हैं। और जनरल ला के सम्बन्ध में सरकार को समय-समय पर स्टेटयूट्स पास करने पड़ते हैं। इस तरह का विभाजन यूनिवर्सिटी को बरबाद कर देगा। और बहुत सी कमेटियां जो ऐकेडेमिक लाइफ को ऊंचा उठाने के लिये आवश्यक हैं वे फंक्शन नहीं कर रही हैं। काशी विद्यापीठ में इस देश के जो राष्ट्रपति हैं एक अवसर पर उन्होंने शिक्षा संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण से स्वतन्त्र रखने वाले सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री नवलकिशोर जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महामान्य राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसमें कुछ इलेक्शन की चर्चा आयी, कुछ काश्मीर की चर्चा आयी और कुछ अपने राज्य की स्थिति की बातों की चर्चा आयी। इलेक्शन के सम्बन्ध में हमारे सामने के सदस्यों ने यह कहा कि इस चुनाव में बहुत धांधलेबाजी हुई, बहुत बेईमानी हुई है। मैं यह नहीं समझता कि जो सदस्य यहां चुन करके आये हुए हैं वह शिकायत कर रहे हैं, चुनाव में धांधली की गई? क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि उनका चुनाव फेयर हुआ या अनफेयर हुआ है? असल में जो हार गये हैं वह अगर अपना बयान देते तो मैं समझता कि उसमें कुछ सत्यता है। लेकिन कोई भी बयान अभी तक किसी भी अखबार में मैंने देखा नहीं और मैं यह समझता हूं कि एलेक्शन कमीशन जो इसके लिये जिम्मेदार था उसके पास भी कोई बहुत सी ऐसी शिकायती दरख्वास्तें नहीं पहुंची हैं जिसके आधार पर जो चर्चा यहां पर की गई वह की जाती और मैं यह भी समझता हूं कि बहुत से एलेक्शन पेटीशंस भी नहीं दायर हुए हैं जिनके कि आधार पर ऐसा कहा जा सके। इसके अलावा मैं तो यह समझता हूं कि उन सब बातों की बाबत वहां पर हमको नहीं कहना चाहिए था। इस कारण कि उसके लिए एक दूसरा दरवाजा खुला हुआ है जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, वहीं पर उन चीजों को आपको कहना चाहिए न कि यहां पर उनकी चर्चा करें। इसी तरीके पर कश्मीर की बाबत भी बात कही गई। श्री राज्यपाल ने तो केवल इतनी बात कही थी कि जो ज्यादती हुई है, जो नाजायज तरीके पर कश्मीर के

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

कुछ हिस्से पर कब्जा किया गया है वही मसला असल में हम लोगों के सामने है और उसमें हम किसी तरह से झुक नहीं सकते हैं और हर माननीय सदस्य, जो कोई भी यहां पर राजभक्त है, अपने देश का भक्त है वह इससे सहमत होगा, सिर्फ इतनी बात कही गई है। लेकिन एक हमारे माननीय मित्र यहां पर आकर के पुरानी बीतियों की चर्चा करने लगे। मैंने जब वह भाषण कर रहे थे, तब भी उस पर एतराज किया था कि असल में इस विधान सभा से उससे कोई ज्यादा सम्बन्ध नहीं, कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर भी जिस वक्त मैं इस देश का बटवारा हुआ उस वक्त की बात को उन्होंने चर्चा की। मैं यह नहीं समझता कि जिस वक्त मैं देश का बटवारा हुआ उसके लिए जो यह बात कही गई कि साहब, आप इसके लिये जिम्मेदार हैं, आपने क्यों इसको किया और आपने उस वक्त में दो कौम को माना और इसलिए आप उसके जिम्मेदार हुए।

मैं यह कहता हूं कि आखीरकार आप लोग भी तो थे, आप लोग कहां थे उस वक्त में? आपने क्यों नहीं कोई आवाज उठाई? आपने क्यों नहीं उसके लिए कोई प्रयत्न किया, आप क्यों नहीं मैदान में आये, आप क्यों घरों में छिपे रहे? माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से सामने वाले सदस्यों को जो कि इस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनको सम्बोधन कर रहा हूं। तो ऐसी हालत में जब कि एक चीज हो गई और इस वक्त में आप उसकी चर्चा करते हैं यह कहां तक हमारे आदरणीय सदन का समय आप जाया करते हैं यह तो समझने की बात है।

श्री अधिष्ठाता—आप "आप" शब्द का इस्तेमाल न कीजिए। "आप" शब्द सिर्फ अध्यक्ष के लिए इस्तेमाल होता है।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—मैंने पहले ही अधिष्ठाता महोदय, आपसे अर्ज कर दिया था और जो मैंने "आप" का प्रयोग किया था वह उन्हीं लोगों के लिये था, न कि माननीय अधिष्ठाता महोदय के लिए।

श्री अधिष्ठाता—किन्तु माननीय सदस्य चेयर को ऐड्रस करके भाषण करें।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—दूसरी चीज यह कि यू० एन० ओ० में यह मसला क्यों भेजा गया और उसके भी जिम्मेदार हम लोग हैं। ठीक हैं, लेकिन उनको यह भी याद रखना चाहिए कि यह रास्ता कोई हमीं लोगों के लिए ही नहीं था, दूसरी पार्टी के लिए भी यह रास्ता था और वह भी भेज सकते थे और वहां पर वह मसला ख्वामख्वाह के लिए आता। इसलिए वह वहां पर भेज दिया गया। इसकी वजह से कोई बात पैदा हो गई या कोई आफत आ गई यह तो कोई बात नहीं है। बल्कि हमको तो जैसा श्री राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा है इस मसले पर बजाय इसके कि आपस में तफर्का दिखलायें सभी को इस मसले पर एक हो जाना चाहिए ताकि जो नाजायज कब्जा है कश्मीर के कुछ हिस्से पर है वह चीज हम वापस पा सकें और जो ज्यादती हुई है, जो नाजायज कब्जा हुआ है उससे हम सहमत नहीं हैं। और यह चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाय।

इसी तरीके से, मान्यवर, एक बात और जो कि सम्बोधन के सम्बन्ध में आयी है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा उछाला गया—सिर्फ एक उल्लेख था अगले वर्ष का पूरा-पूरा प्रोग्राम वे दे नहीं सकते हैं, चूंकि जो मिनिस्ट्री इस वक्त में बनी है अभी थोड़े ही दिन हुए उसे बने। तो मैं, अधिष्ठाता महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो सही है थोड़े ही दिन मिनिस्ट्री को बने हुए। फिर राज्यपाल महोदय ने यही तो कह

था कि वे अगले वर्ष का पूरा-पूरा प्रोग्राम नहीं दे सकते। इसके माने यह तो न थे कि सरकार की नीति क्या है, सरकार आगे चल कर के क्या करने जा रही है उसको वे इस सम्बोधन में नहीं दे रहे हैं। सिर्फ यही उनका मतलब था कि अगले वर्ष का पूरा-पूरा प्रोग्राम इस वक्त देने में वे असमर्थ हैं। लेकिन अगर सम्बोधन को पढ़ा जाय तो आप यह भी देखेंगे उसमें अगले वर्ष के प्रोग्राम दिये हुए हैं।

सिंचाई की बाबत उन्होंने यह कहा कि ७५,७०० एकड़ की सिंचाई की व्यवस्था अगले वर्ष के लिये है। १५०० गांवों के स्तर को उठाने का भी प्रोग्राम है। कुटीर उद्योगों पर ३१ लाख रुपये सर्फ करने की योजना है। उनको सहायता दी जायगी। मत्स्य पालन के बारे में भी उन्होंने कहा। दो नये विश्वविद्यालय खोलने के बारे में भी उन्होंने सूचना दी जो अगले साल खुलने जा रहे हैं। १४८ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड भी अगले वर्ष खोले जायंगे। इस तरह से अगले वर्ष में क्या-क्या प्रोग्राम है उसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मुझे खेद है कि हमारे सामने के बैठे हुए माननीय सदस्यों ने उसको बहुत गौर से पढ़ा नहीं और उसको देखने की तकलीफ नहीं गवारा की।

खैर! भविष्य की नीति के बारे में या आगे हमारा क्या कार्यक्रम है, जैसा मैंने अर्ज किया उसकी बाबत भी सम्बोधन में काफी जिक्र है। नीति जो मोटी-मोटी हो सकती थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने यह बतलाया कि कल्याण-कारी राज्य का निर्माण, प्रगतिशील समाजवाद की स्थापना, सभी दिशाओं में व्यवस्थित प्रगति करना, इन सब चीजों के बारे में उसमें मोटेतौर पर उल्लेख किया गया है और मैं यह समझता हूं कि उस पर गौर न करना और यह समझना कि इसमें कोई चीज दी नहीं गई है कहां तक युक्ति संगत है और खास कर वे लोग जो वाकई में पढ़ते लिखते हैं वे किस तरह से ऐसी बातें कह सकते हैं।

सिर्फ यह नहीं कि हम भविष्य में क्या करेंगे, क्या-क्या हमारे कार्यक्रम होंगे अपने सम्बोधन में कुछ ऐसी बातें का भी उन्होंने उल्लेख किया है। जो प्रमुख बातें हैं वे इस प्रकार हैं। अन्न उत्पादन के लिये उन्होंने बतलाया कि साढ़े २२ लाख टन अन्न उत्पादन होगा, अधिक जूट का उत्पादन होगा, मत्स्य उत्पादन होगा। सिंचाई के लिये बांधों का निर्माण होगा। बाढ़ से बचने के लिये १५०० गांवों का स्तर ऊंचा होगा। पशुपालन के लिये प्रत्येक जिले में गोसदन होंगे। चिकित्सालयों के लिये भी बतलाया कि ५-५ मील की दूरी से अधिक चिकित्सालय नहीं होंगे और शिक्षा के बारे में भी बतलाया प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त व कम्पल-सरी होगी। दो विश्वविद्यालयों और शिल्पी शिक्षा के लिये हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसी तरह से अधिक नगरों में जल सप्लाई होगी। गन्ने की बाबत कहा जाता है कि गन्ने की पैदावार ज्यादा है और मिलें कम हैं। उसके लिये बतलाया कि चार और चीनी की मिलें खोली जायंगी। पीलीभीत में और १०,००० एकड़ भूमि का पुनरुद्धार होगा। छोटे कुटीर उद्योग में काफी रुपया प्रदान किया जायगा। पश्चिमी पाकिस्तान को जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिये मध्यमश्रेणी के वा छोटी श्रेणी के उद्योग में काफी सहायता की जायगी। श्रमिकों के लिये क्वार्टर्स बनाये जायेंगे।

एक सदस्य—मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्यों वह ऐड्रेस को दोबारा पढ़ करके सदन का कीमती समय बरबाद कर रहे हैं?

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—मैं इसीलिये बताना चाहता हूं कि बार-बार इस सदन में इस बात की चर्चा की गयी कि इसमें सिवाय इसके कि पिछले कार्य क्रम बतलाये गये हों, और कोई भी अगला कार्यक्रम नहीं बतलाया गया। मैं बार-बार उनको जताना चाहता हूं कि अगर वह इस बात पर गौर नहीं करते हैं और सिर्फ बुराई-बुराई ही देखना चाहते हैं तो मुझको उस पर सिर्फ यह कहना पड़ेगा कि यहां अगर हम सिर्फ बुराई देखने के लिये आये हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप अपना कथन जारी रखिये ।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—तो इतनी चीजें जब इसमें दी गयी हैं, इसपर भी अगर हम सिर्फ यह कह करके टाल दें कि यह तो माननीय राज्यपाल ने सिर्फ पिछला कार्यक्रम दुहरा दिया है तो ऐसी चीज नहीं है। पिछली चीजें जो हुई हैं उससे उन्होंने माननीय सदस्यों को अवगत कराया है, लेकिन यह चीज कि आगे के लिये नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है और उसमें सारी बुराई ही बुराई है, तो मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप से कह रहा था, मुझ को एक किस्सा याद आ जाता है लैला और मजनूं का। जिस समय कि मजनूं को जनून हुआ तो उसको लैला ही लैला नजर आती थी। उसके पिता जी ने पूछा कि मैं कौन हूं, तो उसने कहा कि "लैला"। तो अगर बुराई के जो यहां आंशिक हैं उनको तो बुराई ही नजर आवेगी, सिवाय इसके और कोई चीज वह देख नहीं सकते हैं।

अब इसके बाद दूसरी बात यह कही गयी कि बेरोजगारी की इसमें कोई चीज नहीं दी गयी है कि बेरोजगारी कैसे दूर की जायगी। मैं, अधिष्ठाता महोदय, यह अर्ज कहना चाहता हूं कि जब हम यह कहते हैं कि छोटे कुटीर उद्योगों की सहायता करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दुनिया भर के खोलेंगे, उनमें लोगों को काम करने का, मेहनत करने का मौका मिलेगा, उसमें लोग तनख्वाह पावेंगे। १० हजार एकड़ जमीन पीलीभीत में कल्टीवेट होने जा रही है जिसमें लोग बसाये जायेंगे और उनको भूमि दी जायगी। तो इस तरह से क्या बेरोजगारी दूर नहीं होगी? बेरोजगारी का हल क्या उन्होंने भी कोई बतलाया है? क्या यह बात सिद्ध नहीं है कि अगर बेरोजगारी दूर हो सकती है तो वह दूर हो सकती है छोटे कुटीर उद्योगों के जरिये से और जब हम उसी का प्रबन्ध कर रहे हैं, जब हम १०,००० एकड़ भूमि भी इसके लिये कल्टीवेट करने जा रहे हैं, तो फिर यह कहना कि बेरोजगारी की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है यह कहां तक सत्य है? बेरोजगारी दूर करने की इसमें काफी व्यवस्था की गयी है।

*श्री गेंदासिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह स्वाभाविक था इस सदन के लिये कि जब ५ वर्षों के लिये यह सदन साढे छः करोड़ आदमियों से चुना हुआ आकर बैठा है तो अपने ख्याल ५ वर्ष के कार्यक्रम के संबंध में प्रकट करे और उसके संबंध में कुछ राज्यपाल महोदय से संकेत पावे। यह कोई ज्यादती राज्यपाल महोदय के साथ हमारी नहीं थी और न तो उनकी कोई मेहरबानी थी अगर वह अपना काम करते जो उनका कर्त्तव्य था। हम अपने कर्त्तव्य में पीछे तो नहीं रहे। लेकिन मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को एक इस तरह के वृद्ध आदमी से, जो संभव है हमारे बीच से कुछ दिनों के बाद इस पद से छुट्टी लेकर चला जाय, आखिर में उससे ऐसी बातें नहीं कहलानी चाहिये थीं, जिसको कम से कम माननीय कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी जी के मुख से सुनने की हमारी इच्छा नहीं थी। मैं जानता हूं मुन्शी जी की विद्वता और प्रखर बुद्धि को। बहुत सी बातों में हमारे उनसे मतभेद हैं और मैं यह समझता हूं कि यह जो अभिभाषण उनकी तरफ से दिया गया है वह उनके अनुकूल नहीं था।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत से प्रश्न उठाये उनका उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा। इसके लिये वह मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन कुछ खास-खास बातें जिनसे हमारा गहरा ताल्लुक है, उनका यदि मैं जिक्र न करूं तो वह मुझसे नाराज होंगे और मैं उनकी नाराजगी की बहुत परवाह करता हूं। पहली बात मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि चाहिये यह था कि जो उनकी सब से प्यारी योजना चकबन्दी की है, उसको डिफेंड करते। मुझे अफसोस है कि राजस्व मंत्री द्वारा इस बेचारी चकबन्दी की योजना के डिफेंस में कुछ नहीं कहा गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरा काम अब रह गया है। मेरे ऊपर भी उस तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि मैं भी चकबन्दी योजना में उनके साथ था। इसलिये मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं अपनी सफाई दूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग मौजूद होंगे उनको याद होगा कि मैंने बराबर इस बात की दुहाई दी थी। हो सकता है कि चकबन्दी की योजना फायदेमन्द हो और इसका प्रयोग अपने यहां होना चाहिये और अब भी मैं कहता हूं कि वह फायदेमन्द हो सकती है, लेकिन एक मूलभूत सिद्धांत उसके पीछे मान लिया जाय तो उसमें बहुत आसानी हो जायगी।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात कह देना चाहता हूं कि मेरे मित्र जानते हैं कि मुझे समय नहीं मिला कि ऐसी बातों का जिक्र करूं। यदि मुझे समय मिला होता तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जातीं। इसलिये यदि मेरे मित्र चकबन्दी पर जोर देकर कोई बात कहेंगे तो वह मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे।

श्री गेंदासिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं फिर से अपनी सफाई दे देना चाहता हूं। मैं भी उम्मीद करता था कि वह चकबन्दी को नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं क्या करूं और यह कहा गया कि मैंने और चरण सिंह जी दोनों ने मिलकर इसको सारे सूबे के ऊपर डाल दिया। इसलिये मैं समझता हूं कि यदि मेरे कहने से उनकी भी सफाई हो जाय तो हो जाय और यदि दोनों डांट में रहें तो कोई हर्ज नहीं होगा। मुझे यहां एक बात कहकर इस पाप से छुट्टी मिल सकती है। लोगों को इस चकबन्दी की योजना से कितना कष्ट हुआ है और खाततौर से कैराना तहसील में, वहां पर बहुत से किसानों को दफा १०७, ११७ और १५७ में जेलखाना जाना पड़ा। हमें कोई हक नहीं है कि हम यह कहें कि सारे किसान अबोध बच्चे हैं और उनको अमृत पिलाने का हमको हक है। वह लोग हमें चुनकर यहां भेज देते हैं तो उनकी मर्जी के खिलाफ हम जो चाहें करें, इसका हमें कोई हक नहीं है। मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस चकबन्दी के कानून में तुरन्त यह संशोधन करना चाहिये कि जब तक किसी गांव के तीन चौथाई आदमी चकबन्दी के लिये तैयार नहीं हों तब तक यह काम वहां जबरदस्ती न लादा जाय। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस बात को एक मर्तबा नहीं बल्कि जितनी मर्तबा संशोधन आये, मैं यहां पर, चकबन्दी कमेटी में और सिलेक्ट कमेटी में बराबर इस बात पर जोर देता रहा। मैं केवल इसलिए इस बात को कहताहूं कि जिस वक्त यह कानून तरमीम हो जाता है उसके बाद हर अधिकारी के लिये जरूरी हो जायगा कि वह जा करके गांव के लोगों की रजामन्दी हासिल करे। अगर रजामन्दी हासिल करने की शर्त हो जाय तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे साफ-साफ कहना चाहता हूं कि यह जो आज सारे कुकर्म की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है उस जिम्मेदारी से सरकार बच सकती है और मैं यह भी कह सकता हूं कि वही सरकारी अधिकारी जो आज समझते हैं कि उनके हाथ में राज्य का डंडा है और उस डंडे से चकबन्दी का घूंट वह पिला सकते हैं। वे सोचने लगेंगे कि गांव के लोगों को रजामन्द करना चाहिये और रजामन्द करने में जुल्म की आदत उनकी छूट सकती है। आदमी हैं, आदमी से गलती हो सकती है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रतीक्षा जरूर कर रहा था। उसमें मैं भी शेयर करता हूं कि जो सरकार यह चाहती है कि सरकारी अफसरों ने इन आम चुनावों में बड़ी निष्पक्षता बरती। मैं भी मानता हूं और धन्यबाद भी उनको देता हूं। यद्यपि उन्होंने अपना कर्त्तव्य ही पालन किया है लेकिन फिर भी कर्त्तव्य भी कोई पालन करे तो वह धन्यबाद का पात्र है। लेकिन इस अवसर पर मैं एक बात सरकार को स्मरण दिलाने का कर्त्तव्य समझता हूं कि सरकार यदि निष्पक्ष मानती है सरकारी अफसरों को तो जितने लोग कांग्रेस के हारे हैं उनका हारना भी ठीक समझती होगी। अगर वे हारे और हमारे सरकारी अफसर रहे, बैलट बाक्स नहीं तोड़े गये, कोई बेईमानी नहीं की गयी, कोई दबाव नहीं डाला गया तो यह तो साफ बात है कि जनता का वर्डिक्ट कांग्रेस के शासन के विरुद्ध है। पिछले पांच वर्षों में जो कुछ भी शासन ने किया उसके विरुद्ध जनता है। अगर उसके विरुद्ध है जनता की

[श्री गेंदासिंह]

वर्डिक्ट, तो आज जनमत की उपेक्षा करना मैं समझता हूं कि वह खतरे से खाली नहीं है। हमारे लिये खतरे से खाली है, लेकिन मैं तो दाना दुश्मन हूं। मैं कई मर्तबा यह कह चुका हूं कि उस तरफ के लिये यह खतरे से खाली नहीं है। हमारा काम यह है कि अगर हमारी समझ में आप गलत रास्ते पर जा रहे हों तो हम प्वाइन्ट आउट कर दें, सिर्फ रोशनी दे दें।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में जो सरकार ने काम किया उससे हमारा डिसऐग्रीमेंट रहा है। खासतौर से जिस प्लानिंग के बल पर, जिस प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बल पर आप देश का शासन करना चाहते हैं, जिसके बल पर आप देश को रोटी और रोजी देना चाहते हैं उसमें इतनी खामियां हैं और वह इतनी निकम्मी मैं कैसे कहूं, लेकिन वह मुल्क की जरूरतों को पूरा करने वाली नहीं रही हैं। इसकी वजह से पब्लिक का वर्डिक्ट खासतौर से योजना मंत्रियों के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि सरकार को एक मर्तबा नहीं दस मर्तबा इस पर सोचना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, जब सारे देश में लाखों आदमी ऐसे हों कि जिनको आधा पेट खा करके रहना पड़ता हो, जाड़े में ठिठुर कर बर्दाश्त करना पड़ता हो, नया कपड़ा नहीं खरीद सकते, पानी नहीं मिल सकता, कुंए भी उनको मोहइया नहीं हैं, अगर ऐसे लाखों आदमी इस राज्य में हैं तो उस वक्त क्या हमारा यह उपहास करना नहीं है कि सदन में खड़े होकर कोई व्यक्ति वहां से यह कहे कि हमारे देश में अन्न की समस्या हल हो गयी है। यह पांच वर्षों की प्लानिंग की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने है और उसके साथ राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। कहा यह जाता है कि अन्न की समस्या के संबंध में सन् ५४–५५ में जो टार्गेट इस सूबे में अन्न पैदा करने का था उससे बहुत आगे हम निकल गये थे। सन् ५५–५६ में उससे नीचे आये। लेकिन फिर यह कहने में शर्म नहीं आयी कि ५५–५६ में जितना अनाज पैदा हुआ उस अनाज से इस मुल्क की जरूरत हम रफा नहीं कर सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में जब स्कीम बनाई गई थी तो उस वक्त पंद्रह जिलों को डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट नहीं माना गया था? मैं पूछना चाहता हूं कि उन पंद्रह जिलों को सेल्फ सफीशियेंट बनाने के लिये क्या किया गया? किस तरह से मान लिया गया कि मेरठ और सहारनपुर का गेहूं, बुलन्दशहर का गेहूं, चना और जौ बलिया, बस्ती और देवरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की यह आपकी क्या थ्योरी है? क्या १४ और १५ छटांक बैलेंस्ड डायट जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये सरकार समझती है वह सब को इन १५ जिलों में मिल गयी? कितना अनाज वहां पैदा होता है, कितनी खूराक वहां पर जरूरी है और किस तरह से उनको मुहइया करते हैं। मैं परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाने की क्या कोशिश आपकी हो इस को नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं यह कहता हूं कि जब सेल्फ सफीशियेंसी का नाम लिया जाता है तो भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ रही है, फाका करने वालों की तादाद बढ़ रही है, इसको क्यों नहीं देखा जाता। मैं यह नहीं कहता कि दौलत नहीं बढ़ रही है। अगर मैं समझता हूं कि दौलत नहीं बढ़ रही है तो मेरे लिये उचित नहीं होता कि मैं कोई बदनाम करने के लिये कहता लेकिन मैं समझता हूं कि दौलत बढ़ रही है, लेकिन दौलत कैसे खर्च की जा रही है? किसके पास जा रही है? मेरे पास आ रही है? मेरे जैसा आदमी दो सौ रुपया तनख्वाह नहीं पा सकता था, मेरी योग्यता का आदमी लेखपाल नहीं हो सकता था, लेकिन हमारे पास दौलत आयी और इस स्वराज्य को हासिल करने का सुख मैं भी भोग रहा हूं। मैं दूसरों के लिये क्या कहूं? दूसरे स्वयं सोचें कि वे सुख भोग रहे हैं या नहीं और इसके दूसरी ओर आज जो भूख से पीड़ित होकर अपनी इज्जत बेंच रहे हैं, यह किसी भी सोशलिस्टिक पैटर्न की स्टेट के लिये, किसी कल्याणकारी राज्य के लिये क्या शर्म की बात नहीं है? यह लज्जा की बात है। एक कौंसिल समाज सेवा के लिए बनी हुई है और उसमें मैंने एक मर्तबा नहीं बल्कि कई बार चर्चा की है कि क्या यह नहीं हो सकता कि हम अपने सूबे से भिखमंगी को दूर कर

सकें और अगर भीख मांगने को हम दूर नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको सोशलिस्टिक पैटर्न का स्टेट बनाने का दावा मिसिल पर उस नाम को भी बदनाम करना है।

अधिष्ठाता महोदय, वक्त थोड़ा है लेकिन मैं यह आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यह हाउस इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकती और मैं धन्यवाद देता हूं इस देश और प्रदेश की जनता को कि भूख से पीड़ित होने के बाद भी, नंगे रहने के बाद भी वह इस हुकूमत से बगावत करने की बात को नहीं सोचती, वह डाके मारने की बात को नहीं सोचती, वह नहीं सोचती कि दौलतवालों की जान मार कर उनसे दौलत ले ले। मुख्य मंत्री जी ने एक बार कहा था कि अमेरिका में एक बार बाढ़ आयी और थोड़ी सी बाढ़ के बाद ही वहां लूटमार जनता ने की। मैं धन्यवाद देता हूं इस जनता को कि इसने हम सब को इतनी परेशानियों के बाद भी, भूखे रहने के बाद भी हमें लेजिस्लेटिव असेम्बली का मेम्बर रहने की इजाजत दी। मैं कह रहा हूं कि जिस अवस्था में इस प्रदेश के पूर्वी जिले हैं उस अवस्था को बरदाश्त नहीं किया जा सकता और हमारा यहां क्या काम है? हम आज इस पवित्र अवसर का लाभ उठा कर कहना चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाय। भूखे रह कर यह डिमोक्रेसी कभी नहीं चल सकती, नंगे रह कर यह डिमोक्रेसी कभी नहीं चल सकती। मैं नहीं कहता कि उनको लक्जूरियस बना दीजिये, लेकिन उनकी बेयर नेसेसिटीज आफ लाइफ़ तो मुहइया कीजिये और बेयर नेसेसिटीज इन पांच सालों में पूरा नहीं किया आपने इसलिये आगे पांच वर्षों में मैं कतई नहीं समझता कि वह बेयर नैसेसिटीज हम पूरा कर सकेंगे।

आखिर में मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। मैं यह समझता हूं कि यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन मैं इस तरफ संकेत कर रहा हूं। मैंने कहा कि अगर सरकार के पास साधन नहीं है कि वह उन लोगों को पेश कर सके जिन्होंने ४ करोड़ में से दो करोड़ खा लिये हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं कुछ लोगों को बताने के लिये तैयार हूं। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। अगर मैं यह आज कहूं कि सरकार का भी कुछ हिस्सा है उस भ्रष्टाचार में तो मैं क्या बुरा कहूंगा?

अन्त में मैं आध मिनट में कहना चाहता हूं एक बात को जिसे मैं भूलूंगा तो दोषी ठहराया जाऊंगा। शुगर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जो एक मजबूत खंभा है हमारे लिये। उसके लिये बंबई की सरकार प्रतिमन गन्ने के लिये आज १ रुपया १० आना ५ पाई दे रही है और अपनी सरकार से जब उसके लिये चर्चा की जाती है तो वह कहती है कि यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। मैं कहता हूं कि इस सम्बन्ध में हम बंबई और मद्रास की सरकार से क्यों नहीं सबक लेते? आज हमारे यहां गन्ना बोने वाला किसान मर रहा है, वह मुसीबत में है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। सरकार ने एक शुगर केन बोर्ड की स्थापना की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उस की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? इसी काम के लिये वह बोर्ड बना हुआ है। आज इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब यहां नहीं हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को इस शुगर इंडस्ट्री और इस भुखमरी की समस्या को हल करने के लिये शीघ्र ही कुछ सोचना होगा और अगर वह जल्दी ही इसके लिये कुछ नहीं सोचती है तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम इस समस्या को कैसे हल करें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अधिष्ठाता महोदय, पिछले दो तीन दिनों में राज्यपाल महोदय के इस सम्बोधन के सम्बन्ध में जितने भाषण हुए उन सब को तो मैं अपने दुर्भाग्य से सुन नहीं सका। कुछ को सुना, शेष की अखबारों में छपी हुई रिपोर्ट को देखा। बहुत सी बातों की चर्चा सदन में की गई है। उन सब का उत्तर देना, उन सब के सम्बन्ध में कुछ कहना तो मेरे लिये संभव नहीं है, कुछ खास-खास बातों का ही जिक्र कर सकता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आम तौर से यह शिकायत की गई है कि सम्बोधन बहुत लम्बा था और उसमें कोई नयी बात प्रायः नहीं है। यह दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सम्बोधन लम्बा है और उसमें प्रायः कोई नयी बात नहीं है। लेकिन मैं तो ऐसा समझता हूं कि इसको संबोधन का दूषण न मान कर भूषण मानना चाहिये। स्वयं संबोधन में यह बतला दिया गया है कि क्यों यह कुछ लम्बा हो गया है। ऐसा उचित समझा गया कि जो यहां बहुत से नये सदस्य आ गये हैं उनको अब तक के कामों की कुछ रूपरेखा सी मिल जाय। जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने कहा उनको बड़ी-बड़ी पोथियों को पढ़ने के बदले संक्षेप में कुछ बातें मालूम हो जायं। इसके लिये तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिये था कि इतने परिश्रम से उन्हें बचा दिया गया।

नयी बात क्यों नहीं कही गई उसका भी स्पष्टी कारण है। १० तारीख को गवर्नमेंट बनी और ११ तारीख को सम्बोधन हुआ। माननीय सदस्यों को मालूम है कि संविधान के अनुसार सदन की जो पहली बैठक हो उसमें राज्यपाल का संबोधन होना ही चाहिये। इसलिये जब ११ तारीख को पहली बैठक होनी थी तो राज्यपाल के सम्बोधन के बिना काम चल ही नहीं सकता था। यह मजबूरी थी संविधान की। एक ही तरीका हो सकता था कि सदन की बैठक इस वक्त न की जाती बल्कि दो तीन महीने बाद की जाती। उस समय ऐसा हो सकता था कि नयी सरकार की कुछ बातों की सूचना देने का मौका राज्यपाल को सदन में अपने संबोधन में रहता। लेकिन ऐसा हमने अनुमान किया, और हमारा अनुमान सही है, कि एक बार सदन की बैठक हो जाय, लोग एक दूसरे से मिल-जुल लें, इसके अलावा कुछ सरकारी काम भी थे, कुछ बिल भी थे जिनको कि रखने की, लाने की बड़ी जरूरत थी, इस सब के लिये हमने यह उचित न समझा कि इस प्रकार लोगों के सदस्य हो जाने के बाद भी दो-तीन महीने तक सदन की बैठक न की जाय। इसलिये यह सोचा गया कि सदन की बैठक की जाय परन्तु इस बैठक में मजबूरन हमारे लिये नई बातें रखना सम्भव नहीं था। कहने को यह गवर्नमेंट नयी है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाय तो गवर्नमेंट पुरानी है क्योंकि मन्त्री वही हैं जो कि पहले थे। यह बात ठीक है फिर भी गवर्नमेंट नयी है और मैं समझता हूं कि हममें से कोई भी इस बात को पसन्द नहीं करेगा कि हम अपने दिमागों के दरवाजों को बन्द कर लें। भले ही हम पुराने आदमी हों, लेकिन परिस्थिति बदलती रहती है और परिस्थिति के अनुसार नई-नई बातों को सोचने का मौका होना चाहिये और नई बातों की नीति को अंगीकार करके सदन के सामने रखना चाहिये। परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमारी एक पंच वर्षीय योजना खत्म हुई है और दूसरी पंच वर्षीय योजना का कुछ समय बीता है। हमको कामों का अनुभव हुआ और हमने देखा कि काम किस तरफ जा रहा है और किस तरह से काम हो रहा है और कामों की प्रगति क्या होगी। हमने केंद्रीय सरकार के मन्त्रियों से बात की और प्लानिंग कमीशन के अधिकारियों से बातचीत की और बात करके इस बात का अन्दाजा लगाया कि हमको केन्द्र से किन-किन कामों के लिये किस प्रकार से कितनी सहायता मिलेगी। उसके साथ ही अपनी आवश्यकता को भी देखते हुए अपने कामों की बाबत सोचने का मौक़ा मिला है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का भी असर पड़ता है। उस परिस्थिति का बहुत बड़ा अंग काश्मीर है जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में किया है। हम कोई डिफेन्स डिपार्टमेंट नहीं रखते। हम कोई फौज भी नहीं रखते हैं परन्तु यदि कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाय जिससे काश्मीर की परिस्थिति कोई और सूरत अख्तयार करे तो यह जाहिर बात है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। हमारे यहां कीमतें परिवर्तित हो जायंगी। जो लोगों के जीवन के लिये आवश्यक वस्तुएं हैं उनके मूल्य पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और परिस्थिति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जिसको स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और कम से कम मुझको तो आपत्ति नहीं है।

वह परिस्थिति का परिवर्तन यह है कि हमारे सामने जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उनका यहां पर उपस्थित होना, जाहिर बात है पिछली बार यहां पर ४३, ४४ आदमी थे और अब जो विरोधी पक्ष के कहलाते हैं उनकी संख्या १४३ है। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा

था कि यह जनता की वरडिक्ट है। जरूर जनता की वरडिक्ट है। अगर हम मानते हैं कि चुनाव ठीक तरीके से हुए हैं तो जैसे इधर २८६ बैठे हुए हैं और वह सही तरीके से चुनकर आये हैं तो जो उधर आये हैं वह भी सही तरीके से चुनाव लड़ कर आये हैं। यह मानना होगा कि प्रदेश की एक अच्छी खासी जनता के अंश ने उन सदस्यों का समर्थन किया है जो कि हमारे सामने बैठे हैं। उन्होंने जरूर कुछ ऐसी बातें जनता के सामने रखी होंगी जिनको जनता ने पसन्द किया होगा। जनतान्त्रिक ढंग से जहां पर शासन होता है वहां पर अपोजिशन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो भी गवर्नमेंट हो उस को इस बात का खयाल रखना चाहिए कि अपोजीशन के लोग क्या कहते हैं क्योंकि दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो सरकारी पक्ष के होते हैं और जो अपोजीशन के लोग कहलाते हैं, दोनों के सम्मिलित कन्ट्रीब्यूशन से प्रदेश का कल्याण होगा इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। जितने उधर के बैठने वाले लोग हैं, वह भी चाहते होंगे कि प्रदेश का कल्याण हो और जो इधर के बैठने वाले हैं वह भी चाहते हैं कि प्रदेश का कल्याण हो। विचारों में कुछ फर्क हो सकता है, कार्यशैली में कुछ भेद हो सकता है, लेकिन उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं हो सकता है। यह उचित बात थी कि इसके लिये ज्यादा समय दिया जाता और उनकी बातों को सुनते और उनकी बातों से और सलाह से हम फायदा उठाते और सदन के सामन आते और वह कोई नया कार्य-क्रम होता। लेकिन उसका तो सब से बड़ा मौका हमारे सामने जो आ सकता है वह अगले बजट के वक्त ही आ सकता है, लेकिन हम यह वायदा नहीं करते कि उस समय हम बड़ा भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन का कोई कार्यक्रम लावेंगे। मैं यह समझता हूं कि यह न्याय की बात है कि सदन उस वक्त उस पर विचार करे जिस वक्त हम नये बजट को सदन के सामने पेश करें। इस समय यह अनुचित बात होगी कि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के समय कोई बात कही जाय जब कि नयी बातों को सोचने का किसी क़दर मौक़ा नहीं मिल सकता था। मैं समझता हूं कि यह बात सचमुच धन्यवाद देने की चीज है।

मैं एक आध बातों के कहने की इजाजत चाहता हूं। एक अपील की तरह से कहता हूं। इस सदन के सदस्यों में शायद सब से बड़ा तो नहीं लेकिन बहुतों से उम्र में बड़ा हूं। इस सदन की सदस्यता भी काफी दिन तक कर चुका हूं। इसलिये मैं कहता हूं कि हम सब को अपने कार्य का सम्पादन इस प्रकार से करना चाहिये कि जिससे इस सदन की मर्यादा पूरे तौर से बनी रहे। एक आध चीज को देख कर मुझे दुख हुआ और मैं समझता हूं कि औरों को भी हुआ होगा। किसी भी पार्टी के नेता या बुजुर्ग को भी हुआ होगा। हम लोगों को अपने सदन में किसी ऐसे मनुष्य या सरकारी नौकर के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहिये जो कि यहां मौजूद न हो, यह शोभा नहीं देता है। बड़ी-बड़ी पार्टियों के बड़े-बड़े नेता कभी-कभी चुनाव में नहीं आते हैं लेकिन उसके बाद उन चीजों का जिक्र करना "हिटिंग बिलो दी बेल्ट" होता है जैसा अंग्रेजी में में कहते हैं। यह सदन की मर्यादा के लिये उचित नहीं है। इस सदन का एक खास स्तर है बातचीत करने का। हंसी मजाक के लिये वादविवाद में भी जगह होती है लेकिन उसकी भी एक हद होती है उसके आगे जाना मर्यादा के अनुकूल नहीं रहता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के व्यक्तित्व की चर्चा की। मिसाल के लिये कांग्रेस दल के एक सदस्य श्री गंगाप्रसाद ने कहा कि राज्यपाल उसी गुजरात प्रदेश के हैं जहां के महात्मा जी थे जिन्होंने हरिजनों का इतना कल्याण किया और इस सम्बोधन में हरिजनों की कोई चर्चा नहीं है। कोई नया सदस्य ऐसी बात कहता तो वह क्षम्य हो सकता था लेकिन एक पुराने सदस्य के लिये जो यहां कई वर्षों तक रह चुका हो और कई सम्बोधनों को सुन चुका हो, इतनी आशा तो की ही जाती है कि वह संविधान को इतना तो अवश्य जानता होगा कि चाहे राज्यपाल महोदय उस प्रदेश के रहने वाले हों जहां के महात्मा जी थे या उसके हों जहां के व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी, मगर उनके व्यक्तित्व का यहां कोई प्रश्न नहीं है। यह बात तो चली आती है कि मुंह होता है महामहिम राज्यपाल का और नीति होती है सरकार की। जो कुछ निन्दा की जाय वह गवर्नमेंट की होनी चाहिये। राज्यपाल के व्यक्तित्व को वाद-विवाद में नहीं लाना चाहिये।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मैं माननीय दीपंकर जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने चकबन्दी के बारे में मुजफ्फरनगर जिले की कुछ जगहों में हुए भ्रष्टाचार की चर्चा की। उन बातों का मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि १० लाख या १ लाख या हजार तो बहुत बड़ी चीज है अगर कुछ भी रिश्वत ली गई तो बहुत बुरा हुआ। बहुत शर्म और दुख की बात है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जहां भी ऐसी बात हो जरूर माननीय माल मंत्री जी इसकी जांच करेंगे और मैं भी इसे देखूंगा। चाहे जैसी अच्छी बात हो लेकिन खराब हाथों में पड़कर वह चौपट हो जाती है। जैसा अभी माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि सारी बदनामी सरकार के ऊपर आती है। हम चाहते हैं कि वह चकबन्दी पर विश्वास जमायें रखें, जैसा उन्होंने कहा कि उनका विश्वास है, और वह और हम दोनों मिल कर खराबियों को दूर कर सकेंगे। उसमें जो खराबियां हैं वह दूर हो जायंगी। लेकिन जहां मैं उनकी इस बात के लिये कृतज्ञ हूं वहां दो चीजों के लिये मुझे अफसोस भी है।

भ्रष्टाचार की चर्चा हमारे यहां होती है, होनी भी चाहिये। यद्यपि इस संबंध में इस सदन में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि जिस प्रकार से और जितनी चर्चा भ्रष्टाचार की यहां होती है उससे मुझे कभी-कभी घबराहट हो जाती है। हम लोगों में दोष हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने को दोषी, पापी कहने में कुछ मजा आता है, इसके विज्ञप्त करने में कुछ मजा आता है कि हमारे घर के लोग चोर हैं, बेईमान हैं। हमारे यहां तपस्वी रहे होंगे, उन्होंने दोषों को समाप्त करने के लिये कष्ट सहे होंगे लेकिन इस प्रकार से यहां इसका जिक्र करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो उसको दूर करने का हमारा कर्तव्य है, वह हमारे चरित्र के ऊपर लांछन है, उसके कारण हमारे जितने भी अच्छे अच्छे काम होंगे वे सब नष्ट हो जायेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का जिक्र करते समय हमें ठीक तस्वीर सामने रखनी होगी। ऐसा नहीं कि कोई मरीज है, उसको जरा कुछ बुखार है, खांसी है और आप उसके लिये टी० बी० का उपचार करने लगें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह मरीज ही खत्म हो जायगा। तो बहुत बढ़ी हुई तस्वीर सामने रखने से हम किसी चीज पर ठीक से विचार नहीं कर सकते और ठीक से काम भी नहीं हो सकता।

अपनी स्पीच में दीपंकर जी ने यह कहा कि सरकारी नौकरियों में तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि कोई शख्श किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार न हो। इस वक्त हम लोग नौ और चार कुल तेरह हैं, पहले ११ थे और सरकारी नौकर ४–५ लाख हैं, तो एक एक मिनिस्टर के जिम्मे ३०–४० हजार आते हैं। अगर केवल हमारे रिश्तेदारों की ही तरक्की होने लगे तो स्टेट में किसी की कोई तरक्की ही न हो। साहित्य में अतिशयोक्ति कोई अलंकार होता होगा, लेकिन यहां पर ऐसी बातों के कहने का कोई अच्छा असर नहीं होता और ऐसी बातों से मुख्य प्रश्नों की ओर से भी ध्यान हट जाता है।

एक चीज और माननीय दीपंकर जी तथा और माननीय सदस्यों ने कही। वह यह कि माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में प्रदेश की हैवी इंडस्ट्री के बारे में कहा। इसको कोई प्रलाप समझे या विलाप समझे, लेकिन यह चीज जरूरी है। आज यह नये सदस्यों को चाहे न मालूम हो लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जब जब इस बात का जिक्र सदन में हुआ तो बिना किसी पार्टी के भेदभाव के सब लोगों ने इसका समर्थन किया है और इसी बल पर हम केन्द्रीय सरकार से बराबर लड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिये हैवी इंडस्ट्री का होना जीवन-मरण का प्रश्न है और वह इसलिये कि पहले जमाने में जो यहां हैवी इंडस्ट्रीज नहीं खोली गयीं तो उसके लिये बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कहा यह गया कि उत्तर प्रदेश एक ऐग्रीकल्चरल स्टेट है, यहां

उसी की तरक्की होनी चाहिये। इसी बात की चर्चा बराबर दिल्ली में की जाती रही और जब जब उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात आयी, तब तब यही कहा जाता रहा और इस प्रकार से हैवी इंडस्ट्रीज दूसरी जगह चली गयीं। लेकिन जमींन रबड़ की तरह लचीली नहीं है अथवा हमारा सूबा आस्ट्रेलिया की तरह नहीं जहां आबादी थोड़ी हो और जमींन ज्यादा हो कि हम खेती करते चले जायं और देश का काम चलाते चले जायं। हमारी आबादी बढ़ी है और जमींन सीमति है। कहां तक पैदा करेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे सूबों तथा देशों में भी एग्रीकल्चर की तरक्की हो रही है। परिणाम होगा कि जिन चीजों के पैदा करने की हमें आशा है उनकी उतनी मांग बाहर नहीं रहेगी जितनी कि हम आशा करते हैं और उनको अपने देश अथवा प्रदेश के बाहर नहीं भेज सकेंगे लेकिन हमें अवश्य ही अपनी आवश्यकताओं के लिये दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और जब हमारा माल बाहर नहीं जायगा और बाहर से माल मांगने के लिये हम मजबूर होंगे तो हमारा अवश्य ही दिवाला निकल जायगा, उस आदमी की तरह जिसकी आमदनी तो कुछ हो नहीं और उसका खर्च बराबर बढ़ता चला जाय। इसलिये उत्तर प्रदेश के लिये यह जरूरी बात है कि यहां इंडस्ट्रीज हों।

इंडस्ट्रीज भी कई तरह की होती हैं। एक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज। उसके भी कई फायदे हैं, उनके लिये भी हमें कोशिश करनी चाहिये, लेकिन इसके साथ ही साथ हैवी इंडस्ट्रीज की भी बहुत आवश्यकता है। हैवी इंडस्ट्रीज से कई फायदे होते हैं। एक जगह अगर कोई हैवी इंडस्ट्री खुल जाती हैं तो उसके आस-पास और बहुत सी इंडस्ट्रीज खुल जाती हैं। अनेक-अनेक तरह के फायदे की चीजें हैं और हम बराबर इस पर जोर देते रहे हैं। वह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि बड़ी गम्भीरता के साथ, इस सदन के प्रत्येक वर्ग के सदस्य इस मामले में हमारी मदद करेंगे।

हमारे प्रदेश की बाबत अनेक तरह की बातें कही गयीं। यह कहा गया कि साहब आपके यहां रा मेटिरिअल नहीं है, आपके यहां कोई खनिज पदार्थ नहीं हैं। हमने अपने यहां एक जियोलाजिकल विभाग खोल रक्खा है, जो खनिज पदार्थों की खोज कर रहा है। मुझे आशा है कि कुछ दिनों के अन्दर हम अपने यहां के खनिज पदार्थों से भी फायदा उठा पायेंगे। लेकिन आप देखें कि दूसरी जगह जहां इंडस्ट्रीज कायम हुई है वहां भी रा मैटिरिअल नहीं है। जैसे टेलीफोन बनाने का कारखाना जो दक्षिण भारत में बना है वहां कोई रा मेटिरियल नहीं है, एयरोप्लेन बनाने का कारखाना जो दक्षिण भारत में बना है वहां भी कोई रा मेटिरियल नहीं है। चाहे कोई कारखाना उत्तर में बने, दक्षिण में बने, पूरब में बने या पश्चिम में बने, उसका रा मेटिरिअल से कोई खास सम्बन्ध नहीं होता है। यह कहा गया कि साहब आपके यहां बिजली इतनी नहीं है फिर आपके यहां कोई इंडस्ट्री कैसे कायम हो सकती है? इस पर हमारे यहां से कहा गया कि चाहे सारे यू० पी० को स्टार्व करना पड़े लेकिन आप इंडस्ट्रीज को कायम कीजिये, हम किसी न किसी तरह से वहां पर बिजली का प्रबन्ध अवश्य ही कर देंगे। यह कोई जरूरी नहीं है कि पहले बिजली वहां पहुंचा दी जाय तभी वहां इंडस्ट्री कायम हो। जैसे मध्य प्रदेश के भिलाई में लोहे का जो कारखाना खुला है, वहां पर तो पहले बिजली का पता तक नहीं था लेकिन जब कारखाना खुला तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वहां अपने खर्चे से बिजली भी पैदा कर दी और लोहे का कारखाना भी खुल गया। यह नहीं हुआ कि बिजली नहीं है तो कारखाना नहीं खुलेगा। मसलन भाखरा नांगल कारखाने के लिए ही पंजाब के पास बिजली नहीं थी, लेकिन वहां पर कारखाना खुला और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वहां पर बिजली का सारा प्रबन्ध किया। लेकिन जब हमारे यहां कोई इंडस्ट्री खोलने की बात होती है तो कहा जाता है कि यू० पी० में तो बिजली ही नहीं है। अगर भाखरा नांगल के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया बिजली का इन्तजाम कर सकती है तो फिर यू० पी० के लिये यह कहना कि पहले बिजली का इन्तजाम होना चाहिये, एक अन्याय की बात है। इसको प्रलाप, विलाप, शिकायत या जो कुछ भी कह लीजिये, लेकिन साल डढ़ साल से हम लगातार

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

गवर्नमेंट आफ इंडिया से लड़ते रहे हैं कि हमारे यहां भी हैवी इंडस्ट्रीज कायम की जायं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह अन्धेर और अनुचित है। हमारी कोशिश इस चीज की बराबर होती रहनी चाहिये कि हमारे यहां हैवी इंडस्ट्रीज कायम की जायं।

हैवी इंडस्ट्रीज कायम करने के सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमेटी भी बनायी है जो इस बात की सिफारिश करती है कि कौन इंडस्ट्री कहां खोली जाय। उस कमेटी ने हमारे यहां फर्टिलाइजर फैक्टरी खोलने की सिफारिश की थी, लेकिन एक फर्टिलाइजर फैक्टरी तो बिहार में चली गयी जो कि उचित नहीं था। उस फैक्टरी को भी यहीं खोलना चाहिये था। कमेटी ने सिफारिश की है कि मिर्जापुर में फर्टिलाइजर फैक्टरी खोली जा सकती है। मैंने कहा कि वहीं पर फैक्टरी खोली जाय। लेकिन यह सब तभी हो सकता है जब कि सदन के सभी वर्ग के सदस्यों का सहयोग हमें मिलता रहे जैसा कि पहले भी मिलता रहा। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हैवी इंडस्ट्रीज का जहां तक सवाल है, वह उत्तर प्रदेश के लिये जीवन और मरण का सवाल है। किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि अगर इंडस्ट्रीज खुल जायंगी तो मिनिस्टर लोग चिमनी पर खड़े होकर नाचेंगे। मैं नहीं जानता कि किस तरह से चिमनी पर चढ़ पर नाचा जाता है। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, यह तो केन्द्रीय सरकार का मामला है। इंडस्ट्रीज का उन्हीं से सम्बन्ध है।

श्री गेंदासिंह—हम लोग नीचे खड़े होकर देखेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ठीक है, एक और बात कही गयी है। एक मित्र ने सोशलिज्म की चर्चा की, और माननीय मोहनलाल गौतम जी ने यह कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय के ऐड्रेस में जो इसकी चर्चा की गयी है, उसका जिक्र नहीं होना चाहिये, था। कुछ लोगों ने कहा कि सोशलिज्म में इस तरह के झगड़े होते हैं और उसका जिक्र न किया जाता तो अच्छा था। मैं समझता हूं कि उसका जिक्र करना उचित ही था। सोशलिज्म में किस प्रकार की नीति होनी चाहिये या उसमें क्या-क्या बातें होनी चाहिए, इसको बतलाना उचित ही है। जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं वे सोशलिज्म का नाम लेते हैं। जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं वे भी सोशलिज्म का नाम लेते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वे भी सोशलिज्म का नाम लेते हैं, जो कांग्रेस दल के हैं वे भी सोशलिज्म का नाम लेते हैं। ऐसी हालत में कनफ्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है। इसलिये हमारे सामने यह अच्छी बात हुई कि इसका जिक्र हो गया। हम अगर इस तरह से जिक्र सोशलिज्म का करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। परन्तु कोई चाहे तो उसकी परिभाषा एक शब्द में नहीं हो सकती। इतना मैं जरूर कहूंगा कि "अवाडी कांग्रेस" के बाद इसके बारे में जो कुछ कहा गया, लिखा गया और पढ़ा गया या जो कुछ सुना भी गया, उस से सोशलिज्म की एक मोटे तौर पर तस्वीर हमारे सामने जरूर आई। हो सकता है वह गलत हो, हो सकता है कि वह अपूर्ण हो लकिन वह उसकी कुछ न कुछ तस्वीर जरूर है। अच्छा हुआ कि इस मौके पर सोशलिज्म का जिक्र हो गया और सदन में कई बार उसका नाम सुनने में आ गया और यह मानी हुई बात है कि उसका जितना जिक्र हो जाय अच्छा है।

श्रीमन्, यहां एक बात का और जिक्र उस तरफ से किया गया कि यहां पर जो केप्टिलिस्ट हैं वे रुपये वाले होते जाते हैं। यह सही बात है

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो आपत्ति की थी वह यह चीज थी कि "Avoiding a conflict between different interests never helps but only hinders." मैं क्षमा चाहूंगा और मेरा मतलब यह था कि कनफ्लिक्ट को हटाने के लिये ज्यादा जोर देना चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने अभी कहा था वह इस व्याख्या को ही ध्यान में रख कर कहा था। वह तरीके भी हो सकते हैं कि जिनमें कनफ्लिक्ट हो सकते हैं और वह तरीके हिन्डर करते हैं, हेल्प नहीं करते और मैं समझता हूं कि जो तरीका हमने अख्तियार किया है, वह ठीक है।

हां, तो बात यह थी कि कहा जाता है कि हमारे यहां केप्टिलिस्ट पैसे वाले होते जाते हैं। सही बात है। इसको हमने कभी नहीं छिपाया। यह छिपाने की बात भी नहीं है। जिस दिन कॉग्रेस ने यह तय किया कि हम देश में मिक्स्ड इकोनामी रक्खेंगे, उसी दिन यह बात आ गई कि हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर रहेगा और इसके साथ ही यह भी सही बात है कि कैप्टिलिस्ट के पास पैसा होगा, हो सकता है कि यह नीति गलत हो, किसी सिद्धांत के खिलाफ हो, लेकिन एक बार जब इस नीति को मान लिया गया कि प्राइवेट सेक्टर को रखा जायगा तो जाहिर है कि हम उसको बिजनेस करने देंगे और जब वह बिजनेस करेगा तो नफे के लिये करेगा और इस तरह से उसके पास एक की जगह सवा पैसा होगा। उसके ऊपर हमारा एक ही चेक है कि हम अपने टैक्सेज के द्वारा उनसे अधिक से अधिक ले लें। आज भी हम उनसे अपने इन्कम टैक्स आदि के द्वारा रुपये में साढ़े १३ आना ले लेते हैं, फिर भी उसके पास कुछ न कुछ रहता है और यह तब तक चलेगा जबतक हम यह तय न कर लें कि अब प्राइवेट सेक्टर नहीं रहेगा, लेकिन यह तय करने का यह स्थान नहीं है, वह स्थान दिल्ली है।

हम तो जो एक ढांचा बना दिया गया है, उसके भीतर ही काम कर सकते हैं। हमें पूरा मौका काम करने का है और दूसरे लोग भी हैं। अभी हमारे एक केरल प्रदेश में कम्यूनिस्ट सरकार बनी है। कांग्रेस वालों के मन में चाहे कैप्टिलिस्ट के लिये कुछ भी हो लेकिन अभी केरल में जो नई सरकार बनी है, वहां पर भी कहा गया है कि वे भारतीय संविधान के अन्दर रहकर काम करेंगे और उसके भीतर रहकर ही जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने की कोशिश करेंगे। हम उनके प्रयोग को भी शौक से देखेंगे और उनकी सफलता को, उनके तरीके को देखेंगे, कुछ सीखने की और सबक लेने की भी कोशिश करेंगे। वहां भी अभी कैप्टिलिस्ट को खत्म करने की बात नहीं की जाने वाली है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के एक बढ़े लीडर श्री ए० के० गोपालन बम्बई गये थे, उन्होंने वहां के बिजनेस मैन को इनवाइट किया था कि आप केरल में आकर बिजनेस करिये और वहां के उद्योग को बढ़ाइये। जाहिर सी बात है कि जो कोई व्यापारी भी वहां बिजनेस करने जायगा, वह इसलिये वहां नहीं जायगा कि केरल की सरकार उनकी सब पूंजी छीन ले या उसके पास वहां जा कर चार पैसे की जगह पर तीन पैसे रह जायं। वह तो इसी आशा और उम्मीद से जायगा कि वह वहां जाकर कोई काम करे और चार पैसे के उसके पांच पैसे हो जायं। अगर हमारे यहां मिक्सड एकनोमी चलाई जाती है तो उसमें यह निहित है, चाहे यह कोई गुण हो या दोष हो यह बात दूसरी है। एक मत यह भी है और माना जाता है कि उचित टैक्सेज के द्वारा हमें आमदनियों में बराबरी रखने की कोशिश करनी चाहिये और कम आय वालों को सुविधा देनी चाहिये और उन की आय बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिये और इसी कसौटी पर कसकर हमें देखना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रदेश की शांति व्यवस्था का जिक्र किया। यह तो मैंने कभी कहा नहीं कि जिस वक्त पुलिस का विभाग मेरे पास था और कई वर्ष तक रहा, हमारे यहां पुलिस में कोई दोष नहीं था और हमारे यहां की पुलिस में कोई ऐब नहीं है। पुलिस के जो अफसर हैं और पुलिस के जो आदमी हैं, हमारे समाज के ही अंग हैं। उनमें भी दोष हैं और बहुत से दोष चले आते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि बहुत ही बातों में पुलिस में सुधार हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि पहले की अपेक्षा पुलिस बहुत अच्छी फोर्स है। जहां तक ला ऐंड आर्डर की बात है, मैं यह भी मानता हूं कि आज से कुछ दिन पहले ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था जो खराब थी अब उसके मुकाबिले में कहीं ज्यादा सुधरी हुई है। इस बात को मैं मानता हूं और इस बात के मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। एक आध मिसाल किसी जगह की हो, उससे सारे प्रदेश का ज्ञान नहीं हो सकता। एक मित्र ने बलिया का जिक्र किया जहां पर कई मर्डर हो गये। एक आदमी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

की हत्या हो बहुत अफसोस की बात है। वहां कई आदमियों की हत्या हो गयी। बहुत अफसोस की बात है। लेकिन न हर गांव में पुलिस रह सकती है और न हर घर में पुलिस रह सकती है। क्राइम्स न हों, इसके लिये सोशल और बहुत सी अन्य बातों की जरूरत होती है। पुलिस का काम है कि जहां तक हो सके शांति कायम रखे और शांति भंग हो जाय तो अपराधी को दंड के लिये उपस्थित करना चाहिये। माननीय सदन को यह जानकर खुशी होगी कि जिन लोगों ने बलिया में हत्यायें की थीं उनमें से १२ आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बलिया एक ऐसी जगह है जहां बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमायें मिलती हैं और जो भी जगहें सीमाओं पर होती हैं, अपराधी एक प्रदेश से भाग कर दूसरे प्रदेश में चला जाता है। तो उसको गिरफ्तार करने में कठिनाई होती है। दोनों जगहों के अफसर मिलते रहते हैं। फिर भी दिक्कत हो जाती है।

एक सज्जन ने मुरादाबाद की घटना का जिक्र किया। सुन कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने जिक्र किया कि एक सब इंस्पेक्टर गया और मार डाला गया। पता नहीं वे घटना से कितना परिचित हैं। शायद मुरादाबाद जिले के तो हैं नहीं वह। वह बड़ी विचित्र घटना है। कुछ दिन हुये, वहां एक गांव मे एक सज्जन आये। उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं। और उस गांव के स्त्री पुरुष सब जमा हो गये और यह हो गया कि जो कोई जाय उसे भगवान के सामने दंडवत करनी पड़ेगी। एक दिन एक मुसलमान लड़का जा रहा था। उसे भी लोगों ने कहा कि दंडवत करो। पहले वह राजी नहीं हुआ। लेकिन उस पर दबाव डाल कर राजी किया गया। उसने दंडवत की लेकिन लोगों ने कहा कि तुमने दिल से दंडवत नहीं की है और उसको पीटा। उसने जा कर घर पर कहा। घर के लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट की। थानेदार वहां पर आया। इत्तफाक से खाली दो एक आदमियों को ले कर आया। थानेदार को गांव वालों ने मार डाला। उसके साथ दो आदमी और मारे गये। एक आदमी भाग कर किसी तरह से थाने पहुंचा। थानेदार आया और उसी जगह के रहने वाले एक साहब लाइसेंस-दार थे वह भी आये। तीन चार कांस्टेबिल आये थे। गांव वालों ने फिर मुकाबिला किया और उस थानेदार को मार डाला और जो लाइसेंस वाले बेचारे आये थे उनको भी मार डाला। तीन चार आदमियों को मार डाला। भगवान ने गांव वालों से कहा कि तुम्हारे ऊपर गोली का असर नहीं होगा, गोली फूल हो जायगी। औरतों ने मूसर लिये और मर्दों ने लाठियां और बंदूकें लीं। इस तरह की सूरत हुई उसके बाद गिरफ्तारी हुई। मेरी समझ में बात नहीं आयी कि जहां इतने आदमी मारे गये, एक रईस वहां के मारे गये, तीन चार कांस्टेबिल्स मारे गये, इस पर भी कोई आदमी कहे वहां पर ज्यादती हुई है। भगवान जेल में मौजूद हैं और उनके अनुयायी भी कई जेल में मौजूद हैं, पूरे वाकयात को देखते हुये पुलिस पर किस बात का आक्षेप है यह मेरी समझ में नहीं आया। वैसे पुलिस में जो भी खराबियां हों। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा हो सकता है जिस पर सोलहों आने औचित्य हो सकता है, तो वह मामला यह है। हां, भगवान को गिरफ्तार करना अगर अनुचित बात हो तो मैं नहीं कहता।

एक सदस्य--कानपुर के मामले में कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--डेढ़-डेढ़ साल के बच्चे जिनकी हड्डियां आयी हैं, जली हुई हड्डियां आयी हैं। छोटे-छोटे बच्चे खेत में फूंक करके जला दिये गये। अगर आज कहा जाय तो हड्डियां पोटली में दिखलायी जा सकती हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अधिष्ठाता महोदय, मैं इतनी हिम्मत के साथ इस बात को नहीं कह सकता क्योंकि मेरे सामने यह भी सवाल होता है कि यह मामला अदालत के सामने जायगा। जिन लोगों के ऊपर इस किस्म की जिम्मेदारी नहीं है वह कह सकते हैं। मैं इस किस्म की बात कभी नहीं कह सकता कि डेढ़-डेढ़ वर्ष के बच्चों की हड्डियां रखी हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह--जांच तो कराइये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अदालत जांच करेगी।

श्री त्रिलोकी सिंह--हम शहादत पेश करने को तैयार हैं।

एक सदस्य--हड्डी और आदमी जो गाड़े गये हैं वहां ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं बड़ी भारी अफसोस की बात है अगर सचमुच कोई डढ़ वर्ष या २ वर्ष के बच्चे मारे गये। तो सारा मामला अदालत के सामने पेश होगा और वहीं इसका फैसला होगा। इस वक्त में यहां पर कोई ऐसी बात कहूं, दूसरे लोग कह सकते हैं, मगर मैं नहीं, जिसका असर अदालत पर पड़ता हो, यह सर्वथा अनुचित बात होगी।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)--मैं उन बच्चों की राख और हड्डियां लाया हूं जिनका जिक्र आपने (माननीय मुख्य मंत्री जी) ने किया। उनकी कोई इनक्वायरी नहीं हुई है। मैं कुछ वक्त चाहता हूं आपसे निवेदन करने के लिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस बात का जिक्र हुआ कि बलिया और बिहार की जो सरहद है उसके तय करने की कोई कोशिश नहीं हुई। जैसा कि सबेरे माल मंत्री जी ने बतलाया, मामूली तरीका तो ऐसा होता है कि जहां सरहद के इस तरह के झगड़े होते हैं, दरिया की वजह से तो डीप वाटर जहां होता है, कानून के मुताबिक झगड़ा तय हो जाता है। लेकिन नदी उत्तर प्रदेश की तरफ घुसती चली आती है। हमेशा यह होता रहा है बरसात के बाद दोनों जगह के एस०डी०ओ० तय कर लिया करते थे। लेकिन १९५४ में ऐसा हुआ कि दोनों स्टेट्स के मिनिस्टर्स बैठे और यह तय हुआ कि परमानेंट हद बन जाय तो बहुत अच्छा हो। काफी गांव इधर के उधर हो गये और जांच के बाद गांवों की एक लिस्ट बनी और वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास भेज दी गई, वहां से जो फैसला होगा उसी के मुताबिक परमानेंट हद हो जायगी।

कुछ सदस्यों ने यह कहा कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड हैं, इनका काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। मैं ठीक नहीं कह सकता, इसलिये कि अभी तो प्रत्यक्ष रूप से प्लानिंग विभाग का काम मैंने अपने हाथ में लिया है। फिर भी अगर माननीय सदस्य कृपा कर मुझे बतायेंगे कि क्या-क्या खराबियां कहां-कहां हैं जो दुरुस्त हो सकती हैं तो मैं बड़े शौक से इसकी कोशिश करूंगा। जांच की भी आवश्यकता पड़ी तो मैं करने के लिये तैयार हूं और उसके बाद जो कुछ सुधार हो सकते हों, होंगे। इनका ठीक ढंग से कार्य संचालन करना इसलिये जरूरी है कि एन० ई० एस० ब्लाक्स का एक विशेष स्थान हो गया है। कुछ इंटेसिव डेवलपमेंट ब्लाक्स में बदले गये और धीरे-धीरे आगे चलकर ऐडमिनिस्ट्रेशन की जो सूरत होने वाली है, इसी के अनुसार होने वाली है। तो हमको सोचना है कि एन० ई० एस० ब्लाक्स को क्या सूरत दी जाय। क्योंकि सारे देश के शासन का ढांचा इन्हीं एन०ई०एस० ब्लाक्स पर निर्भर करता है। इसलिये जरूरी है कि इन पर ध्यान दिया जाय ताकि किसी किस्म का दोष न रहे। मैं बहुत ही अनुग्रहीत हूंगा उन मित्रों का जो मुझे बतायेंगे कि इनमें कहां-कहां क्या खराबियां हैं और किस तरह से इनको अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

कुछ ऐसे भी सुझाव दिये गये जो बहुत ही उपयोगी हैं और हमारा खुद दिमाग उस तरफ जाता है। अगर हम उन पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाते तो इसका सिर्फ एक कारण है और वह रुपये की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। मिसाल के लिये माननीय पालीवाल जी ने हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र किया। बहुत ही जरूरी है और इसलिये है कि जहां पर दुनियां में सोशलिज्म की बात की जाती है तो वहां पर कोशिश इस बात की की जाती है कि रुपये पैसे से बहुत ज्यादा लोगों की पूर्ति न की जाय बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय। अगर इत्तफाक से वहां पर कुछ लोग अधिक आमदनी वाले हों उनको जो सुविधायें रुपये के बल पर प्राप्त होती हैं जो दूसरे लोगों को स्टेट की तरफ से प्राप्त हों, हेल्थ के मामले में, एजूकेशन के मामले में, ऐमेनिटीज़ लोगों को दी जायं। इसलिये सोशलिस्टिक पैटर्न रखना है तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। अब दिक्कत जो है उसका मैं आपको थोड़ा सा अन्दाज देता हूं कि इस वक्त एक

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बहुत छोटा सा अंश उसका है जो मजदूरों के लिये इम्प्लायज इंश्योरेंस स्कीम आज चल रही है कानपुर में और आठ सात शहरों में और चल रही है। सब मिला कर १ लाख ५५ हजार आदमी उससे फायदा उठाते हैं और १ लाख ५५ हजार आदमियों के ऊपर १३ लाख ३८ हजार रुपये का खर्च है। पिछले साल १२ लाख ८८ हजार था, इस साल १३ लाख ३८ हजार होने जा रहा है, जिसमें १० लाख ७१ हजार तो हमें मिलता है और बाकी २ लाख ६७ हजार हमको खर्च करना है। तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, सवा छः करोड़ इसकी आबादी है। तो फिर यह सोचने की बात है कि जब १ लाख ५५ हजार आदमियों पर १३ लाख रुपया खर्च होता है, ३८ हजार छोड़ दें, केवल १३ लाख ही लें तो सवा छः करोड़ के लिये, उस हिसाब से हेल्थ इन्श्योरेंस की बात अगर सोचें तो वह करीब-करीब ५० करोड़ के बैठता है। अगर पूरी तरह से न भी करें कुछ छोड़ दें, तब भी ३० करोड़ या २० करोड़ तो चाहिये ही। अब मुश्किल यह है कि इस वक्त जो हमारी आमदनी है वह आपके सामने है। आप लोगों ने देखा है और अभी देखेंगे बजट के वक्त कि जो कुछ आमदनी है उसमें से २०–२५ करोड़ रुपया कहां से निकल सकता है। बहुत मुश्किल बात है इतने रुपयों का इन्तजाम करना वरना वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत उम्दा चीज है और आज नहीं तो कल, किसी न किसी तरीके से हमको उसे करना ही होगा।

इसी तरीके पर एजूकेशन की बात आती है। कुछ यह कहा गया कि एजूकेशन फैल जायगा तो कौन पार्टी जीत जायगी, कौन हार जायगी। खैर यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जो माननीय सदस्य पहले से हैं उनको तो मालूम होगा कि सन् १९४७ में गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया था कि हमारा इरादा है कि दस वर्ष में कम से कम प्राइमरी एजूकेशन हम फ्री और कम्पलसरी कर देंगे, उसमें रुपये पैसे की काफी दिक्कत पड़ी, जिसकी वजह से उस पर पूरी तौर से अमल नहीं हो सका फिर भी एक काम तो हमने कर ही दिया है और वह यह कि जितनी भी म्युनिसिपैलिटियां हैं, बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों में शिक्षा अनिवार्य हो गई है, लड़कों के लिये और कइयों में लड़कियों के लिये भी हो गई हैं। पिछले साल हमने तीसरे दर्जे तक फीस माफ कर दी थी और इस साल बाकी दो दर्जों की और माफ हो जायगी। इस तरह से प्राइमरी एजूकेशन फ्री हो जायगी। इसकी वजह से जो नुकसान डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को होगा, वह हम उसको देंगे। और जब प्राइमरी एजूकेशन फ्री हो गई तो उसे कम्पल्सरी करने में कोई ज्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। तो यह हमारा कदम इस तरफ है। अब सवाल है कि ऊपर के दर्जों की एजूकेशन भी फ्री कर दी जाय, लेकिन उसमें हमने हिसाब लगाया था सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ इन सब क्लासों में जो लड़के पढ़ते हैं उनकी तादाद ९,२७,५३९ आती है। इनसे जो ट्यूशन फीस ली जाती है वह करीब २ करोड़ ८७ लाख ३७ हजार के आती है। तो दो करोड़ ८७ लाख ३७ हजार रुपयों का प्रबन्ध करना होगा। आगे चल कर लड़कों का नम्बर बढ़ेगा और यह फिगर तीन करोड़ से ऊपर जा सकती है। तो अगर हम आज इन क्लासेज की एजूकेशन फ्री करते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि जो हायर सेकेन्डरी स्कूल्स वगैरह आज प्राइवेट चल रहे हैं, उनका जो नुकसान होगा फीस की आमदनी का, वह हमको पूरा करना होगा और यही एक दिक्कत हमारे सामने आती है जिसकी वजह से हमें इस खयाल को छोड़ देना पड़ता है। लेकिन हम गौर कर रहे हैं। देखेंगे कि अगर पूरे टेन्थ क्लास तक नहीं तो उससे कुछ कम दूर तक ही अगर हम इसको ले जा सकें तो ले जायं। लेकिन सदन के सामने मैं इसको रखता हूं और प्रस्ताव बहुत सुन्दर है, लेकिन इसको कार्यान्वित करने में जो दिक्कत पड़ती है वह रुपयों की पड़ती है। हेल्थ इन्श्योरेंस की स्कीम को अगर चलायें तो उसमें ५० करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है, फ्री एकूजेशन की इस स्कीम को अगर ले चलें तो तीन करोड़ के करीब की बात आती है। यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है वरना यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है।

अध्यापकों का जिक्र कुछ सदस्यों ने किया। मैं भी एक अध्यापक था। अध्यापक था नहीं, हूं, अब भी हूं और अध्यापकी से छुट्टी लेकर चीफ मिनिस्ट्री और मेम्बरी करता हूं।

और इसके अलावा मेरे ऊपर और अध्यापकों की, चाहे वह यूनिवर्सिटी के हों या हायर सेकेंडरी स्कूलों के हों, उनकी सबकी कृपा है, यह भी मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मैं उनकी कठिनाइयों को खूब समझता हूं और उनको दूर करने का सवाल भी हमारे सामने रहता है। कई बातें उसकी बाबत भी हम सोच रहे हैं लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके सम्बन्ध में कि हम क्या कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे। मैं वादा कुछ नहीं करता, जो कुछ कर सकेंगे वह सामने आयेगा।

लेकिन एक दो बातें जो यहां कही गईं उनको सुनकर मुझे अफसोस हुआ। यह कहा गया कि अध्यापकों के लिये दवा दारू का इन्तजाम आपने किया है, उनके लिए कफन और लकड़ी का इन्तजाम और कर दीजिये। अफसोस की बात है कि न तो उन्होंने सोशलिज्म के इम्पलिकेशन को समझा और न इस चीज के इम्पलिकेशन को समझा। जैसा मैंने निवेदन किया था पालीवाल जी के प्रस्ताव का जिक्र करते हुये। जहां सोशलिस्ट व्यवस्था होती है वहां जो एमेनिटीज होती हैं, चाहे मेडिसीन के रूप में या एजूकेशन के रूप में उनके लिये ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वे सुविधायें सबको प्राप्त हों, चाहे ज्यादा रुपया प्राप्त करने वाला हो, चाहे कम। जो सरकारी आदमियों को मेडिकल सुविधायें प्राप्त हैं वही इन अध्यापकों को दी जायं। अकेला अध्यापक नहीं है, बीबी हैं, बच्चे हैं, जितने फैमिली के मेम्बर्स हैं, सबको मेडिकल फेसिलिटीज प्राप्त होंगी। जहां बड़ी फैमिली होती है और कम तनख्वाह पाने वाला होता है वहां कोई न कोई बीमार पड़ा ही करता है। हम सभी गृहस्थ हैं। शायद ही कोई यहां लखपती करोड़पति होगा। हर घर में कोई न कोई बीमार पड़ा करता है। डाक्टर का बिल वहां चुकाना ही पड़ता है। अगर इस बिल से छुट्टी मिल जाय, दवा के दाम अपने पास से न देने पड़ें तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी आमदनी वाले के लिये। बगैर इस चीज पर गौर किये हुये खाली मजाक में उड़ा देना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता। अध्यापकों को अगर इस तरह की सुविधायें दी जायं तो उनको सांस लेने का मौका मिल जायगा, और बातें अगर कर सके तो उनको हम देखेंगे।

अब कुछ ऐसे भी सुझाव आये हैं जिन पर अमल करना हमारे लिए तो असंभव है ही, मैं समझता हूं किसी भी दल के लिये असंभव है। एक सुझाव यह था--माननीय राजनारायण यहां हैं नहीं--उन्होंने पेश किया है अपने संशोधन में। पिछले साल भी सदन के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया था और उस वक्त भी मांग की गई थी और अब सुना है उसकी पूर्ति के लिये कोई सत्याग्रह किसी प्रकार का फिर होने वाला है। देखा जायगा, जो कुछ होगा, उसमें कई मांगें हैं। मसलन् एक मांग यह है कि पुलिस का प्रबंध ग्राम सभाओं को दे दीजिये। मैं नहीं जानता कि कितने माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं, चाहे पुलिस में हजार दोष हों, इस बात के पक्ष में होंगे कि ग्राम सभाओं को पुलिस का प्रबन्ध दे दिया जाय। यह मांग हमारे लिए असंभव है। किसी तरह सोच भी नहीं सकते।

दूसरी मांग है बेकारी को दूर करना। जब तक कोई आदमी बेकार है, काम नहीं मिलता, तब तक उसके लिये बेकारी का भत्ता मिलना चाहिये। बेकारी कोई मंत्र पढ़ने से दूर नहीं होती। बेकारी को दूर करने के लिये बहुत परिश्रम करना होता है। अगर इंडस्ट्रीज खोलना हो तो कच्चे माल का इन्तजाम करना होता है। जो माल तैयार हो, उसकी बिक्री का इन्तजाम करना होता है, तब इंडस्ट्री खुलती है। इंडस्ट्री के लिये ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आप देखें हमारे प्रदेश में कई प्रकार की इंडस्ट्रीज के लिये कई प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हैं, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आफ इंडिया का पब्लिकेशन है। सेकेंड फाइव ईयर प्लान में अन्दाज दिया गया है कि अनएम्पलायमेंट इस प्रदेश में कितना है, उसमें अन्दाज यह किया गया है कि १ करोड़ ५० लाख आदमी बेकार हैं। सेकिंड फाइव ईयर प्लान के समाप्त होने पर वे ख्याल करते हैं कि करीब ८० लाख आदमियों के लिये एम्पलायमेंट मिल सकेगा। अगर इस हिसाब से देखा जाय तो ७०-७५ लाख आदमी ऐसे होंगे कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान के खत्म होने पर भी जिनको एम्पलायमेंट नहीं मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश की आबादी सारे देश की आबादी का छठवां हिस्सा है। तो इस हिसाब से मोटे तौर पर साढ़े तेरह लाख आदमी बेकार होंगे। इतने आदमियों

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

को, यह सही है कि काम दिया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि इनको बेकारी का भत्ता देना चाहिये, तो इतने आदमियों को बेकारी का भत्ता क्या दिया जाय ?

इस सदन में जिक्र हुआ है कि चपरासी वगैरा, और भी जो इस किस्म के लोग हैं उनकी सौ रुपये से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। तो बेकारों के भत्ते के साथ इनको भी जोड़ दीजिये। साढ़े तेरह लाख आदमियों को अगर सौ रुपया दिया जाय तो साल भर तक कितना होगा ? मेरे हिसाब से करीब सौ करोड़, सवा सौ करोड़ से ऊपर जायगा। यह रकम कहां से आयेगी, मैं नहीं जानता। किस जगह से आयेगी, कहां से खींच कर लायी जायगी, पता नहीं। ये ऐसे सुझाव हैं जिनके ऊपर कभी अमल नहीं हो सकता। अगर इनके ऊपर सत्याग्रह करने की बात कोई शख्स करे, अगर इस आधार पर कोई शख्स प्रदेश की जनता में अशान्ति पैदा करने की कोशिश करे तो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस सदन का कोई भी समझदार सदस्य उसका समर्थन नहीं करेगा। कोई ऐसी चीज होनी चाहिये जिसमें तत्त्व हो और कोई ऐसी मांग जो फैंटैस्टिक हो, जिसे आधा, चौथाई भी पूरा नहीं किया जा सकता, उसको लेकर प्रदेश में अशान्ति पैदा करना, प्रदेश को हर तरह से कमजोर करना और मेरा ऐसा विश्वास है कि किसी तरह से उसका समर्थन नहीं होगा।

एक चीज और कही गयी नहर के सम्बन्ध में। उसमें कुछ जुर्माने किये गये थे, उसकी बाबत यह कहा गया कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि कानून गलत है, इसलिए जुर्माने वापस किये जायं। इसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है और जो वकील हो या कोई वकीलों से सलाह लेना चाहे तो वह ले सकता है। कानूनी पहलू यह है कि एक कानून जिसके मातहत जुर्माने अदा हुए, अगर रद्द भी हो जायं तो भी सरकार जुर्माना वापस करने के लिये मजबूर नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसकी बाबत सुप्रीम-कोर्ट में अपील दायर है, उसका फैसला अभी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला हो जायगा, तब यह बात कही जा सकती है कि कानून सही है या गलत है। साथ ही जो जुर्माने हो चुके, उनको वापस करने का सवाल नहीं उठता। हां, यह बात दूसरी है कि गवर्नमेंट दया करके वापस कर दे। कानूनी तौर से कोई भी पाबन्दी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है।

ये कुछ थोड़ी सी बातें थीं, जिनका मैंने जिक्र किया। मैं फिर एक ही बात कहता हूं, जिसकी तरफ माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में इशारा किया है कि बहुत सी बातों में हमारी कार्यशैली में फर्क हो सकता है, लेकिन इस मामले में हमारे अन्दर कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं होना चाहिये कि हमें उत्तर प्रदेश को ऊपर उठाना है। अभी माननीय गेंदासिंह जी ने कई बातें आखीर में कहीं। वह ऐसी बातें थीं जैसे फलां जगह के लोगों को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने बलवा कर दिया। मैं समझता हूं कि ऐसी बातें उन्होंने दिल से नहीं कही होंगी, सिर्फ कहने के लिए कह दीं। मैं समझता हूं कि हमारे यहां का कोई भी शख्स इस किस्म की गलत बातें नहीं करेगा कि यहां बलवा हो या हम दूसरी जगह की नकल करें। हमको, आपको, सब को उत्तर प्रदेश को उठाना है—चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों या उस तरफ के। हम में से कोई शेखी करे कि हम ही अकेले अपने बल पर इस काम को कर ले जायंगे तो वह झूठी बात होगी, झूठा दावा होगा। यह काम तभी होगा जब सब इस काम में मदद करें। हम सब इस काम के लिये मिलें और जब हम और आप मिलेंगे तभी उत्तर प्रदेश की जनता हमारी मदद कर सकती है। अगर हमारा आपस में मतभेद होता रहे तो कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम सब को इसमें अपना योग देना है और हमारा जो उद्देश्य है उसमें अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं उठा रखेंगे।

इन शब्दों के साथ, मुझको कहने में बहुत दिक्कत होती है, शब्द श्री राज्यपाल के हैं, नीति गवर्नमेंट की है। अपने मुख से अपनी तारीफ क्या की जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय नवल किशोर जी ने सदन के सामने रखा है, उसका समर्थन करके सदन हमें शक्ति प्रदान करेगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव मैंने महामान्य राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का प्रस्तुत किया था उस पर तीन दिन से बहस हो रही है। हमारे बहुत से साथियों ने, जिनमें कुछ इस पक्ष के तथा कुछ दूसरे पक्ष के थे, इसमें हिस्सा लिया। मैं उन सभी साथियों को, चाहे उन्होंने इसका समर्थन किया या नहीं किया, धन्यवाद देता हूं और उनका बहुत आभारी हूं। हमारे सामने तस्वीर के दोनों पहलू आये। हर तस्वीर के दो पहलू हुआ करते हैं। इसलिये यह अच्छा ही हुआ कि सदन के सामने तस्वीर के दोनों पहलू आ गये। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे भाइयों ने अपने भाषणों में, इतनी बातों की चर्चा की है कि उन सब की बाबत कुछ कहना सम्भव नहीं है। फिर भी जितनी आवश्यक बातें थीं उन सब की बाबत माननीय माल मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है। इससे मेरा बहुत कुछ कार्य हल्का हो गया है।

मेरे सामने कुछ संशोधन जो कुछ भाइयों ने पेश किये हैं उनके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि सबके जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे खेद है कि मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकूंगा। इसका कारण यह है कि मुझे कोई जिद नहीं है इस बात की कि मैं कोई संशोधन स्वीकार ही न करूं, बल्कि मैं समझता हूं कि उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब मैंने उन संशोधनों को पढ़ा तो मेरे मन में एक यह भी विचार आया कि सम्भवतः इस सम्बोधन में शायद कोई खास कमी रह गई हो जिसके कारण विरोधी पक्ष के भाइयों को वाकई परेशानी हुई हो। इसलिये, मान्यवर, इसके बाद मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंटरी डिबेट्स को पढ़ा और मैंने देखा है कि वहां भी कुछ ऐसी परम्परा है, ऐसी प्रथा है कि जो हैड आफ दी स्टेट का सम्बोधन होता है, वह कितना ही लम्बा हो, कितना ही छोटा, कितना ही बढ़िया हो। लेकिन फिर भी विरोधी पक्ष की ओर से यही कहा जाता है कि इसमें यह कमी है, वह कमी है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की विधान सभा में जो विरोधी पक्ष है, उसने, जो एक आम प्रथा है प्रजातांत्रिक देशों की, उसी का अनुकरण किया है। अतः मेरा अपना विचार है कि जिन भाइयों ने संशोधन पेश किये हैं, वह स्वयं समझते हैं कि उनके संशोधनों का इसमें समावेश होना न तो सम्भव ही है और न आवश्यक ही है। लेकिन चूंकि प्रथा है, उसी के अनुसार उन्होंने इस बात का मौका लिया और उन्होंने अपने विचार पेश किये और सरकार की नीति के ऊपर अपनी आलोचना और समालोचना की। मैं समझता हूं कि यह तो उन्होंने अपना रौल प्ले किया है।

माननीय पालीवाल जी ने एक बात कही और मुख्य मंत्री जी ने भी उसका समर्थन किया। पालीवाल जी ने यह कहा कि यह सही है कि कितनी ही अच्छी कोई स्कीम हो, कितनी ही अच्छी नीति हो, अगर उसका सही ऐक्जीक्यूशन नहीं हो पाता है तो वह चीज श्राप के रूप में बन जाती है। यह मुनासिब बात है। इस बात पर भी उन्होंने बड़ा जोर दिया कि राज्यपाल के सम्बोधन में जो सहयोग की अपील थी सो यदि वाकई सरकार हमारा सहयोग चाहती है तब वह सच्चे हृदय से सभी नीति में और खासतौर से निर्माण के सम्बन्ध में, सहयोग देना चाहते हैं, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक बात मैं और इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा वह यह कि विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यूनिवर्सिटी की आटोनोमी के बारे में बार-बार कहा। मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता हूं लेकिन उन्होंने विशेष तौर से लखनऊ यूनिवर्सिटी का उल्लेख

[श्री नवलकिशोर]

किया। मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या बात थी। मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है यूनिवर्सिटी ऑटोनामी का कि जब पिछली विधान सभा में यूनिवर्सिटी से संबंधित विधेयक आये थे तो इस पर काफी बहस हुई थी और यह एक बड़ा कंट्रोवरशियल प्वायंट है और थोड़े से समय में तय नहीं किया जा सकता है। केवल इतना कह देना चाहता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटीज के आटौनोमी का सवाल है, उसके ऊपर देश भर के शिक्षा शास्त्रियों में काफी मतभेद है और इंगलैण्ड जैसे देश में जिसको सब जानते हैं जो "मदर आफ पार्लियामेंट" कहलाता है, वहां भी ऐसे प्रेसीडेंस है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के विधानों में वहां की सरकार ने हस्तक्षेप किया और कानून में परिवर्तन किया।

इसके बाद उन्होंने एक बात कही जिसको सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। उन्होंने हमारे प्रदेश की रूपरेखा इन शब्दों में कर दी कि हम अपनी जेल में एक कैदी के ऊपर ३२३ रुपये खर्च करते हैं और उससे उन्होंने यह आंकड़े निकाले कि अगर उसकी साढ़े चार व्यक्तियों की फैमिली मान ली जाय तो १२, १३ सौ रुपये की रकम आती है। जब कि बाहर एक मजदूर को इतना नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा फैलेशस आर्ग्यूमेंट दूसरा दिया नहीं जा सकता और उन्होंने चित्र का एक विकृत रूप हमारे सामने पेश करने की कोशिश की। मैं उनके आंकड़े से इत्तफाक न करते हुए और जो गणित उन्होंने इस्तेमाल किया उससे भी इत्तफाक न करते हुये केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन्सान तो बहुत बड़ी चीज होती है, जो एक पंछी होता है उसको भी अगर आप सोने के पिंजड़े में बन्द रख कर उसको मोती का चूरा खिलाना चाहें तो शायद वह उसे स्वीकार नहीं करेगा और आजाद रह कर सूखा दाना खाना ज्यादा पसन्द करेगा। इसलिये एक कैदी की उपमा उन लोगों के साथ देना जो स्वतन्त्र जीवन बिताते हैं, मैं समझता हूं, उचित बात नहीं है।

यह सही है कि समाजवाद की व्याख्या के बारे में उन्होंने जितनी बातें कहीं उसमें कुछ अंश तक सत्यता है। यह सही है कि हमारे यहां इकोनामिक डिसपैरिटीज हैं। यह सही है कि हम अध्यापकों को पूरी तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि हमारे साथियों और हमारी गवर्नमेंट के मन में यह भावनायें नहीं हैं। जो हमारे पास इकोनामिक रिसोर्सेज हैं उनकी कमी के कारण हम ऐसा नहीं कर सके हैं। मैं चाहता था कि हमारे प्रदेश में कहीं दूसरी पार्टी की सरकार होती और ऐसा मौका, मान्यवर, ट्रावंकोर-कोचिन में आया, वहां पी० एस० पी० को अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, मुझे दुःख है कि वह सरकार बहुत दिन तक नहीं चल सकी, वह गवर्नमेंट फेल हुई। मैं चाहता था कि वह गवर्नमेंट साल दो साल टिकती और यदि वह प्रजातंत्रीय ढांचे में रह कर वहां के शासन तंत्र में कुछ सुविधायें पैदा कर सकती तो मैं उन व्यक्तियों में होता जो उनसे सबक सीखते। आज भी हमारे देश में केरल प्रदेश में दूसरी पार्टी यानी कम्यूनिस्टों को इस बात का मौका मिला है कि वह अपनी सरकार बनायें और मैं एक संसदीय पद्धति का विद्यार्थी होने के नाते बड़ी उत्सुकता से उस एक्सपेरीमेंट की ओर देख रहा हूं और यदि कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी आइडियालोजी को डेमोक्रेटिक सेट-अप में फिट करने के बाद इस बात में कामियाब हुई कि वह शासनतंत्र में सुधार कर सके और कुछ सुविधायें हमारे देश के निर्धन लोगों को दे सके तो मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि हमको उससे कुछ सबक मिलेगा और इस बात का भी हमको एक मौका मिलेगा कि हम कम्पेरेटिव असेसमेंट कर सकें क्योंकि जिम्मेदारी से एक बात कहने में और दूसरी तरफ से एक बात को कह देने में जिनका उत्तरदयित्व न हो बहुत फर्क पड़ जाता है।

अन्त में एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। जो हमारे सामने फीगर्स की बात आयी उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का दुःख है कि जो भिन्न-भिन्न पुस्तकें गवर्नमेंट की ओर से निकली हैं उनके आंकड़ों में कंट्राडिक्शन है और इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक और पुस्तिका मैंने देखी "Twenty-Five years evolution of statistics in U. P." उसमें मैंने देखा कि जहां और बहुत सी हिस्ट्री उसमें दी हुई है वहां ५–७ सेक्रेट्रीज के फोटो भी उसके अन्दर लगी हुई थीं। बड़ी खुशी की बात है कि २५ साल से हमारे यहां स्टेटिस्टिक्स का एवोल्युशन चल रहा है फिर भी उसमें आज भी कमियां हैं। मैं खास तौर से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की बातों पर ध्यान दिया जाय ताकि आयन्दा इस तरह की गलतफहमी दूर हो। जो भी अफसरान इसके लिये जिम्मदार हों उनको इस बात की तम्बीह की जाय कि वह आयन्दा इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया करें।

एक जनमत की बात भी हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने कही। सही बात है। उनसे मैं केवल यह दरख्वास्त करूंगा कि जनमत का अनादर नहीं हुआ है और न होना चाहिये। मेरा तो यह कहना है कि इधर की संख्या देख कर वे हमसे सीखें और उधर की संख्या देख कर हम उनसे सीखें। और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जनमत ने कोई बर्डिक्ट सरकार की पिछले पांच वर्षों की पालिसी पर दिया है। उसने कुछ बातों पर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया है और उसकी बाबत माननीय मुख्य मंत्री ने यह कह भी दिया है कि उन भावनाओं का ख्याल रखा जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपना मूल प्रस्ताव जो मैंने पेश किया था उसको इस आशा के साथ पेश करता हूं कि यह सदन उसको स्वीकार करेगा और जिन साथियों ने अपने संशोधन दिये हैं उनसे मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूं कि वे बराय मेहरबानी अपने उन संशोधनों को वापस ले लें।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन् सभापति जी, पेश्तर इसके कि आप इस प्रश्न को उपस्थित करें मैं आपका ध्यान माननीय नवल किशोर जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके कुछ शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरी राय में वह प्रस्ताव नियम के अनुसार स्वीकार हो ही नहीं सकता। मैंने कल उनसे और मिनिस्ट्र आफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और विधान सभा के सचिव से कहा था कि राज्यपाल का संबोधन इस पूरे सदन को और इस सदन के साथ विधान परिषद् को भी किया गया था और धन्यवाद का प्रस्ताव सदन की ओर से नहीं है केवल उन सदस्यों की ओर से है जो यहां उपस्थित हैं। यह प्रथा तथा नियम के अनुसार भी नहीं है। इसलिये मैंने उनसे निवेदन किया था कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं इन शब्दों को हटा कर "उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये धन्यवाद प्रकट करती है" यानी "प्रकट करते हैं" शब्दों के स्थान पर "प्रकट करती है" रख दें। आप इसके नियमों को देख लें और यदि इजाजत दें तो मैं उन नियमों को आपके सामने पेश कर दूं।

श्री अधिष्ठाता—जो प्रश्न माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने उपस्थित किया है मैंने उस पर सोचा है। अगर प्रस्ताव अवैध था तो उसे दूर करने के लिये एक संशोधन के रूप में उसे पहले से लाने की आवश्यकता थी। इस संशोधन के लाने से जो प्रस्तावक थे उनको भी इस बात का मौका मिलता कि वे उस पर कुछ राय रख सकते। मैंने पुरानी प्रथा को भी देखा है और उसके अनुसार जो पहले प्रस्ताव

[श्री अधिष्ठाता]

रखे गये हैं वे भी इसी रूप में रखे गये हैं। मैं सदन और माननीय सदन के मेम्बरों में कोई खास अन्तर नहीं समझता हूं और समझता हूं कि प्रस्ताव जिस रूप में रखा गया है। वह ठीक है।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, इस तरह के संशोधन लाने के लिये पूर्व नोटिस की जरूरत नहीं है। मैं आपकी अनुमति से इन शब्दों को डिलीट कराने का संशोधन पेश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैं अपना निर्णय दे चुका हूं और अब मैं ठीक नहीं समझता कि उसके बाद फिर से उस पर कोई और संशोधन लूं।

(एक क्षण के अनन्तर)

सदन के सामने श्री नवल किशोर जी ने जो मूल प्रस्ताव रखा है उसमें माननीय श्री त्रिलोकी सिंह, माननीय श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल, माननीय श्री राजनारायण सिंह, माननीय श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे और माननीय श्री झारखंडे राय के संशोधन हैं। नियम १७८ के अनुसार मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं मूल प्रस्ताव को सदन के सामने रखूं या जो संशोधन रखे गये हैं उनके ऊपर वोट करने के लिये सदन से कहूं। संशोधन इतने अधिक हैं कि अगर उनको एक-एक करके लिया जाय, उन पर वोट मांगा जाय तो बहुत समय लगेगा। मैंने पुरानी प्रथा भी देखी है और उसमें भी ऐसा ही हुआ है कि जो मूल प्रस्ताव था उस पर ही वोट लिये गये हैं। इसलिये मैं इस सदन से यह कहूंगा कि वे मूल प्रस्ताव पर वोट करें और जिन महानुभावों ने संशोधन रखे हैं वह वोट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मूल प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर उनके संशोधन स्वतः गिर जायेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। नियम यह है कि मूल प्रस्ताव के पहले जिन संशोधनों को अध्यक्ष महोदय ने इन आर्डर माना है उन पर पहले वोट लिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—जो नियम है वह मैं सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं—

"It shall be in the discretion of the Speaker to put first to the vote either the original motion or any of the amendments which may have been brought forward."

यानी यह अध्यक्ष के अख्तियार में होगा कि वह पहले जो मूल प्रस्ताव है उसको वोट करने के लिये रखें या जो संशोधन हैं उन पर वोट लें। तो मैंने अपना अख्तियार इस चीज में लगाया है और अब सदन जो मूल प्रस्ताव है उस पर वोट करे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह—पेश्तर इसके कि और कार्यवाही हो मैं आपका ध्यान इस बात को ओर दिलाना चाहता हूं कि यहां इस सदन में कुछ और सज्जन बैठे हुए हैं जो इस विधान सभा के सदस्य नहीं हैं। यह नियम के अनुकूल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—वह इस सदन के सदस्य तो नहीं हैं लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया है।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, पहले इसके कि आप अन्य कार्यवाही करें मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि ५ बजे तक सदन की कार्यवाही चलेगी। ५ बज गये हैं और उसके बाद कोई प्रस्ताव समय बढ़ाने का आया नहीं है इसलिये उसके बाद की कार्यवाही अनियमित होगी और सदन आगे नहीं चल सकता है।

श्री अधिष्ठाता—जो निर्णय हो चुका है उसी के अनुसार कार्यवाही चल रही है।

श्री त्रिलोकीसिंह—५ बज गये हैं अब सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता—उसके मुताल्लिक मुझे अख्तियार है कि मैं इसे कन्टीन्यू करूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२२०,

विपक्ष में—१०४।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२७ चैत्र, शकाब्द १८७९
(१७ अप्रैल, १९५७।)

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२३ एल० ए०—१९५७—७९६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश